महानगर नई दिल्ली बुधवार 8 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

निर्भया के गुनहगारों को 22 को फांसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

सात साल पहले दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड मामले के चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी किया। मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे।

दोषियों के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे

निर्भया की मां ने फैसले पर खुशी जाहिर की। दोषियों की फांसी की सजा की तिथि मुकर्रर किए जाने के बाद उन्होंने कहा, यह आदेश कानून में महिलाओं के विश्वास को बहाल करेगा। निर्भया के पिता ने कहा कि हमें इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। जो फैसला आया है उससे हम बेहद खुश हैं। हमारे लिए इस महीने की 22 तारीख बहुत बड़ा दिन होगा।

फैसला सुनाने से पहले जज ने दोषियों से वीडियो कांफ्रेस के जरिए बात की। जज ने दोषियों से अपनी बात रखने को कहा। दोषी अक्षय ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उसके बारे में गलत खबरें दी जा रही हैं। उसने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। दोषियों की दलील सुनने के दौरान जज ने कहा– अदालत में केवल वही लोग रहें जो मामले से सीधे जुड़े हैं। जज ने मीडिया को भी अदालत कक्ष से बाहर जाने को कहा। इसके बाद अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी दिए जाने वाला आदेश जारी किया।

दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। कानूनविदों के मुताबिक इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करता है और 14 दिनों के भीतर इस पर फैसला नहीं आता तो फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है।

निचली अदालत ने 13 सितंबर, 2013 को चारों को फांसी की सजा सुनाई थी। साथ ही इसकी स्वीकृति के लिए मामला हाई कोर्ट को भेजा था। इस बाबत बनी त्वरित अदालत ने इन चारों को सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए दोषी करार दिया था। हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2014 को चारों दोषियों अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश की अपील खारिज कर दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई बाकी पेज 8 पर

'इस दिन का लंबे समय से इंतजार था'

निर्भया की मां ने कहा, यह फैसला कानून में महिलाओं के विश्वास को बहाल करेगा। निर्भया के पिता ने कहा, हमें इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। जो फैसला आया है उससे हम बेहद खुश हैं। हमारे लिए इस महीने की 22 तारीख बहुत बड़ा दिन होगा।

'मृत्यु वारंट' जारी, सुबह सात बजे लटकाया जाएगा फंदे पर

फैसले से पहले जज ने दोषियों से वीडियो कांफ्रेस के जरिए बात की, दोषियों से अपनी बात रखने को कहा

दोषियों की दलील सुनने के दौरान जज ने कहा, अदालत में केवल वही लोग रहें जो मामले से सीधे जुड़े हैं

आर्थिक वृद्धि दर घटकर पांच फीसद रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2019-20 में घटकर पांच फीसद पर आ सकती है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2018-19 में वृद्धि 6.8 फीसद थी। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों की कमजोरी का वृद्धि पर असर होने का अनुमान है।

11 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकती है

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि वृद्धि दर बाकी पेज 8 पर

शेयर खरीद समझौते के प्रारूप को मिली मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए रुचि पत्र (ईओआइ) और शेयर खरीद समझौते के लिए तैयार प्रारूप को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौते के इन प्रारूपों को एअर इंडिया के लिए बोली लगाने वालों के वास्ते जनवरी में ही जारी किया जाएगा।

एअर इंडिया विनिवेश पर गठित मंत्री समूह की इससे पहले की बैठक सितंबर 2019 में हुई थी। एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक प्रणाली ने पिछले साल एअर इंडिया के लिए विनिवेश प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने को मंजूरी दी थी। बाकी पेज 8 पर

एअर इंडिया विनिवेश

गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्री समूह ने समझौते के प्रारूप को मंजूरी दी

जेएनयूएसयू अध्यक्ष आईशी का नाम पुलिस प्राथमिकी में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सर्वर रूम में तोड़फोड़ की घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि ये प्राथमिकी जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर पांच जनवरी को दर्ज की गई। इनमें एक प्राथमिकी में जेएनयू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष और सात अन्य छात्रों के नाम हैं। जबकि दूसरे में आईशी व 19 अन्य छात्रों के नाम हैं।

जेएनयू प्रशासन ने अपनी शिकायत में दिए थे छात्रों के नाम *एफएसएल* की टीमों ने जेएनयू हमले की जांच शुरू की।

जेएनयू प्रशासन ने तोड़फोड़ के सिलसिले में छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष समेत अन्य पदाधिकारियों के नाम दिए थे। पुलिस ने बताया कि सर्वर बंद करने की शिकायत तीन जनवरी को और सर्वर रूप में तोड़फोड़ की शिकायत चार जनवरी को दर्ज करवाई गई थी। इस बीच, जेएनयू परिसर में हुए हमले के सिलसिले में सबूत जुटाने के लिए फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कई टीमें मंगलवार को वहां पहुंचीं। बाकी पेज 8 पर

दीपिका पादुकोण पहुंचीं जेएनयू

जेएनयू परिसर में छात्रसंघ के प्रदर्शन के बीच मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पहुंचीं और उन्हें अपना समर्थन दिया। इस दौरान साबरमती ढ़ाबा पर सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। दीपिका की फिल्म 'छपाक' दस जनवरी रिलीज होने वाली है।

जेएनयू प्रोफेसर ने शिकायत दर्ज कराई

जेएनयू परिसर में रविवार को छात्रों और शिक्षकों पर हमले के दौरान सिर में चोट लगने से घायल हुईं जेएनयू की प्रोफेसर सुचरिता सेन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सेन ने कहा कि बाहरी लोग लाठी, छड़ और घातक हथियारों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में घुसे थे। उन्होंने कहा कि पहले उनके कंधे पर एक बड़े पत्थर से मारा गया और फिर उनके सिर पर वार हुआ, जिसके बाद काफी खून बहने लगे और वह जमीन पर गिर गईं।

नेसो ने हमले को क्रूरतापूर्ण बताया

पूर्वोत्तर छात्र संगठन 'नार्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन' (नेसो) ने जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों पर रविवार रात हुए हमले को क्रूरतापूर्ण करार देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस प्रतिष्ठित संस्थान के बेगुनाह छात्रों को सुरक्षा नहीं दे पाई। नेसो के सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने कहा– प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू हमले की जिम्मेदारी ली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

दक्षिणपंथी समूह हिंदू रक्षा दल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जेएनयू परिसर में हुए हमले की कथित तौर पर जिम्मेदारी ली है। यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और फिर यह वायरल हो गया। बाकी पेज 8 पर

कई देशों के राजदूत जल्द करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

खाड़ी समेत 15 से 20 देशों के राजदूतों का शिष्टमंडल जल्द जम्मू कश्मीर जाकर वहां सुरक्षा स्थिति की जानकारी ले सकता है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे पी 5 देशों के कुछ राजदूतों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास है लेकिन उनकी पुष्टि का इंतजार है। बाकी पेज 8 पर

भारत में पदस्थ करीब 15-20 राजदूत होंगे शामिल

ईरान संकट पर मोदी ने ट्रंप से की बातचीत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद उपजे ईरान संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। सितंबर 2019 के बाद दोनों के बीच यह पहली बातचीत है। मोदी और ट्रंप ने क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों को लेकर बातचीत की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बाकी पेज 8 पर

मोदी-ट्रंप के बीच बातचीत विदेश मंत्री एस जयशंकर और माइक पोंपिओ के बीच हुई विस्तृत वार्ता के दो दिन बाद हुई

प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं

मीडिया से बढ़ीं नजदीकियां सक्रिय हुए सभी नेता, दिल्ली में बनाने लगे चुनावी माहौल

बिलों से बाहर निकले 'आप' के नेता

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 7 जनवरी

दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के सभी नेता अचानक से सक्रिय हो गए हैं। इन नेताओं ने एकाएक सोशल मीडिया पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी व सरकार दोनों स्तर पर सीधे केंद्र सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। इस हमलावर रणनीति के जरिये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनावी माहौल बना किया है। इसका असर स्थानीय स्तर पर भी नजर आ रहा है, जहां विधायक उनके कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के आधार पर पोस्टर व होर्डिंग में वोट मांगते नजर आ रहे हैं।

करीब एक माह से लगातार तीन से चार जन सभाएं और इनमें जनता से जुड़ने को आम आदमी पार्टी ने अपना फार्मूला बनाया है। हालांकि बीते पांच सालों में जनता से पूछ कर काम करने का दावा किया गया था, जो इन बीते सालों में नजर नहीं आया। इसे विपक्ष भी अपना बड़ा हथियार बना रहा है। इसके अलावा नवंबर में धोखा दिवस मना कर भाजपा को कच्ची कॉलोनी के मामले में घेरने की भी आप ने कोशिश की।

इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अपने कामों के आधार पर ही चुनाव लड़ना होगा। इस वजह से अपने शुरुआती कार्यकाल में दूर-दूर रहने वाले नेता भी मीडिया से नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते अपराधों के लिए आम आदमी बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Monica Chawla W/O Nitin Sagar R/O House No-610/28, Street No-11,Near Geeta Ashram,Jyoti Park, Gurgaon, Haryana-122001 Have Changed My Name To Monica Goswami For All Future Purposes 0040526636-6

I,**Shashi** W/o-Ram Shankar Pandey R/o-H.No-I-47,Near State Bank,Welcome Sheelam pur-3,North East,Delhi-110053, Have Changed My Name Sushila Devi,For All Purposes. 0040526736-2

I,**Badri** Prasad S/o Bhure Lal R/o A394 J.J.Colony Bakkar Wala Delhi have changed my name to Badri Lal permanently. 0040526758-4

I,**Amit** Kumar S/o Mohan Lal Bansal R/o-WZ-31/C, Gali-No-1, Sri Nagar,Shakur Basti, Delhi-110034,have changed my name to Amit Kumar Bansal. 0040526736-1

I, hitherto known as Zabed Akhtar S/o Abdul Hakeem residing at-H.No.1320-A, Gali No-42, Jafrabad, Delhi-110053 have changed my name and shall hereafter be known as Javed Akhtar S/o Abdul Hakim. 0040526744-1

I, hitherto known as Jai Pal S/o Late.Sohan Lal residing at-H.No.G-25, Old-Seemapuri, Delhi-110095 have changed my name and shall hereafter be known as Jai Pal Singh. 0040526744-2

I, Yogesh Kumar S/o Sh. Rajinder Singh R/o S-26, 1st Floor, Back Side, Plot No.26, South Anarkali, Near Som Bazar, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Yogesh Kapoor for all purposes. 0040526691-1

I, Vijay Vir Singh S/o Satveer Singh R/o-RZ-1, Gali No.5, Raj-Nagar Part-1, Palam-Colony, Delhi-110045. have changed my name to Vijay Veer Singh. 0040526755-6

I, Varun Kumar S/O Uttam Kumar Prasad R/O A-302, Phase-1, Vijay Vihar, Rohini, Delhi-110085. Changed My Nameto Varun Kumar Prasad. 0040526792-6

I, Usha Khurana W/o Neeraj Kumar R/o A-56A Durya Vihar Khan Pur Delhi-110062 have changed my name to Usha. 0040526792-2

I, Teejo W/o Ram Nath R/o Ward No.02, Doomoli Kalan, Jhunjhunun, Teh-Buhana, Raj-333516, inform that my date of birth is 01.07.1975. It is true and correct statement. 0040526687-2

I, Suman Seharawat W/o Tarun Sehgal R/o Flat No.44, Plot no.28, Kamakshi Apartments, Sector-6, Dwarka South West Delhi, Delhi-110075. I have changed my name from Suman Seharawat to Suman Sehgal for all purposes. 0040526690-1

I, Shweta D/o Kripal Singh R/o-E-2/2, Police-Station, Defence-Colony, N.Delhi-110049 inform that Shweta Yadav and Shweta are one and the same person. 0040526792-5

I, Sarvesh S/o Arun Kumar H.No.887/30, Gali No.2, Kakroi Road, Vikas-Nagar, Sonipat (Haryana), have changed my name to Sarvesh Malik for all purposes. 0040526780-10

I,**Shashi** Agarwal W/o Anil Kumar R/o A-87 Saraswati Vihar Pitampura Delhi, have changed my name to Shashi Aggarwal permanently. 0040526758-10

I, SantoshKumar Jha S/o Indra Narayan Jha R/o Flat No. N8-1401, 14th Floor,Royal Nest, Plot No. GH-08B, Techzone 4, Greater Noida West, UP-201318, have changed name from Santosh Kumar Indra Narayan Jha to Santosh Kumar Jha for all future purposes. 0040526681-1

I, Sanjay Sharma S/o Mohan Lal Sharma R/o-B-6/163, Sector-7, Rohini Delhi-110085, changed my minor son's name Abhijay Sharma to Atul Sharma. 0040526780-3

I, Saloman Pillay alias Solomen alias Solomen Pillai alias Soloman S/o Late. Babu Lal Pillay R/o Ward No.38, Pathadhana, Chandangaon, Chhindwara, MP-480001, have changed my name and shall hereafter be known as Saloman Pillay in future for all purposes. 0070691568-1

I, Sachine Jain@ Sachin Kumar Jain@ Sachin Kumar S/o Sh.Devender Kumar Jain, R/o-C-2056, Ansal Sushant-City, Near-Parker Mall, Kundli, Sonipat-131028, Haryana have changed my name to Sachin Kumar Jain for all purposes. 0040526744-3

I Mithun S/o Manoj Kumar R/o House No-99, Gali No-3, Nehru Nagar, Patel Nagar, Delhi-110008, have changed my name to Mithun Kumar 0070691573-1

I Jasveer Kaur Gill D/O Arjun Singh Add-B-194 G/F Fateh-Nagar Delhi-110018, Changed My Name To Jasveer Kaur. 0040526809-1

I, Naveen Malik R/o 147/14, Ram Nagar, Bahadurgarh, Haryana have changed my minor daughter's name from Arohi to Aarohi for all purposes. 0040526799-1

I, SHANTY KUMAR S/o Shri.Narender Kumar, R/o 105/18, Gali No.1, Near-Parveen School Tara Nagar, Sonipat, Haryana-131001, have changed my name to Sunil Kumar for all purposes. 0040526744-8

I, Robin Singh S/o Rajpal R/o H.No.5210, Ward No.7, Block-D, Rajendra Park, Near Rajiv Gandhi High School, Gurgaon-122001, Haryana, have changed my name to Robin Singh Dahiya for all purposes. 0040526727-1

I, Riya Kapoor D/o Sanjeev Kapoor R/o 4/2826, Street No.1, Bihari-Colony, Shahdara, Delhi-110032 have changed my name to Riyaa Kapoor. 0040526755-3

I, Ritu Devi W/o Rajesh Sharma R/o 187, Govind-Khand Vishwakarma Nagar, Shahdara Delhi-110095. have changed my name to Ritu Sharma. 0040526755-7

I, Reena Vohra W/O Jaspal Singh, R/O F-220, Karampura, Delhi-110015. Have Changed My Name To Reena Kaur. 0040526755-1

I, Ramesh Chander S/o Late Sh.Radha Kishan R/o-B-52, Sanjay Nagar, Mangolpur-Kalan, Delhi-110085, have changed my name to Ramesh Chander Goyal. 0040526744-7

I, Rakesh Kumar S/o Gordhan Lal R/o-81/224 Double Storey New, Seelampur Delhi-110053, have changed my name to Rakesh Mathur. 0040526780-8

I, Priti Sureshchandra Agarwal W/o Devanand Agarwal R/o 3012 Sant Nagar Rani Bagh Delhi have changed my name to Priti Agrawal permanently. 0040526758-2

I, Prema Devi W/o Bechelal Shivram Pardeshi R/o RZ-199B, Raj Nagar Part-2, Palam Colony, Delhi-110077, have changed my name to PRIYA PARDESHI. 0040526791-1

I, Prem Singh Thakur S/o Sh. Baisakhi Ram R/o C-85, Pandav Nagar, New Delhi - 110092, My name is mention Prem Singh in my 10th Certificate, now I am adding the Surname Thakur. My correct name is Prem Singh Thakur for all purpose. 0040526743-1

I, Pratibha Sharma D/o Shri Hari Mohan Sharma R/o House No. 13, 2nd Floor, Nishant Kunj, Delhi-110034, have changed my name from Pratibha Plaha to Pratibha Sharma after my divorce. I shall be known as Pratibha Sharma in future. 0040526708-1

I, Mohmad Raza Khan S/o Mohd Israr R/o 2024 UGF Multani Mohalla Rani Bagh Delhi have changed my name to Mohd Raza permanently. 0040526758-8

I, Prakash Chand alias Prakash Chand Sharma S/o Sh.Pooran Mal Sharma R/o RZ-S-218, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041 have changed my name to Prakash Chand Bhardwaj for all purposes. 0040526680-2

I, Prabha Rani W/O Deepanshu Thakur R/O Flatno.22, Vasudha Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Prabha Thakur. 0040526792-7

I, PARVAIZ AHMAD MALIK S/o ALI MOHAMMED MALIK R/O-29/88(GF) West Patel-Nagar New DelhiI-110008. have changed my name to PARVEIZ AHMAD MALIK. 0040526780-7

I, Nida D/o Ghyas Ahmed R/o A-14/105B, block, A-14, 2nd Floor, DDA Flats, Inderlok, Delhi -110035 have changed my name from Nida to Nida Parveen for all future purposes. 0040526706-1

I, Monika@ Monika Jain, W/o Sh. Sachin Kumar Jain, R/o-C-2056, Ansal Sushant-City, Near-Parker Mall, Kundli, Sonipat-131028, Haryana have changed my name to Monika Jain for all purposes. 0040526744-4

I, Mohd Owais S/o Mohd Haroon R/o-5131, Gali-Laltan Wali, Quresh-Nagar, Sadar-Bazar, Delhi-110006. changed the name of minor daughter from Obaidiyah to Alisha. 0040526755-8

I, Mohammad Gholam Rasul S/O Syed Tahmidur Rehman R/O H.No-316, Gali No-3, Old Mustafabad, Delhi-110094, Changed my name to Syed Gholam Rasul for all Purpose in future. 0040526744-9

I, Mohammad Aasim S/o Mr.Nathu R/o CPJ-1/131, J-1 Block, New Seelampur, Delhi-110053 informs that name of my father is Nathu as mentioned in all my documents. Inadvertently, Mohd Nathu is mentioned in my High School Mark Sheet vide S.No.00159146 which may be amended accordingly. Nathu & Mohd Nathu is same person. 0040526680-3

I, Mehnaz Begum W/o Mohd Imtiaz R/o 194/B, 1st-Floor, Gali No.9, Wazirabad-Village, Delhi-110084 have changed my name to Mehnaaz Begum. 0040526755-4

I Rajinder Kaur W/o Surinder Singh R/o WZ 410A Second Floor Street No 22, Shiv Nagar,Delhi 110058 have changed my name to Ravinder Kaur for all purposes. 0040526805-1

I Puran S/O Chander Singh R/O E-08, Mukhram Garden, Tilak Nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Puran Singh. 0040526780-5

I, Meena Kumari W/O Sudesh Kumar R/O Wz-88, Jwala Heri, Paschim Vihar, Delhi-110063. Changed My Name To Meena Sharma. 0040526744-10

I, Mathew Thampi S/o Thampi Kanjiramattathil Raman R/o-25-C Pocket-B-8 Mayur Vihar-3 Delhi-110096, also Known as Mathew T. Correct name is Mathew Thampi. 0040526780-1

I, Mahesh Kanwar W/o Bheem Singh, Army No.1492121H, R/o Vill-Bhonawas, Teh-Kotputli, Distt.- Jaipur, (Raj)-303106, inform that in my husband service record my name wrongly mentioned Mahesh Kumari instead of Mahesh Kanwar. 0040526687-1

I, Mahesh Chandra Sharma S/o, Raj Narayan Sharma R/o-B-202, Metro-Vihar, Shastri-Park, Seelampur, Delhi-110053, have changed my name to Mahesh Chand R Sharma. 0040526792-4

I, Mahesh Chand Rawat alias Mahesh Chand S/o Aji Ram R/o-B-6, Ward No.-7, Nakshatra-Apartment, Mehrauli Plot, No.-C1065, Gadaipur, Delhi-110030. have changed my name to Mahesh Chand. 0040526792-8

I, Madhu Sharma W/o Sudhir Sharma R/o WZ-536 Gali-1 Shri Nagar Shakur Basti Delhi-110034 have changed my name to Madhu Yadav permanently. 0040526758-12

I, Lalita Kumari W/o Gyan Chand R/o Quarter No.04 Type-IV Officers Enclave, ITBP Campus, Tigri, New Delhi, have changed my name to Lalita for all purposes. 0040526810-1

I, Komal D/o Surender Rathore R/o 430, Sector-10, Gurgaon, Haryana, have changed my name to Komal Rathore for all purposes. 0040526705-1

I, Kailash Chand S/o Sh. Mohan Singh R/o F-50, Sangam Park, Maharishi Garden, Block-bfg, Khora, Ghaziabad, UP-201001, have changed my name to Kailash Bisht. 0040526726-1

I, KULDEEP KAUR W/o VIKAS GULATI R/o B-9/439, III-Floor, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. changed my name to KULDEEP GULATI. 0040526780-6

I, Jitender S/o Pitambar Choudhry R/o D-227, Punjabi Basti, Baljeet Nagar, New Delhi-110008. have changed my name to Jitender Choudhry. 0040526755-5

I, Ishan Kumar, s/o Mrityunjaya Kumar, r/o T3-502, CWG Village, New Delhi - 110092 have changed my name to Ishaan Singh. 0070691571-1

I, Iqbal Singh Chauhan S/o Sher Singh R/o 252 Fifth Floor Sunehri Bagh Apartments Sector-13 Rohini Delhi have changed my name to Iqbal Singh permanently. 0040526758-6

I, Hukam Singh S/o-Sh.Nanak Chand R/o-612/20,basai Road,Veer Nagar, Gurugram, Haryana,have changed my name to Hukam Chand for all future purposes. 0040526792-1

I, Himanshu Kumar, Plot No.626, Second-Floor, Sector 5, Vaishali, Ghaziabad, U.P.201010, Changed My Minor Child Name Eshaan Kumar To Ishaan Kumar. 0040526792-3

I, Ganpat Kumar Prajapat S/o Sh. Prabhu Ram R/o Prajapato Ki Gali, Kamba, Jalor, Rajasthan-307029, have changed my name and shall hereafter be known as Ganpat Kumar. 0070691570-1

I, Diwakar Joshi S/o Jogeshwar Prasad Joshi R/O-358, D.D.A.-Flats, Khirki-Village, Malviya-Nagar, Delhi-110017, changed my minor son's name Pushkal Joshi aged 6-years to Parth Joshi. 0040526780-4

I, Dinesh Chandra S/o Sh.Hari Dutt R/o-H.No.3433, Ward. No. 2, Parvatiya-colony, Sector-22 Faridabad-121005. Inform that Dinesh Chandra and Digamber Dutt Uprati one and the same person. 0040526678-1

I, Davesh S/o Arun Kumar H.No.887/30, Gali.No.2, Kakroi-Road, Vikas-Nagar, Sonipat (Haryana), have changed my name to Davesh Malik for all purposes. 0040526780-11

I, Bhavana W/o Nathiyal Noel Lal, H.No.964, Block-40-C, 2nd-Floor, 60 Foota-Road, Molar-Band-Extn., Badarpur, Delhi-110044. have changed my name to Bhavna. 0040526792-9

I, Arti Verma W/o Sachin Nischal R/O J-23, Rama Park Road, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-59, have changed my name to Arti Nischal for all purposes. 0040526707-1

I, Anmol Grover S/o Late Sh. Mahender Singh R/o-3258 Mahindra Park Rani Bagh Delhi-110034, changed my name to Anmol Singh Grover for all purpose. 0040526780-2

I Mohd Babuddin Saifi S/o Haji Bheeka Khan R/o-H.No-865 Gali.No-11 Rajiv Gandhi-Nagar New-Mustafabad Delhi-110094 Have Changed My name Mohd Babuddin Alli To Mohd Babuddin Saifi For All Purposes. 0040526744-5

I Zala Mahendrakumar Rameshbhai S/o Zala Rameshbhai Gokulji R/o 3140, Raval Vas, Vadama Patt, Kesni, Patan Gujrat-384225, have changed my name to Zala Mahendrasinhji Rameshji 0070691562-1

व्यक्तिगत

मैं SUNIL KUMAR S/O श्री DEV NATH R/O F6/396, HGI लेबर कॉलोनी सुल्तापुरी दिल्ली 110086 मेरे कुछ दस्तावेज में मेरा नाम RAJ KUMAR के रूप में गलत उल्लेख किया है, लेकिन मेरा सही और वास्तविक नाम सभी उद्देश्यों के लिए सुनील कुमार है।

मैं सुरेंद्र कुमार, पुत्र स्व. श्री तारा चन्द, निवासी एम-31, ब्लॉक एम, श्याम पार्क, नवादा, डी.के. मोहन गार्डन, पश्चिमी दिल्ली-110059 घोषणा करता हूँ कि मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों हेतु अपना नाम सुरेन्द्र, सुरेन्द्र गहलोत, सुरेन्द्र कुमार गहलोत से बदलकर सुरेन्द्र कुमार रख लिया है।

I, Anirudh alias Anirudh Sharma S/o Sh.Prakash Chand R/o RZ-S-218, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041 have changed my name to Anirudh Bhardwaj for all purposes. 0040526680-1

I, Amit Gupta R/o Orange-902, Gulmohur-Residency, AhinsaKhand-2, Indirapuram, Ghaziabad. have changed my daughter's name from Angela to Angela Vishnu. 0040526780-9

I, AJIT SINGH NARANG S/o ATTAR SINGH NARANG R/o RL-36, 1st floor, Ganga Ram Vatika, Village Chaukhandi, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to AJIT SINGH. 0040526684-1

I, Ajit Singh Rohilla, S/o Shri Pohap Singh R/o Quarter No. L, Block-119, Sector-4, M.B. Road, Pushp Vihar, New Delhi-110017, have changed my name from Ajit Singh to Ajit Singh Rohilla for all future purposes. 0040526693-1

I hitherto known as RAVINDER KUMAR ALIAS RAVINDER KHARBANDA S/O SHRI OM PRAKASH KHARBANDA RESIDENT OF 62-C, BLOCK-AN, SHALIMAR BAGH, DELHI-110088 occupation BUSINESS have changed my name and shall hereafter be known as RAVINDER KUMAR KHARBANDA.It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040526736-4

I S.Ravinder Pal singh alias Ravinder Pal Singh S/o Isher Singh Kohli R/o-23, 2nd-floor, Jangpura-Bhogal, DELHI-14, have changed my name to RAVINDER PAL SINGH KOHLI, for all purposes. 0040526744-6

I Rita Shukla, D/O Prakash Chandra Shukla Address-28b, Pocket-6, Mig Flats Mayur Vihar Phase-III, Vasundhra-Enclave Delhi-110096. Changed My Name To Shukla. 0040526755-2

PUBLIC NOTICE

This is to inform to public at large that my client Smt. Sudha Gupta W/o Sh. Yogesh Kumar Gupta R/o 224, 2nd Floor, Street No.9, Bholanath Nagar, Shahdara Delhi-110032 has severed all relationship from her son namely Sh. Paritosh Gupta @ Parth S/o Sh. Yogesh Kumar Gupta and his wife namely Preet Bhadawar W/o Sh. Paritosh Gupta @ Parth both R/o 224, 2nd Floor, Street No. 9, Bholanath Nagar, Shahdara Delhi-110032 from disowned/ debarred them from all relations her moveable and immovable properties as they have become disobedient and they are out of control of my client and my client has nothing to do with them. My client shall not be responsible for their acts, deeds. If any person deals with them then they will be doing that at their own risk, cost and consequences.

Sd/-
ASHWANI KUMAR SINGH (Advocate)
Ch. No.38, Near Treasury Gate, Tis Hazari Courts, Delhi-54.

PUBLIC NOTICE

Be it known to the general public at large on behalf of my client Smt. Poonam Gupta, W/o Late Sh. Ajay Gupta, R/o E-578, Ist Floor, Greater Kailash-II, Delhi-110048, that my aforesaid client has disowned and disinherited her Son Sh. Shivang Gupta, his wife Smt. Ruhi Gupta, and grand daughter Baby Kyraa from her all movable and immovable properties because they are out of control of my above said client. In case anybody deal with them, he/she/they shall do the same at his/ her/ their own risks, costs and consequences and my above named client shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

Sd/-
VARUN MITTAL (Advocate)
Ch. No. 328, Rohini Coruts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

It is publically declare that my client **ARUN KUMAR JHA @ Arun Jha S/o Shri RAMESHWAR R/o H.No : C-1/227, Gali No- 23, Khasra No- 241, Khajoori Khas, North East Delhi-110094**. Has disowned his son **JITENDER KUMAR** has severed all his connections and relations from his movable and immovable properties. If any person dealing with him, then my client and other family members will not be responsible for the same in any manner.

NEETU VERMA (Advocate)
E-304, Main 30 Futa Road, Khajoori Khas, Delhi-110094

PUBLIC NOTICE

Know by all that my client Shri Amit Kumar S/o Shri Nand Kishore R/o H. No. 238, Pitam Pura Village, Delhi 110034 has severed all his relationships with his daughter Sakshi and she shall have no claim over movable and immovable property of my client. Anybody who deals with her in any manner shall do the same on his /her own and my clients shall not be responsible for that.

Sd/-
SUDHIR SHOKEEN
Advocate
Ch. No. 1220, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

Be it known to all through this Public Notice that I, Sreekanth S Nair, (Herein referred to as Principal). S/o Sh. Sathyaseelan Nair, R/o H No. B-2904. Brigade Meadows, Kaggalipura, Kanakpura Road, South Bangalore, Karnataka.
1. That I, the principal above named, by the virtue of the general power of attorney dated 10.05.2019. as appointed Ms. Shweta Mehta (Hereinafter referred to as said power of attorney) as a true, lawful attorney and agent for me, in respect of my immovable property at Padmavilasam, Paurasamithi Road, Chittattukara Panchayat, Village Vadakkekara, (part). District Eranakulam, Kerala: 683522 and on my behalf to do. execute and perform all acts, deeds and things therein recited.
2. That because of some cogent reasons, that the attorney holder has filed a false criminal case against me and put undue influence and coercion against me. Under such coercion and undue influence, myself has to execute the abovesaid General power of attorney. Agreement to sell and possession letter without any consideration in the favour of attorney holder. Though the above-mentioned documents are without consideration was itself is void as were executed under influence. threat and without my free consent. However, for the sake of abundant care and caution this notice is hereby given for revoking and cancelling the above-mentioned documents.
3. That by this notice I, do hereby revoke/cancel the abovesaid General Power of Attorney dated 10.05.2019. Agreement to Sell dated 10.05.2019 and Possession Letter and absolutely and completely revoke all powers or authorities thereby and thereunder given to the attorney holder before revocation in respect of my above mentioned immovable property either expressly or impliedly, to all intents and purposes.

Sd/-
NAND KISHOR PWSWAN
ADVOCATE
ENRL.NO. D/316/2012

खोया+पाया

To be known to all that my client, Sh. Uttam Parkash Malhotra S/o Sh. Khem Chand R/o E-46, Kirti Nagar, New Delhi has lost/ misplaced original Allotment/ Demand Letter and Mutation Letter of Plot No.23, Pocket-1, Sector-13, Dwarka, New Delhi, vide DDA file No. S-3(56)OSB and the same not traceable till date. 0040526729-1

I, DHANI Lizbeth prakash D/o Prakash Daniel olaprath R/o-olaprath house-mathila kam po thrissur kerala-680685. have lost my original certificate/marksheet class-10th year-2013 Rollno-8116004 CBSE-Delhi. 0040526809-6

I, Harvinder Singh S/o S. Jagmohan Singh have lost Original Document of Property No. G-i-21, Lawrance Road, Industrial Area, Delhi .35. Area Measuring -400 Sq. yds, Form-C, Form-D, Possession Letter, Sanctioned Plan, Sanctioned Letter, Occupancy Certificate, Lease Deed, Power of attorney. Agreement to sell and related Documents of Property No. G-i-21. NCR LR No. 22946/2020 Dt. 7.01.2020 , Contact: 9560602225. 0040526753-1

I, KESHAV Das S/o Dilip chand R/o-26-A South anarkali near community centre Delhi-51 have lost my original certificate class-10th year-2015 Rollno-8125690 CBSE-Delhi. 0040526809-5

I, Madan Lal S/o Sh.Bhawani Ram R/o 1778, Ram Gali, Sohan Ganj, Subzi Mandi, Delhi have lost all original documents of property bearing No.D-3/222, Khasra No.140/141, Gali No.19, Circuler Road, Pusta-III, Sonia Vihar, Delhi-110094. Finders may contact at Mobile No. 9811750182. 0040526680-4

I, Rakesh Raghav S/o Ved Pal Singh Lost my all Semesters Marksheet of Diploma Roll No.977058.Year-2002 passout from Board of Technical Education Delhi. Finder Contact-9212105743. 0040526809-7

Lost Original Marksheet Class-X/XII Pass Year-2005/2007 Roll No.6118938/6613495 CBSE, Delhi Degree Marksheet B.Sc, DU-3050675 B.Ed Marksheet, PNB Passbook-0125001500022400, Pancard-EEJPS3913B, M.Sc Marksheet, AdmitCard, PNB Chequebook,Voter ID-TPE1708907, Neha Sharma, D/o Ravinder Kumar Sharma, 414. Street No.2 Chanderlok Shahdara Delhi-93. 0040526809-4

I Samina Begum D/o Abdul Mugni R/o 15, Street No.4-D, Aram Park, Shastri Nagar, Delhi-110031, have lost original GPA, Agreement to Sell, Will, Afidavit, Receipt & Possession Letter dated 27-06-1994 executed by Mohd. Shabbir in favour of Mohd Khalil of abovesaid property. Finders may contact at Mobile No. 8375924714. 0040526680-5

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large on behalf my client **Vijay Kumar S/o Shri HOSHILA PRASAD,** aged about 28 years **Miss Geeta D/o HOSHILA PRASAD,** age about 26 years, **Ajay Kumar S/o Shri HOSHILA PRASAD** aged about 24 years, R/o A-1824, AGAAR NAGAR PREM NAGAR, PREM NAGAR 3, Delhi-110086. That we disown our brother whose name is RAJKUMAR and whose D.O.B is 24.05.1989 and whose UIDAI no. is 904042171264 and pan no is DQGPK2749H. **Deponent- 1. Vijay Kumar 2. Geeta 3. Ajay Kumar.**

Sd/-
SUPRABH KUMAR ROSHAN
ADVOCATE
CHAMBER NO. 351,
PATIALA HOUSE COURT,
NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

I for and on behalf of my clients Sh. Ram Kishan S/o Late Sh. Duliya Ram and Smt. Sudesh Devi W/o Sh. Ram Kishan both Permanent R/o VPO Assan, Distt. Rohtak, Haryana, Presently residing at H.no. 335, Ishwar Colony, Bawana, Delhi-39 do hereby inform the public at large that my clients have debarred, and dis-inherit their son Yogesh from their movable and immovable properties and further they have severed their relations with their son Yogesh forever and they will not be responsible for his actions in future in any manner and anyone dealing with him shall be doing so at his own risk and cost.

Sd/-
PRADEEP AHLAWAT
ADVOCATE
ENRL. NO. D-1336/09
MOB:-9899774907

PUBLIC NOTICE

My Client "Sh. **Raghubir Singh S/o Sh. Sohan Lal and Smt. Nirmal Devi W/o Sh. Rahubir Singh both R/o L-2, B-Block, H.No. 2, Mohan Garden, Near Lucky Chowk, Uttam Nagar, New Delhi-110059** hereby disown/ debar their son **Mr. Gaurav and his Wife Shikha (Daughter in law) and his daughter Khawaish (Grand Daughter)** from their all movable and immovable properties and severe all relation with them and further declare that whomsoever deal and concern with them will be at his/her own risk.

Sd/-
SARVESHWAR JHA (Advocate)
Seat No.27, P.S. Rathi Block, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

It is notified for the information of general public that my client **Sh. Daulat Ram Sharma** S/o Shri Braham Das Sharma R/o D-9, Gali No.5, Raja Puri East, Uttam Nagar, New Delhi-110059 has severed all his relations and connections with his son **Shri Umesh** because he is out of control of my client & has debarred him from his all moveable & immoveable properties. Anybody deals with him at his/her/their own risk, cost & expenses. My client shall neither liable and responsible for his acts, deeds and things under any circumstances.

G.S. Singh (Advocate)
S.R.-II, Janakpuri, New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large on behalf of my client Sh. HOSHILA PRASAD, Age about 54 years, S/O Shri NANHU, **Miss Krishna Wati** age about 50 year W/o SH Hoshila Prasad R/o A-1824, AGAR NAGAR PREM NAGAR, PREM NAGAR 3 Delhi-110086. That we disown our son whose name is RAJKUMAR and whose D.O.B is 24.05.1989 and whose UIDAI no. is 904042171264 and pen no is - DQGPK2749H.
That from today onwards 06.01.2020 we did not have any moral relationship with him and he will not have any kind of right and title on my property (Movable/Immovable) acquire by me in my life time or after my death.
Deponent
Sh. Hoshila Prasad
Krishna Wati

Sd/-
SUPRABH KUMAR ROSHAN
(Advocate)
CHAMBER NO. 351,
PATIALA HOUSE COURT, NEW DELHI

सूचना मंत्री ने 30 मीडिया संस्थानों को किया सम्मानित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने योग के जरिए स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए 30 मीडिया संस्थानों को मंगलवार को पुरस्कार प्रदान किया। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान तीन श्रेणियों में प्रदान किया गया।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले मीडिया संगठनों में असमी भाषा में जन तिरंगा 90.4, बांग्ला भाषा में एफएम रेनबो, कन्नड़ में आल इंडिया रेडियो मेदिकेरी, मलयालय में आल इंडिया रेडियो तिरूवनंतपुरम, मराठी में आल इंडिया रेडियो औरंगाबाद, नेपाली में रेडियो मिस्टी, तमिल में हेलो एफएम, तेलगू में आल इंडिया रेडियो हैदराबाद, हिन्दी में आल इंडिया रेडियो रामपुर (यूपी), हिन्दी में फीवर 104 एफएम, हिंदी में ही आल इंडिया रेडियो नई दिल्ली, गुजराती में संदेश न्यूज अहमदाबाद, ओडिसी में ओड़ीशा टीवी लिमिटेड, तमिल में दूरदर्शन केंद्र चेन्नई, उर्दू में डीडी केंद्र श्रीनगर, हिंदी में डीडी न्यूज नई दिल्ली, हिन्दी में ही सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर, दूरदर्शन नई दिल्ली शामिल हैं।

पुरस्कार प्राप्त करने वालों में दैनिक अग्रदूत, दिसपुर, मिड डे मुम्बई, उदयवाणी बेंगलूर, दैनिक नवप्रभा, ओडिशा एक्सप्रेस, संचलाना व्रथा पत्रिका, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, नई दुनिया इंदौर, प्रभात खबर रांची, देश प्राण रांची व दैनिक नवई दुग्गर शामिल हैं।

जावड़ेकर ने इस सम्मान को अनोखा करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अपने तरह का पहला ऐसा समारोह है जो मीडिया संगठनों के नये प्रयासों एवं चलन को मान्यता देने वाले हैं। यह पहल समाचार, विचार, विज्ञापन से आगे बढ़कर समाज के वृहद फायदे के लिए मिशन की तरह काम करने से जुड़ा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया संगठन सुराज को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिये काम कर रहे हैं जहां सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और दृष्टि के कारण योग को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला है।

इस मौके पर आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने योग दिवस मीडिया सम्मान की नई पहल शुरू करने के लिये प्रकाश जावड़ेकर को धन्यवाद दिया ।

सांबा में बीएसएफ छावनी उड़ाने की साजिश नाकाम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सांबा जिले में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पंजटीला स्थित बीएसएफ छावनी में कमांडिंग अधिकारी के नाम से आइइडी और विस्फोटकों से भरा एक पार्सल भेजा गया। शक होने के बाद सेना के बम निरोधक दस्ते को वहां बुलाया गया और आइइडी को निष्क्रिय किया गया।

> कमांडिंग अधिकारी के नाम भेजा गया आइइडी भरा पार्सल

पार्सल में आइइडी भेजकर विस्फोट कराने की साजिश का यह पहला मामला सामने आया है। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोग बीएसएफ की बटालियन के मुख्य गेट तक पहुंचे और वहां तैनात जवानों को यह पार्सल थमा दिया। जिनके नाम से यह भेजा गया था उन्होंने कोई पार्सल मंगाने या भेजने वाले के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। उसके बाद पार्सल की जांच की गई, जिसमें उसके भीतर आइइडी होने का पता चला। पार्सल में से कुछ विस्फोटक, बैटरियां और एक डिटोनेटर मिला।

राजौरी में सीमा के पास 1800 से ज्यादा बंकर बनाए गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर विभिन्न गांवों में 1800 से ज्यादा बंकर बनाए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार राजौरी के जिला विकास आयुक्त मोहम्मद नजीर शेख की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह बात कही गई। जिले में बंकर निर्माण की समीक्षा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। ग्रामीण विकास विभाग के तहत बंकर निर्माण पर बैठक में बताया गया कि 1892 बंकरों में से 306 शिलान्यास के स्तर पर, 216 ढांचा निर्माण के स्तर पर, 220 स्लैब निर्माण के स्तर पर हैं तथा 1066 का निर्माण पूरा हो गया है। वन विभाग की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से 84 बंकरों में काम शुरू नहीं हो पाया।

> ●1892 बंकरों में से 306 शिलान्यास के स्तर पर, 216 ढांचा निर्माण के स्तर पर, 220 स्लैब निर्माण के स्तर पर हैं तथा 1066 का निर्माण पूरा हो गया है।

मुथूट फाइनेंस कंपनी के एमडी हमले में घायल

कोच्चि, 7 जनवरी। मुथूट फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के वाहन पर मंगलवार सुबह यहां कथित रूप से शरारती तत्वों ने पथराव किया। इस हमले में वे घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके सिर में चोट लगी है। (**भाषा**)

PUBLIC NOTICE

I, Amaresh Sikder S/o Sh. Narender Nath Sikder R/o 119/102, Chinti Marg, Gali No. 3B, A-Block, Mukand Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094, declare that correct name of my son as "Ashish Sikder" for all purposes as all the documents (educational and Aadhar Card) are in the name of my son as "Ashish Sikder" but the name of my son has been inadvertently written as "Ashish" in the examination form of 10th class.

(AMARESH SIKDER)

PUBLIC NOTICE

I, MUKESH CHHATLANI S/o Late Purshotam Dass Chhatlani, R/o KD-5-B, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052, am the owner and in possession of Flat No. KD-5-B, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052. The Possession Slip, NOC for water and electricity alongwith other miscellaneous documents pertaining to above said Flat has been lost/misplaced and not traceable till date against which the Complaint has been lodged vide LR No.19657/2020, on 06.01.2020, if any body found, the same may be submitted or contact to me.

MUKESH CHHATLANI
 # 9311037027

PUBLIC NOTICE

It is for general information that SHRI NIWAS SINGH S/o SHEESH RAM, R/o Plot No. A-6, Flat No. GF-2, Ground Floor, Block-A, Brij Vihar Chander Nagar, Ghaziabad-201011, Uttar Pradesh, declare that name of my father has been wrongly written as SHEESH RAM SINGH, in my Educational and other Documents. The actual name of my father are SHEESH RAM respectively, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is publicly informed that my client Mr. Vikas Jain S/o Sh. Kailash Chand Jain R/o BN-31, West Shalimar Bagh, Delhi is going to purchase First Floor and Second Floor of Property No. 39, Block-Hathi Khana, on Bahadurgarh Road, Delhi, which belongs to Shri Madan Gopal Gulati, Shri Ram Parkash Gulati, Shri Ashok Kumar Gulati & Shri Pradeep Gulati S/o Late Sh. Nand Lal Gulati R/o 39, Hathi Khana, Bahadurgarh Road, Delhi., If any person(s)/Bank/financial institution who claims to have any

ऐ भाई...

प्रेस कांफ्रेस में मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।

शाह के बयान पर 'आप' का पलटवार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे योजना पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली सरकार पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि यह झूठ पकड़ा गया है और इसे आप पार्टी सरकार द्वारा लगाए गए कैमरों में कैद किया गया है। अमित शाह हाल ही में जिन भी बैठकों में गए हैं, वहां पर आप पार्टी ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि दिल्ली के महत्त्वपूर्ण स्थानों व बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वादे को अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता ने जिस क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रचार किया। उस गली में भी 16 कैमरे लगाए थे। इसके अतिरिक्त वे जिस घर तक पहुंचे थे, वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। ये सभी कैमरे आप पार्टी की सरकार ने लगाए हैं। उन्होंने बताया कि हमने वादा किया था कि डीटीसी बसों में, गलियों में और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। हमने कहीं भी 15 लाख कैमरे लगाने की बात नहीं कही थी। उन्होंने बताया कि डीटीसी बसों में भी सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं।

'अफवाह फैलाने वाले लोग देश के हितैषी नहीं'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

नागरिकता कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को एक विशेष अभियान शुरू किया। इसी के तहत मंगलवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर मोती बाग स्थित मद्रासी शिविर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है लेकिन कुछ लोग जानबूझकर समाज में गलतफहमी पैदा करके उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। वह देश के हितैषी नहीं हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक करण सिंह तंवर, प्रदेश प्रवक्ता टीना शर्मा, जिलाध्यक्ष भारत भूषण मदान समेत अन्य नेता शामिल थे।

नागरिकता कानून की आलोचना दुखद : लेखी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि कि जो लोग भारत में 28 से 30 सालों से रह रहे हैं, वे अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में नहीं करवा सकते, घर नहीं खरीद सकते क्योंकि उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने निर्भया मामले में डेथ वारंट जारी कर दिया है। आरोप लगाया कि 'आप' सरकार ने मामले में भी देरी करने की कोशिश की और हैदराबाद में हुई घटना के बाद ही उन्हें यह अहसास हुआ कि इसमें विलंब होने से दिल्ली सरकार पर सवाल उठेंगे।

भाजपा के घोषणापत्र में अहम हो सकता है बिजली बिल

दिल्ली सरकार से ज्यादा राहत का वादा देने की चल रही है तैयारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

आम आदमी पार्टी (आप) आगे-आगे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उसके पीछे-पीछे। 'आप' की सरकार ने सत्ता में आने के बाद शून्य से 200 और 201 से 401 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत दी थी। यही वजह है कि इस बार 400 यूनिट तक की छूट के दायरे में मध्यवर्गीय परिवार भी आए गए हैं। यह राहत कार्ड ही 'आप' का सबसे बड़ा मास्टरकार्ड रहा। अब इसी जीरो बिल के कार्ड को भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए अपना बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने पर इससे भी बड़ी राहत देगी इसमें मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाना शामिल होगा। यह ऐलान भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है।

संभावना जताई जा रही है कि भाजपा 14 जनवरी तक अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगातार बिजली की दरों के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा था। 'आप' की सरकार ने सत्ता में आने के बाद बिजली बिल में राहत दी। यह राहत कार्ड ही आप पार्टी का सबसे बड़ा मास्टर कार्ड है। इस कार्ड को तोड़ने के लिए भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्र में अधिक बिजली राहत देने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव घोषणा पत्र समिति ऐसी ही कई योजनाओं को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी बिजली के अनाप शनाप बिलों को लेकर बवाल है। इन बिलों की भी एक लंबी सूची पार्टी ने तैयार की है। इसके लिए जल्द ही एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू कराया जाएगा और आप पार्टी को घेरने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त यमुना नदी को स्वच्छ बनाने लिए भी भाजपा ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। इस प्लान को भी चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। इस प्लान को जल्द ही भाजपा सांझा करेगी।

'21 साल बाद खत्म होगा वनवास'

दिल्ली के चुनाव की तारीखों की घोषणा का भाजपा ने स्वागत किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयार है। यह चुनाव भाजपा का 21 साल का वनवास खत्म करेगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि 'आप' एक मौका परस्त और प्रलोभन की सरकार है।

चुनावी वादा

चुनाव के लिए बनी कोर कमेटी

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कोर ग्रुप का गठन किया है। कोर ग्रुप सभी सीटों से लोगों के नाम लेगा। इसके बाद हर सीट पर चार-चार नाम की एक सूची पार्टी को सौंपेगा।सूची प्रदेश भाजपा केंद्रीय समिति को सौंपेगी। इसे भाजपा अपने चुनावी चेहरे का आधार बनाएगी।

9 जनवरी को होगी युवा बाइक रैली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी 9 जनवरी को एक बाइक रैली निकालेगी। दिल्ली युवाओं ने इस रैली का आह्वान किया है और भाजपा ने इसका समर्थन किया है। यह रैली जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ है।

20 जनवरी तक आएगा 'आप' का चुनावी घोषणापत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

आम आदमी पार्टी (आप) का चुनाव घोषणा पत्र 15 से 20 जनवरी के बीच आएगा। इस घोषणा पत्र के लिए पार्टी ने एक तीन स्तरीय विशेष टीम तैयार की है। मंगलवार को प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि इस समिति अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी होंगी। इसमें डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह व प्रवक्ता डॉ अजोय कुमार बतौर सदस्य रखा गया है। यह कमेटी टॉउन हॉल व डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से आम जनता से मिले सुझाव के आधार पर चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी।

गोपाल राय ने बताया कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए अब तक जो टाउन हॉल बैठक हुई हैं। ये बैठक और आम जनता से घर-घर जाकर मिले सुझावों के आधार पर यह घोषणा पत्र को तैयार होगा। इस समिति का काम आम आदमी पार्टी की सरकार की क्या प्राथमिकताएं तय करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र इस आधार पर तैयार होगा कि पिछले कामों को भी भविष्य में जारी रखा जा सके।

भाजपा और कांग्रेस से 'आप' में हुए शामिल

भाजपा और कांग्रेस के कई नेता मंगलवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इन नेताओं ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। इन्हें पार्टी नेताओं ने पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में फरीद शाह, पूर्व पार्षद प्रत्याशी बीएसपी, पूर्व भाजपा नेता व हाजी रफत अली साहब (जहांगीरपुरी ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस) शामिल हैं। इनके समर्थकों ने पार्टी की सदस्यता लेने की घोषणा की।

कमजोर अगुआई, पर कांग्रेस ने आस टिकाई

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

सुभाष चोपड़ा और कीर्ति आजाद में नहीं दिखता करिश्माई नेतृत्व

दिल्ली में लंबे समय तक सूबे में हुकूमत कर चुकी कांग्रेस सत्ता वापसी की जंग में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा या चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद के कमजोर नेतृत्व के सहारे कांग्रेस शून्य से आगे बढ़कर सत्ता का वह जादुई आंकड़ा कैसे हासिल करेगी।

चुनौती

कांग्रेस के पास किसी जमाने में एचकेएल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, दीपचंद बंधु, रामबाबू शर्मा और शीला दीक्षित जैसे चमकते चेहरे थे। लेकिन इनमें से कुछ दंगों की दाग की वजह से दागदार हो गए तो कुछ गुजर गए। शीला दीक्षित के व्यक्तित्व में दिल्ली के लोग किस कदर भरोसा करते थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्सी पार की उम्र में भी लोकसभा के चुनाव में खम ठोकर मैदान में उतरी इस पूर्व मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी को पीछे धकेल कर दिल्ली में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली। लेकिन उनके गुजर जाने से कांग्रेस के सामने नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की चुनौती आ गई।

केंद्रीय मंत्री रहे अजय माकन ने अध्यक्ष पद छोड़कर खुद ही अपने आप को नेतृत्व के मामले में किनारे कर लिया। सूत्र बताते हैं कि सूबे का नया प्रदेश अध्यक्ष तय करने के लिए हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने माकन से उनके स्वास्थ्य के बहाने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वे दोबारा दिल्ली कांग्रेस की अगुआई को तैयार हैं, लेकिन माकन ने मना कर दिया। दूसरी ओर शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित भी सामने आकर नेतृत्व संभालने को तैयार नहीं हुए। हालांकि पार्टी के कुछ नेता ऐसा कहते हैं कि यदि कांग्रेस हाईकमान ने दीक्षित को बुलाकर नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी दी होती तो शायद वे इनकार नहीं कर पाते। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली अध्यक्ष पद के लिए कीर्ति आजाद का नाम तय कर दिया था। लेकिन भाजपा से कांग्रेस में आए इस नेता के खिलाफ दिल्ली के जमीनी कांग्रेसी नेता इकट्ठे हो गए और पार्टी हाईकमान के सामने यह दलील दी कि भाजपा से कांग्रेस में आए आजाद को पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पाएगा और चुनावी साल में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ऐसे में किसी ऐसे नेता को यह जिम्मेदारी दी जाए जो सभी को एकसाथ लेकर चल सके। परिणाम यह हुआ कि आखिरी क्षणों में आजाद का नाम अध्यक्ष पद से हटाकर अभियान समिति के प्रमुख के तौर पर तय हुआ और सुभाष चोपड़ा अध्यक्ष बनाए गए। दोनों को इस ताकीद के साथ दिल्ली की बागडोर सौंपी गई कि दोनों मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पंजाबी समाज से ताल्लुक रखने वाले चोपड़ा मजबूत व प्रभावशाली पंजाबी समाज को वापस लाएंगे तो पूर्वांचल के मतदाताओं को कीर्ति आजाद साधने का काम करेंगे।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक
www.bankofbaroda.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पात्र और सक्षम संगठनों से निम्नलिखित कार्य हेतु आवेदन सहित प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है:

''बैंक और बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर भर्ती के लिए मानव संसाधन भर्ती कंसल्टेंट्स का इम्पैनलमेंट''

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट: www.bankofbaroda.in के 'निविदा' खण्ड में उपलब्ध है.

आरएफपी दस्तावेज में संशोधन सहित किसी भी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र को केवल बैंक की वेबसाइट: www.bankofbaroda.in के निविदा खण्ड में अधिसूचित किया जाएगा. प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें.

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2020 को शाम 5:00 बजे तक है.

स्थान: वडोदरा
दिनांक: 8 जनवरी, 2020

प्रमुख
नीतिपरक एचआर एवं एचआर एकीकरण

107/19-20

IIM LUCKNOW
भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ

प्रबन्धन विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान
जनवरी 2020		
कृषि इनपुट विपणन	13-17	लखनऊ
सामरिक मानसिकता का विकास	20-22	नोएडा
निर्णय लेने के लिए वित्त (गैर-वित्त अधिकारियों के लिए)	20-24	लखनऊ
बिक्री और वितरण प्रबंधन भारतीय बाजारों में उत्कृष्टता	22-25	लखनऊ
रणनीति और नवाचार के लिए डिजाइन सोंच	28-31	लखनऊ
प्रबंधकीय सफलता के लिए प्रभावी संचार	29-31	लखनऊ
फरवरी 2020		
प्रबंधकीय प्रभाविकता	3-7	नोएडा
परियोजना प्रबंधन	3-7	लखनऊ
निर्णय लेने के लिए व्यवसाय का वित्तीय विश्लेषण	4-7	नोएडा
कॉरपोरेट उद्यमिता और नवाचार	10-13	लखनऊ
खुदरा व्यापार का प्रबंधन	10-14	लखनऊ
नेतृत्व संचार और छवि प्रबंधन अनुनय और प्रभाव रणनीतियाँ	24-28	लखनऊ
कृषि व्यवसाय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध	फरवरी 28 मार्च 3	लखनऊ

कृपया विजिट करें: http://www.iiml.ac.in/open-programmes
या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एमडीपी) को लिखें
भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ
प्रबंध नगर, आईआईएम रोड, लखनऊ. 226013.
फोन: 0522-6696282-3/8 | फैक्स: 0522.2734026/5
E-mail: mdpoffice@iiml.ac.in; mdp@iiml.ac.in

"Let Our Lives Be Open Books"
- Mahatma Gandhi

थीम प्रस्तुति
गांधी : लेखकों के लेखक

नई दिल्ली
विश्व पुस्तक मेला
04-12 जनवरी 2020

NEW DELHI
WORLD BOOK FAIR
04-12 JANUARY 2020

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
महात्मा गांधी की स्मृति जयंती

कार्यक्रम ◆ PROGRAMME ◆ WEDNESDAY, 8 JANUARY 2020

थीम मंडप (हॉल नं. 7ई)

समय	विषय	संस्था
11.30 से 1.00 बजे	गांधीजी पर आधारित पैनल चर्चा : बहुरूप गांधी विद्वान : श्री सुरेश शर्मा, श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री राजीव राज तथा शशि प्रभा तिवारी	न्यास द्वारा प्रस्तुत
2.30 से 4.00 बजे	गांधीजी का शिक्षा तथा भाषाओं के प्रति नज़रिया विद्वान : प्रो. अख्तर-उल-वासे, प्रो. रिजवान कैशर तथा श्री कुर्बान अली	एनसीपीयूएल द्वारा प्रस्तुत
4.30 से 6.00 बजे	सुरम्य ग्रुप की ओर से गांधी जीवनी की नृत्यमय पेशकश	न्यास द्वारा प्रस्तुत

AUTHOR'S CORNER (HALL NO. 8)

Timings	Event	Organiser
2:30 pm to 3:30 pm	Discussion on "Essential Vivekananda"	National Book Trust, India in collaboration with Bharatiya Shikshan Mandal
4:00 pm to 5:00 pm	Manoshi Sinha Rawal Discussion on Untold History of our country & how our ancestors defended against invaders	Garuda Prakashan
5:30 pm to 6:30 pm	UPSC Syllabus & FAQs	Saraswat Books

SEMINARS & DISCUSSIONS
Auditorium of Hall No. 8 (first floor)

Timings	Event	Organiser
11.30 am to 1.00 pm	Discussion : Laghukatha Ka Vikaskram	Indian Society of Authors
2.00 pm to 3.30 pm	Readings : Ek Shaam Dhohon Ke Naam	Indian Society of Authors

लेखक मंच (हॉल नं. 12)

समय	विषय	संस्था
11.00 से 12.15 बजे	नवीन चौरे की 'कोहरा बना है' की पुस्तक पर परिचर्चा : संजय गिरी	पेंग्विन रेंडम हाउस
12.30 से 1.45 बजे	कार्यशाला आयोजन : डा. अशोक सेवलटकर	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
2.00 से 3.15 बजे	नई भाषा पर बात: मधुसूदन आनंद निदेशक	भारतीय ज्ञानपीठ
3.30 से 4.45 बजे	गोष्ठी/परिचर्चा: राहुल भारद्वाज	यश पब्लिकेशन
5.00 से 6.15 बजे	परिचर्चा	राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद
6.30 से 7.45 बजे	भारतीय संविधान पुस्तक पर परिचर्चा: अमित जैन	चाक्य वार्ता

CHILDREN'S PAVILION — Hangar near Hall No. 7

Timings	Event	Presented by
11.00 am to 1.00 pm	1. Digital Storytelling & North East stories 2. Writing letters on/to Bapu 3. Writing Letters to Someone Dear 4. A Programme on "Rights of Children"	NCCL, NBT, India Happy Horizons Trust Nav Prabhat Jan Sewa Sansthan LAW 24×7
2.30 pm to 4.30 pm	Panel Discussion on Mahatma Gandhi's Writings Right	DSBPA

NATIONAL CONCLAVE FOR READING AND BOOK PROMOTION
Conference Hall, First Floor, Hall No. 7

Timings	Events	Presented by
11.00 am to 4.00 pm	A Meeting of State Project Directors and Other Stakeholders	National Book Trust, India

◆ Entry Gates 1 & 10 ◆ Entry free for Children in school uniform - Senior Citizens - Differently abled
◆ Tickets available at Gate 1 & 10 / bookmyshow.com / itpoonline.com & select metro stations

सहयोग/Supported by Ministry of Human Resource Development Government of India
आयोजक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
Organiser NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
सह-आयोजक/Co-organiser इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन INDIA TRADE PROMOTION ORGANISATION

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	18.8 डि.से.	19.0 डि.से.	14.0 डि.से.	14.0 डि.से.
न्यूनतम	11.3 डि.से.	9.0 डि.से.	12.0 डि.से.	12.0 डि.से.

इमारत में लगी आग, तीन की मौत

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 7 जनवरी।

गाजियाबाद के प्रताप विहार कॉलोनी में मंगलवार देर शाम अचानक 10 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लैट में आग लग गई। जैसे ही लोगों ने फ्लैट से धुआं निकलता देखा तो स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। आग बुझा के दौरान फ्लैट के अंदर दो पुरुष और एक महिला की लाश जली हालत में देखी गई तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहन जांच में जुट गई। हालांकि शुरूआती जांच में पता चला है कि बिजली के शार्ट सर्किट के कारण कमरे में रखे सामान में आग लगी और जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें बिजली का करंट लगा था।

जानकारी के मुताबिक मूल निवासी बांदा बच्चू सिंह (50) और उनकी पत्नी शकुंतला (34) और छोटा भाई राम नारायण (45) की लाश मिली। फ्लैट में उनके तीन बच्चे इस फ्लैट में रह रहे थे। यह पूरी इमारत जीडीए के द्वारा बनाई जा रही है यह पूरी इमारत खाली है बच्चू सिंह जीडीए में सुपरवाइजर था। जिसके कारण अभी इस फ्लैट में रहने की अनुमति उसे मिली हुई थी। मंगलवार शाम चौकीदार ने फ्लैट से धुआं निकलता देखा तो उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और फ्लैट में लग रही आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। साथ ही इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को भी दी गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एसपी सिटी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस को 100 नंबर पर सूचना मिली थी कि प्रताप विहार के एच ब्लॉक की 10 मंजिला इमारत के फ्लैट नंबर 107 में आग लगी है। जिसके आधार पर दमकल विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची अंदर देखा तो बच्चू सिंह उनकी पत्नी शकुंतला और उनका छोटा भाई राम नारायण की जली हुई अवस्था में लाश पड़ी हुई थी।

कहा था, दस मिनट में पहुंच रहा हूं घर

छह घंटे बाद मिला शव

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 जनवरी।

'दस मिनट में घर पहुंच रहा हूं...अभी पर्थला चौक पर हूं'। यह बात कहकर पति ने फोन काट दिया। उसके बाद पत्नी ने कई बार फोन मिलाया, जो बंद बताता रहा। परिजनों ने सोमवार देर रात ही पर्थला चौक से घर आने वाले कई रास्तों पर उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार तड़के करीब सवा चार बजे उनका शव हिंडन विहार स्टेडियम के पास सर्विस रोड के किनारे लहूलुहान हालत में मिला। मृतक गौरव चंदेल गुरुग्राम स्थित कंपनी से ग्रेटर नोएडा पश्चिम स्थित अपने घर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। लूट के इरादे से हत्या या अन्य किसी साजिश के आधार पर थाना फेज थ्री पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मंगलवार शाम आ गई जिसके मुताबिक, उनके सिर में पीछे से गोली मारी गई थी। वह गोली उसके सिर में फंस गई थी। पोस्टमॉर्टम के बाद यह गोली उनके सिर से बरामद की गई। हालांकि इस दौरान उसके हाथापाई हुई या नहीं, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

सूचना मिलने पर एसएसपी वैभव कृष्ण भी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। मौके से गौरव की कार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व पहचान पत्र समेत अन्य सामान गायब हैं। मूलरूप से कानपुर के रहने वाले गौरव चंदेल ग्रेटर नोएडा पश्चिम स्थित गौड़ सिटी में रहते थे। सोमवार रात को

मामले की जांच में जुटी पुलिस।

गौरव चंदेल का फाइल फोटो।

गौरव गुरुग्राम स्थित कंपनी से घर आने के लिए गाड़ी से निकले थे। रात करीब साढ़े 10 बजे गौरव की पत्नी प्रीति ने फोन किया। फोन पर महज चंद मिनट बात हुई। गौरव ने खुद को पर्थला चौक पर होने की जानकारी देते हुए 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कहकर फोन काट दिया। करीब आधे घंटे बाद भी गौरव के घर नहीं पहुंचने पर पत्नी ने कई बार फोन किया लेकिन हर बार फोन बंद बताता रहा। उसके बाद परिजनों ने मिलकर गौरव की तलाश शुरू की। इसी दौरान परिजनों ने गढ़ी चौखंडी पुलिस को मामले की सूचना दी। काफी तलाश करने पर भी जब कुछ पता नहीं चला तो गढ़ी चौखंडी चौकी पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की। थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सुबह 10 बजे फोन कॉल डिटेल मिलने के बाद आने को कहा।

'पुलिस इंतजार न करती तो बच सकती थी जान'

तीन घंटे तक थाने में बैठाने की बजाए अगर पुलिस गौरव की तलाश करती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। रो-रो कर यह कहना था गौरव की पत्नी प्रीति और परिजनों का। इस दौरान उन्होंने थाने का घेराव किया और आरोपियों की तलाश के लिए गुहार लगाते रहे। घर में 10 साल का एक बेटा है सहारा कोई नहीं दादा की पहले ही मौत हो चुकी थी। पिता का साया अब नहीं है। बेटे को शायद अब तक नहीं पता कि उसके पिता नहीं रहे। कानपुर में भी चाचा-चाची के अलावा कोई नहीं है।

बर्फबारी का मजा लेने के लिए कार लूटने का आरोप, पांच गिफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

पांच दोस्तों ने अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर शिमला और मनाली में हो रही बर्फबारी को देखने और घूमने का विचार बनाया। लेकिन उनके पास जाने के लिए गाड़ी नहीं थी। पांचों दोस्तों ने मिलकर रातों-रात गाड़ी लूटने की योजना बनाई और अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल गए। रविवार को द्वारका दक्षिण थाना इलाके में हुंडई गाड़ी लूट ली। इसके पहले कि वे बर्फबारी का मजा लेते पुलिस के हाथों दबोच लिए गए।

पुलिस के मुताबिक वारदात की रात करीब पौने दो बजे कार लेकर चालक मदनलाल द्वारका दक्षिण इलाके से गुजर रहा था। तभी इन पांच बदमाशों ने गाड़ी ही नहीं लूटी बल्कि उस चालक का दो मोबाइल और उसके पास जो पैसे थे वह भी लूट लिया। फिर पांचों दूसरी गाड़ी लूटने के लिए निकल पड़े। इसी बीच वारदात के शिकार मदनलाल ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के सब इंस्पेक्टर गणेश कुमार, एएसआइ जगदीश, हेड कांस्टेबल राकेश की टीम ने मदनलाल से हुलिया लिया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गाड़ी लूटने वाले बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। कई जगह पता लगाते हुए आखिरकार टीम ने दो बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी पा ली। दोनों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोटर साइकिल और स्कूटी बरामद कर ली। उपायुक्त द्वारका ने इस मामले में स्पेशल स्टाफ की टीम को भी लगा दिया ताकि गिरोह का जल्द पर्दाफाश हो सके। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार की देखरेख में तीन बदमाशों को दबोचकर लूटी गई कार भी बरामद कर ली।

आज के कार्यक्रम

यश प्रकाशन

कवि उद्भ्रांत के नए कविता संग्रह 'जल' का लोकार्पण। दोपहर साढ़े बारह बजे। हॉल संख्या, 12-ए, स्टॉल संख्या 143-146 पर।

वाणी प्रकाशन

'शकुनि पासों का महारथी' का लोकार्पण व परिचर्चा। शाम चार बजे, हॉल संख्या 12-ए, स्टॉल संख्या 233-252 पर।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय, वसूली विभाग

सार्वजनिक सूचना

बैंक ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस, दिनांक 22.11.2019 जारी कर "इरादतन चूककर्ता" घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। उक्तन नोटिस में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित कारण शामिल हैं ताकि वे या तो अनुबन्धीनय देय राशि की चुकौती करें या इरादतन चूककर्ता के रूप में उद्घोषणा के विरुद्ध अपना पक्ष रखें। उक्त कारण बताओ नोटिस को उपलब्धा डाक के पते पर स्पीड पोस्टि/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था तथा ये किसी एक या अधिक कारणों से 'डिलिवर न हुए' के रूप में हमें वापस प्राप्तट हुए हैं। एन.पी.ए. उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों के विवरण निम्नालिखित हैं :-

क्र. सं.	चूककर्ता कंपनी के निदेशक /गारंटीकर्ता /भागीदार के नाम	पता
1.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता (सहायक व निदेशक)	पता -1: बी -8, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली - 110 019 पता -2: डी -1112, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 025
2.	श्री मनीष गोयल (सहायक व प्रबंधक सचांलक)	पता -1: बी -8, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली - 110 019 पता -2: डी -1112, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 025
3.	श्री विशाल गोयल (एमवीएम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के गारंटर और निदेशक)	पता -1: बी -8, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली - 110 019 पता -2: डी -1112, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 025
4.	शिल्पी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)	ए-19/बी-1 एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंड इस्टेट, पी.ओ. बदरपुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 044
5.	शिल्पी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)	ए-19/बी-1 एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंड इस्टेट, पी.ओ. बदरपुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 044
6.	एमवीएम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)	ए-19/बी-1 एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंड इस्टेट, पी.ओ. बदरपुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 044

प्रयुक्त व्यक्तियों को सूचित करते हैं कि वे संबंधित नोटिस प्राप्त करने के लिए हमारी शाखा से तत्काल संपर्क करें तथा इस प्रकाशन के 07 दिनों के अंदर इसका उत्तर दें। यदि 07 दिनों के भीतर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि विधिवत रूप से नोटिस प्रस्तुत की गयी है तथा प्रतिरक्षण के रूप में उन्हेंग कुछ नहीं कहना है एवं इस मामले में बैंक अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ायेगा।

सहायक महाप्रबंधक
वसूली विभाग, प्रधान कार्यालय

punjab national bank

शाखा कार्यालय: लाडो सराय, एफ-322 ए, ऑल्ड मेहरौली बदरपुर रोड, नई दिल्ली- 110030

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **पंजाब नैशनल बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 8 व 9 के तहत् प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में **एक डिमाण्ड नोटिस दिनांक 04.11.2019 को ऋणी श्रीमती सीमा शर्मा, निवासी: मकान नं. ई-9, ई-ब्लॉक के पास, मैन मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली- 110016 एवं जमानतदार श्री अशोक रुणा को नोटिस में उल्लेखित राशि रु. 1,41,68,442.50 (अक्षरे रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख अड़सठ हजार चार सौ बियालीस एवं पचास पैसे मात्र)** दिनांक 02.11.2019 तक एम अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि का भुगतान 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी के राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी एवं जन सामान्य को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 06 जनवरी 2020** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी एवं जमानती को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार **रू. 1,41,68,442.50 (अक्षरे रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख अड़सठ हजार चार सौ बियालीस एवं पचास पैसे मात्र)** दिनांक 02.11.2019 तक अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे लागत, प्रभार इत्यादि के भुगतान के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय- लाडो सराय, एफ-322ए, ऑल्ड मेहरौली बदरपुर रोड, नई दिल्ली-110030** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जो फ्रीहॉल्ड सम्पत्ति के छत/टैरेस अधिकारों के साथ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, नं. एल-44, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली- 110024 में स्थित जिसका क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर है।

साम्यिक बंधक विस्तार सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जो फ्रीहॉल्ड सम्पत्ति के छत/टैरेस अधिकारों के साथ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, नं. एल-44, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली- 110024 में स्थित जिसका क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर है।

दिनांक: 06.01.2020, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: लाजपत नगर, नई दिल्ली पंजाब नैशनल बैंक

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड

TATA

कार्यालय : सातवीं मंजिल, विडियोकॉन टॉवर, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 भारत

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में

1. **मै. सनराइज ट्रेडर्स, द्वारा उसके पार्टनर**
   ग्राम नाग्गल, बरवाला, पंचकूला रोड, जिला पंचकूला, हरियाणा-134118
   साथ ही: एच. नं. 243, सेक्टर-25, पंचकूला-134116
2. **ललित मोहन सिंघला, पुत्र किशन चंद**
   एच. नं. 301, सेक्टर-25 पीकेएल, पंचकूला, सेक्टर-20, हरियाणा-134116
   साथ ही: पंचकूला रोड, ग्राम नाग्गल, बरवाला, खेवटा 76, खतौनी 83, खसरा 25/02/19, 14/21/2/2/22, ग्राम नाग्गल, बरवाला, हरियाणा
3. **कविता गोयल, पत्नी रजनीश कुमार गोयल**
   नागल (238), जलोली पंचकूला, हरियाणा-134118
4. **रजनीश कुमार गोयल, पुत्र श्री पवन कुमार**
   नागल (238), जलोली पंचकूला, हरियाणा-134118
5. **अदित सिंगला, पुत्र ललित मोहन सिंगला**
   एच. नं. 301, सेक्टर-25 पीकेएल, पंचकूला, सेक्टर-20, हरियाणा-134116

प्रिय महोदय/महोदया,

एलएएन 20053323 में 27.2.2018 को टीसीएफएसएल की द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 12 दिस. 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये रु. 1,25,12,887.49 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख बारह हजार आठ सौ सत्तासी एवं पैसे उन्चास मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार **8 दिस. 2019** को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि **12 दिस. 2019** जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 20053323 में रु. 1,25,12,887.49 की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

अनुसूची

पंचकूला रोड, ग्राम नाग्गल, बरवाला, खेवटा 76, खतौनी 83, खसरा 25/02, 19, 14/21/2/2/22 एरिया 3660.25 वर्ग यार्ड्स, ग्राम नाग्गल, बरवाला, हरियाणा. बिक्री प्रलेख के अनुसार. **चौहद्दी:** उत्तरः घनश्याम, दक्षिणः ललित मोहन एवं पंचायती भूमि, पूर्वः मुकुन्द लाल, पश्चिमः रोड

चूंकि सूचना 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः हरियाणा **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 8.1.2019 **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF CLC INDUSTRIES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	**CLC INDUSTRIES LIMITED (Formerly Known as Spentex Industries Limited)**
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	25th November, 1991
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	L74899DL1991PLC138153
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office as per ROC Company Master Data: A-60, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
6.	Insolvency Commencement date in respect of Corporate Debtor	3rd January, 2020 (order received on January 6th, 2020)
7.	Estimated date of closure of Insolvency Resolution Process	1st July, 2020 (180 days from the Insolvency Commencement Date)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Subhash Kumar Kundra Reg. No.: **IBBI/IPA-002/IP-N00399/2017-2018/11174**
9.	Address and e-mail of the Interim Resolution Professional, as registered with the Board	**Address Registered with the Board:** C4E/135, Janak Puri, New Delhi - 110058 **Email Registered with the Board:** kundra.sk27@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	**Address for Correspondence:** **Primus Insolvency Resolution and Valuation Pvt. Ltd.** C4E/135, Janak Puri, New Delhi - 110058 **Email:** cic@primusresolutions.in
11.	Last date for submission of claims	20th January, 2020 (14 days from receipt of Order i.e. January 6th, 2020)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Name of Class (es): NIL
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of Authorized Representatives are available at:	Web link: link:http://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: Not Applicable

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Principal Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the CLC Industries Limited on 3rd January, 2020.

The creditors of CLC Industries Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 20th January, 2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Subhash Kumar Kundra
(Interim Resolution Professional)
IBBI Reg. No.: **IBBI/IPA-002/IP-N00399/2017-2018/11174**

Date: 8th January, 2020
Place: New Delhi

'नब्बे के दशक के दौर का यथार्थ दिखाता है वाया मीडिया'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

विश्व पुस्तक मेले में वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर कथाकार एवं पत्रकार गीताश्री का उपन्यासत्रयी का प्रथम खंड 'वाया मीडिया' का लोकार्पण किया गया। यह उपन्यास नब्बे के दशक की महिला पत्रकारों के जीवन और उनकी चुनौतियों पर आधारित है। पुस्तक विमोचन में पत्रकार कल्याणी, सुषमा रामचंद्रन, ईरा झा, सर्वप्रिया, जयंती रंगनाथन, रेणु अगल, मंजरी चतुर्वेदी, अन्नू आनंद, प्रतिभा ज्योति, आकांक्षा पारे और गीताश्री उपस्थित थीं। वाणी प्रकाशन की निदेशक अदिति माहेश्वरी ने कथाकार एवं पत्रकार जयंती रंगनाथन का मंच संचालन के लिए स्वागत किया। ईरा झा ने बताया कि कैसे गीताश्री अपने पत्रकार पेशे के दौरान रातों में भी काम किया करती थीं। सर्वप्रिया ने कहा कि यह उपन्यास, आगे आने वाली सभी महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा। गीताश्री ने कहा कि उन्हें अपने पत्रकार होने पर खुशी भी है और गर्व भी।

'शिवाजी ने स्वराज का प्रतिमान स्थापित किया था'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

सोनाली मिश्रा।

विश्व पुस्तक मेले में मंगलवार को लेखक लंच पर सोनाली मिश्रा द्वारा रचित 'महानायक शिवाजी' उपन्यास का लोकार्पण किया गया। लेखक से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत लेखिका ने रचना प्रक्रिया के विषय में बताया। सामयिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस उपन्यास में शिवाजी के महानायक बनने की यात्रा का वर्णन है। सोनाली मिश्रा से जब यह पूछा गया कि उन्होंने उपन्यास के केंद्र में शिवाजी ही क्यों चुना तो उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में शिवाजी के विषय में केवल यह जानकारी है कि वह एक मराठा छत्रप थे जिन्होंने मुगल सत्ता से लोहा लिया, परंतु वह यहीं जानते कि यह शिवाजी ही थे जिन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया था। उन्होंने स्वराज का एक प्रतिमान स्थापित किया था। यह कहानी उनकी इसी यात्रा की कहानी है। साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष व गीतकार माधव कौशिक ने कहा कि हिंदी में शोध आधारित ऐतिहासिक उपन्यासों की कड़ी में यह उपन्यास अपना स्थान बनाएगा। प्रकाशक महेश भारद्वाज ने कहा कि हिंदी में रोचक ऐतिहासिक उपन्यासों में यह उपन्यास एक महत्वपूर्ण नाम साबित होगा।

फेरबदल इसी महीने सेवानिवृत्त होंगे अमूल्य पटनायक

चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस आयुक्त की विदाई को लेकर अटकलें तेज

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त की तैनाती को लेकर अटकलों का सिलसिला तेज हो गया है। जहां एक ओर वरिष्ठ नौकरशाहों का मानना है कि चुनाव की घोषणा से इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक की विदाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर पटनायक को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। कई नामों की चर्चा के बीच केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली से बाहर के भी पुलिस अधिकारी को पुलिस आयुक्त के पद पर यहां ला सकती है। लखनऊ के तत्कालीन पुलिस प्रमुख अजय राज शर्मा को दिल्ली पुलिस का प्रमुख बनाना इसका उदाहरण हैं।

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली का पुलिस आयुक्त कौन होगा इस पर गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति को फैसला करना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति के फैसले पर मुहर लगते ही नए आयुक्त के नाम पर हो रही चर्चा बंद हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा सोमवार को चुकी है लिहाजा दिल्ली के मौजूदा पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक का इसी महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने पर संशय बन गया है। कयास यह लगाया जा रहा है कि मात्र दो से तीन महीने के लिए पटनायक को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ताकि दिल्ली का चुनाव संपन्न कराने में किसी भी प्रकार की अड़चनें नहीं आए।

उधर वरिष्ठ नौकरशाहों का मानना है कि सेवा विस्तार का कोई मतलब नहीं है। इस दौरान उनके कार्य क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं या अन्य दूसरे महत्त्वपूर्ण आयोजन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवानियमों के हिसाब से नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति तय होती है। जहां तक बात रही चुनाव की तो चुनाव में आयुक्त सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। वरिष्ठ नौकरशाहों का यह भी कहना है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के चुनाव आयुक्त रहे राकेश मेहता के 2016 में रिटायरमेंट के समय चंडीगढ़ में चुनाव था। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मौजूदा आयुक्त के बाद जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति तय करेगी।

कनिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी

पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति के रूप में कैबिनेट की नियुक्ति समिति वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए कनिष्ठ अधिकारी को भी बैठा सकती है। किरण बेदी के समय में यही हुआ था और बेदी अपने से कनिष्ठ के साथ काम नहीं कर पाने की वकालत करते हुए दिल्ली पुलिस से समय से पहले अवकाश ले चुकी थीं। तब वाइएस डडवाल पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त करने से पहले अधिकारियों के पूरे सेवाकाल को खंगालती है और फिर अंतिम फैसला लेती है।

नामों पर चर्चा का बाजार गरम

दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के नामों पर भी चर्चा शुरू हो गयी है। अमूल्य पटनायक के ही 1985 बैच के एसएन श्रीवास्तव इस समय सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर तैनात हैं। वे दिल्ली पुलिस से ही वहां भेजे गए थे। श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस में कई पदों पर रहे और स्पेशल सेल के संयुक्त आयुक्त, यातायात के साथ उत्तरी दिल्ली में महत्त्वपूर्ण पदों पर सेवा दी। अगर आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्त वरिष्ठता के आधार पर हुई तो श्रीवास्तव का कार्यकाल दो साल का हो सकता है। उनके साथ दीपक मिश्र भी इसी पद पर गए थे और इस समय वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्रीवास्तव के बाद 1986 बैच के पुलिस अधिकारी एस नित्यानंदम इस समय दिल्ली पुलिस में दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। विशेष आयुक्त के तौर पर वे सामान्य प्रशासन, पी एंड एल और दिल्ली पुलिस हाउसिंग के एमडी हैं। 1987 बैच के सतेंद्र गर्ग इस समय गृह मंत्रालय में तैनात हैं और इसी बीच के ताज हसन दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त के पद पर हैं। 1988 बैच के एसबीके सिंह व बालाजी श्रीवास्तव के नाम भी चर्चा में है।

www.readwhere.com

This is an advertisement issued pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, as amended, for information purposes only.

TATA

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Tata Capital Housing Finance Limited (our "Company") was incorporated as Tata Capital Housing Finance Limited on October 15, 2008 at Mumbai, Maharashtra, as a public limited company, under the provisions of the Companies Act, 1956. Our Company also received a certificate for commencement of business on November 10, 2008. Our Company has obtained a certificate of registration dated April 2, 2009, bearing registration number 04.0073.09 from the National Housing Bank (the "NHB") to carry on the business of a housing finance institution without accepting public deposits in accordance with Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987. For further details regarding changes to our Registered Office, see "History and Main Objects" beginning on page 91 of the Shelf Prospectus.

Corporate Identity Number of TCHFL is U67190MH2008PLC187552; **Registered Office:** 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Maharashtra, India
Tel: (+91 22) 6606 9000; **Fax:** (+91 22) 6656 2699; **Website:** www.tatacapital.com; **Company Secretary and Compliance Officer:** Mr. Jinesh Meghani; **Tel:** (+91 22) 6606 9000; **Fax:** (+91 22) 6656 2699; **Email:** tchflncdcompliance@tatacapital.com

Our Promoter is Tata Capital Limited. For further details, see "Our Promoter" beginning on page 102 of the Shelf Prospectus.

PUBLIC ISSUE BY TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") OF SECURED, RATED, LISTED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 (INDIAN RUPEES ONE THOUSAND) EACH ("SECURED NCDs") AND UNSECURED, SUBORDINATED, RATED, LISTED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 (INDIAN RUPEES ONE THOUSAND) EACH ("UNSECURED NCDs"), (TOGETHER REFERRED AS "NCDs") FOR AN AMOUNT OF ₹ 50,000 LAKH ("BASE ISSUE SIZE") WITH AN OPTION TO RETAIN OVERSUBSCRIPTION UP TO ₹ 1,50,000 LAKH AGGREGATING UP TO 2,00,00,000 NCDs AMOUNTING TO ₹ 2,00,000 LAKH ("TRANCHE 1 ISSUE LIMIT") ("TRANCHE 1 ISSUE") WHICH IS WITHIN THE SHELF LIMIT OF ₹ 5,00,000 LAKH AND IS BEING OFFERED BY WAY OF THE TRANCHE 1 PROSPECTUS DATED DECEMBER 30, 2019 CONTAINING INTER ALIA THE TERMS AND CONDITIONS OF TRANCHE 1 ISSUE ("TRANCHE 1 PROSPECTUS"), WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED DECEMBER 30, 2019 ("SHELF PROSPECTUS") FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES, MAHARASHTRA AT MUMBAI ("ROC"), NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), BSE LIMITED ("BSE") AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"). THE SHELF PROSPECTUS AND TRANCHE 1 PROSPECTUS CONSTITUTE THE PROSPECTUS ("PROSPECTUS"). THE UNSECURED, RATED, LISTED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES WILL BE IN THE NATURE OF SUBORDINATED DEBT AND WILL BE ELIGIBLE FOR INCLUSION AS TIER II CAPITAL. THE TRANCHE 1 ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008, AS AMENDED (THE "SEBI DEBT REGULATIONS"), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED AND TO THE EXTENT NOTIFIED.

CREDIT RATING: "CRISIL AAA / Stable" and "[ICRA] AAA (stable)"

TRANCHE 1 ISSUE CLOSES ON WEDNESDAY, JANUARY 8, 2020*

Last day for submitting applications is Wednesday, January 8, 2020*

*Pursuant to the Tranche 1 Prospectus dated December 30, 2019, the Tranche 1 Issue opened on Tuesday, January 7, 2020 and was scheduled to close on Friday, January 17, 2020 with an option for early closure or extension by such period as may be decided by the Board of Directors. Further, the intimation of the said closure should be given to the prospective investors through an advertisement in a national daily newspaper having wide circulation on or before such earlier date or initial date of closure. The Board of Directors of the Company vide its circular resolution passed on January 7, 2020 has decided to close the Tranche 1 Issue early on Wednesday, January 8, 2020. In terms of the Tranche 1 Prospectus dated December 30, 2019, the Company is issuing this Public Notice for the early closure of Tranche 1 Issue. The Application Forms will be accepted only between 10.00 a.m to 3.00 p.m and uploaded until 5.00 p.m. on Wednesday, January 8, 2020, or such extended time as may be permitted by the Stock Exchanges.

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013: Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects. For information on the main objects of our Company, see "History and Main Objects" on page 91 of the Shelf Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Tranche 1 Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 92 of the Tranche 1 Prospectus.

Liability of Members: Limited by Shares

Amount of share capital of the Company as on September 30, 2019: The Authorised Share Capital of our Company is ₹ 45,000,000,000 divided into 2,500,000,000 Equity Shares of face value ₹ 10 each and 2,000,000,000 CCCPS of face value on ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid up share capital of our Company is ₹ 18,81,71,03,000 divided into 30,97,10,300 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 1,57,20,00,000 CCCPS of face value of ₹ 10 each. For further details, see the section titled "Capital Structure" and page 48 of the Shelf Prospectus.

Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the time of signing the Memorandum of Association: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of our Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company. Tata Capital Limited - 99,99,994 shares, Mr. Praveen P. Kadle - 1 share, Mr. Shailesh H. Rajadhyaksha - 1 share, Mr. Govind Sankaranarayanan - 1 share, Mr. Kiran Joshi - 1 share and Mr. Sanjay Shukla - 1 share, allotted at the time of incorporation of the Company aggregating 1,00,00,000 Equity Shares of face value ₹ 10 each.

LISTING: The NCDs offered through this Tranche 1 Prospectus along with the Shelf Prospectus are proposed to be listed on the NSE and BSE. For the purposes of this Tranche 1 Issue, NSE shall be the Designated Stock Exchange. Our Company has received an 'in-principle' approval from NSE by way of its letter bearing reference number NSE/LIST/98209 dated December 24, 2019 and from BSE by way of its letter bearing reference number DCS/BM/PI-BOND/15/19-20 dated December 24, 2019.

For further details please refer to the Shelf Prospectus and Tranche 1 Prospectus both dated December 30, 2019.

ASBA# **Simple, Safe, Smart way of Application**

#Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For future details, check section on ASBA.
Mandatory in public issues from October 01, 2018. No cheque will be accepted.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of offer document to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which the issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the offer document. The Lead Merchant Bankers, Edelweiss Financial Services Limited and A.K. Capital Services Limited have certified that disclosures made in the offer document are generally adequate and are in conformity with the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 in force for the time being. This requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making investment in the proposed issue. It should also be clearly understood that while the issuer is primarily responsible for correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the offer document, the Lead Merchant Bankers are expected to exercise due diligence to ensure that the issuer discharges its responsibility adequately in this behalf and towards this purpose. the Lead Merchant Bankers Edelweiss Financial Services Limited and A. K. Capital Services Limited confirm that comments received on the Draft Shelf Prospectus will be suitably addressed before filing the Shelf Prospectus and to this effect, have furnished to SEBI a due diligence certificate dated December 30, 2019, which reads as follows: **1.**We confirm that neither the Company nor its promoter or directors have been prohibited from accessing the capital market under any order or direction passed by the board. We also confirm that none of the intermediaries named in the Shelf Prospectus have been debarred from functioning by any regulatory authority. **2.** We confirm that all the material disclosures in respect of the company have been made in the Shelf Prospectus and certify that any material development in the issue or relating to the issue up to the commencement of listing and trading of the NCDs offered through the issue shall be informed through public notices/ advertisements in all those newspapers in which pre-issue advertisement and advertisement for opening or closure of the issue will be given. **3.**We confirm that the Shelf Prospectus contains all disclosures as specified in the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, as amended. **4.** We also confirm that all relevant provisions of the Companies Act, 2013, as amended, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, as amended, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as amended and the rules, regulations, guidelines, circulars issued thereunder are complied with. **5.** We confirm that no comments/complaints were received on the Draft Shelf Prospectus filed by the Company with NSE, BSE and the SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: as required, a copy of this offer document has been submitted to National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as NSE). NSE has given vide its letter ref.: NSE/LIST/98209 dated December 24, 2019 permission to the issuer to use the exchange's name in this offer document as one of the stock exchanges on which this issuer's securities are proposed to be listed. The exchange has scrutinized this draft offer document for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this issuer. It is to be distinctly understood that the aforesaid permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this offer document; nor does it warrant that this issuer's securities will be listed or will continue to be listed on the exchange; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this issuer, its promoters, its management or any scheme or project of this issuer. Every person who desires to apply for or otherwise acquire any securities of this issuer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription /acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF NSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by the NSE to use their network and Online Platform for facilitating applications for public issue of NCDs shall not in any way be deemed or construed as compliance with various statutory and other requirements by the Company; LMs are cleared or approved by NSE; nor does it warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of the Issuer, its promoters, its management or any scheme or projects of the Issuer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NHB: Our Company has a valid Certificate of Registration dated April 2, 2009 bearing registration no. 04.0073.09 issued by the NHB under Section 29A of the NHB Act, 1987. However, the NHB does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of our Company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by our Company and for repayment of deposits/ discharge of liabilities by our Company.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: BSE limited ("the exchange") has given, vide its letter ref.: DCS/BM/PI-BOND/15/19-20 dated December 24, 2019 , permission to this company to use the exchange's name in this offer document as one of the stock exchanges on which this company's securities are proposed to be listed. The exchange has scrutinized this offer document for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this company. The exchange does not in any manner: **1.**Warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this offer document; or **2.** Warrant that this company's securities will be listed or will continue to be listed on the exchange; or **3.** Take any responsibility for the financial or other soundness of this company, its promoters, its management or any scheme or project of this company; And it should not for any reason be deemed or construed that this offer document has been cleared or approved by the exchange. Every person who desires to apply for or otherwise acquires any securities of this company may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription/acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or for any other reason whatsoever.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by the BSE to use their network and software of the online system should not in any way be deemed or construed as compliance with various statutory requirements approved by the Exchange; not does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company.

DISCLAIMER CLAUSE OF CRISIL: CRISIL Limited (CRISIL) has taken due care and caution in preparing the Material based on the information provided by its client and/ or obtained by CRISIL from sources which it considers reliable (information). A CRISIL rating reflects CRISIL's current opinion on the likelihood of timely payment of the obligations under the rated instrument and does not constitute an audit of the rated entity by CRISIL. CRISIL ratings are based on information provided by the issuer or obtained by CRISIL from sources it considers reliable. CRISIL does not guarantee the completeness or the accuracy of the information on which the rating is based. A CRISIL rating is not a recommendation to buy, sell, or hold the rated instrument: it does not comment on the market price or suitability for a particular investor. The Rating is not recommended to invest/ disinvest in any entity covered in the Material and no part of the Material should be construed as an expert advice or investment advice or any form of investment banking within the meaning of any law or regulation. CRISIL especially states that it has no liability whatsoever to the subscribers/ users/ transmitters/ distributors of the Material. Without limiting the generality of the forgoing, nothing in the Material is to be construed as CRISIL providing or intending to provide any service in jurisdictions where CRISIL does not have the necessary permission and/ or registration to carry out its business activities in this regard. Tata Capital Housing Finance Limited will be responsible for ensuring compliances and consequences of non-compliances for use of the Material or part thereof outside India. Current rating status and CRISIL Ratings rating criteria are available without charge to the public on the CRISIL website, www.crisil.com. For the latest rating information on any instrument of any company rated by CRISIL, please contact Customer Service Helpdesk at 1800-267-1301.

DISCLAIMER CLAUSE OF ICRA: ICRA ratings should not be treated as recommendation to buy, sell or hold the rated debt instruments. ICRA ratings are subject to a process of surveillance, which may lead to revision in ratings. An ICRA rating is a symbolic indicator of ICRA's current opinion on the relative capability of the issuer concerned to timely service debts and obligations, with respect to the instrument rated. Please visit our website www.icra.in or contact any ICRA office for the latest information on ICRA ratings outstanding. All information contained herein has been obtained by ICRA from sources believed by it to be accurate and reliable, including the rated issuer. ICRA however has not conducted any audit of the rated issuer or of the information provided by it. While reasonable care has been taken to ensure that the information herein is true, such information is provided 'as is' without any warranty of any kind, and ICRA in particular makes no representation or warranty, express or implied as to the accuracy, timelines or completeness of any such information. Also, ICRA or any of its group companies may have provided services other than rating to the issuer rated. All information contained herein must be construed solely as statement of opinion, and ICRA shall not be liable for any losses incurred by users from any use of this publication or its contents.

CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued pursuant to this Issue have been rated "CRISIL AAA/Stable" by CRISIL for an amount of up to ₹ 5,00,000 lakh by way of its letter dated November 27, 2019 bearing reference number TCHFL/225196/RB/27112019 and have been revalidated vide letter dated December 24, 2019 bearing reference number TCHFL/235551/RBond/121947355 and have been rated "[ICRA] AAA (stable)" by ICRA for an amount of up to ₹ 5,00,000 lakh by way of its letter dated November 27, 2019 bearing reference number 2019-20/MUMR/1504 and have been revalidated vide letter dated December 24, 2019 bearing reference number 2019-20/MUM/1780. The rating of the NCDs by ICRA indicates highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. The ratings provided by CRISIL and ICRA may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agency and should be evaluated independently of any other rating. These ratings are not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decisions. Please see Annexures A to D of the Tranche 1 Prospectus.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from Tata Capital Housing Finance Limited: Tel: (+91 22) 6606 9000; Fax: (+91 22) 6656 2699; Lead Manager to the Issue: Edelweiss Financial Services Limited: Tel: (91 22) 4086 3535 Fax: (91 22) 4086 3610 ; A.K. Capital Services Limited: Tel: (91 22) 6754 6500/ 6634 9300; Fax: (91 22) 6610 0594 and offices of Consortium Members, Sub-Consortium Members, Trading Members and Designated Branches of SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites of NSE, BSE and the Lead Managers.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus can be obtained from the Registered Office of the Company and the Lead Managers. Full copy of the Prospectus will be available on the website of the Issuer at www.tatacapital.com, of the Lead Managers at www.edelweissfin.com and www.akgroup.co.in, of Debenture Trustee at www.idbitrustee.com, of NSE at www.nseindia.com, of BSE at www.bseindia.com and of SEBI at www.sebi.gov.in

PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND REFUND BANK: HDFC Bank Limited.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE		REGISTRAR TO THE ISSUE	DEBENTURE TRUSTEE **
Edelweiss	a.k.	KFINTECH	IDBI trustee
Edelweiss Financial Services Limited Edelweiss House, Off CST Road Kalina Mumbai 400 098 **Tel:** (91 22) 4086 3535 **Fax:** (91 22) 4086 3610 **Email:** tchfl.ncd@edelweissfin.com **Investor Grievance Email:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com **Contact Person:** Mr. Lokesh Singhi **Compliance officer:** Mr. B. Renganathan **SEBI Registration Number:** INM0000010650	**A. K. Capital Services Limited** 30-38, Free Press House, 3rd Floor, Free Press Journal Marg 215, Nariman Point, Mumbai 400 021 **Tel:** (91 22) 6754 6500 **Fax:** (91 22) 6610 0594 **Email:** tchfl.ncd2019@akgroup.co.in **Investor Grievance Email:** investor.grievance@akgroup.co.in **Website:** www.akgroup.co.in **Contact Person:** Ms. Aanchal Wagle/ Mr. Lokesh Shah **Compliance officer:** Mr. Tejas Davda **SEBI Registration Number:** INM000010411	**Kfin Technologies Private Limited (formerly known as Karvy Fintech Private Limited)** Selenium Tower B, Plot 31 & 32 Gachibowli Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032, Telangana **Tel:** (91 40) 6716 2222 **Fax:** (91 40) 2343 1551 **Email:** tchfl.ncd@kfintech.com **Investor Grievance Email:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** Mr. M. Murali Krishna **Compliance Officer:** Mr. Rakesh Santhalia **SEBI Registration Number:** INR000000221	**IDBI Trusteeship Services Limited** Asian Building, Ground Floor 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate Mumbai 400 001 **Tel:** (91 22) 4080 7000 **Fax:** (91 22) 6631 1776 **Email:** nikhil@idbitrustee.com **Investor Grievance Email:** itsl@idbitrustee.com **Website:** www.idbitrustee.com **Contact Person:** Mr.Nikhil Lohana **Compliance Officer:** Mr. Jatin Bhat **SEBI Registration Number:** IND000000460

Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Jinesh Meghani; **Tel:** (+91 22) 6606 9000; **Fax:** (+91 22) 6656 2699; **Email:** tchflncdcompliance@tatacapital.com

** IDBI Trusteeship Services Limited pursuant to Regulation 4(4) of the SEBI Debt Regulations and by way of its letter dated December 17, 2019 has given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in the Shelf Prospectus and the Tranche 1 Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the Debentures issued pursuant to this Tranche 1 Issue. For details of the consent, see "Annexure E" on page 99 of the Tranche 1 Prospectus

A copy of the Shelf Prospectus and the Tranche 1 Prospectus has been filed with the RoC, in terms of Section 26 and Section 31 of the Companies Act, 2013, along with the certified copies of all requisite documents. For further details see, "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 92 of the Tranche 1 Prospectus

DISCLAIMER: Tata Capital Housing Finance Limited - Tata Capital Housing Finance Limited ("Company"), subject to market conditions, receipt of requisite approvals, and other considerations, is proposing a public offer of secured, redeemable, non-convertible debentures ("NCDs", and such Issue the "Tranche 1 Issue") and has filed a Shelf Prospectus dated December 30, 2019 ("**Shelf Prospectus**") and Tranche 1 Prospectus dated December 30, 2019 ("**Tranche 1 Prospectus**") with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai, the BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Shelf Prospectus and Tranche 1 Prospectus are available on the website of the Company at www.tatacapital.com, on the website of BSE at www.bseindia.com, on the respective websites of the lead managers at www.edelweissfin.com and www.akgroup.co.in, and shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Investors proposing to participate in the Tranche 1 Issue should note that investment in the NCDs involves a high degree of risk and for details in relation to the same, refer to the Shelf Prospectus and Tranche 1 Prospectus, including the section titled "*Risk Factors*" beginning on page 14 of the Shelf Prospectus and the section titled "*Material Developments*" beginning on page 31 of the Tranche 1 Prospectus.

For **Tata Capital Housing Finance Limited**
Sd/-

Anil Kaul
Managing Director
DIN No. : 00644761

Place: Mumbai
Date: January 7, 2020

www.readwhere.com

जनसत्ता

8 जनवरी, 2020

जंग का संकट

ईरान के शीर्ष कमांडर कासेम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका और ईरान के बीच उपजे तनाव ने मध्यपूर्व और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। अपने दूसरे शक्तिशाली नेता की मौत का बदला लेने के लिए ईरान के कड़े संकल्प और इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी कि वे ईरान के बावन सांस्कृतिक ठिकानों को नष्ट कर डालेंगे, ने इस तनाव में आग में घी का काम कर दिया है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। यह तो तय है कि जिस तरह से अमेरिका ने मौका ताड़ कर ईरान को सबक सिखाने का दुस्साहस किया है, उसमें ईरान चुप नहीं बैठने वाला। वह भी बदला लेगा! इस वक्त ट्रंप अपने खिलाफ महाभियोग सहित जिन दूसरी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है, उसमें देश-दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें यही सबसे अच्छा मौका मिला कि ईरान को निशाना बनाया जाए और 'आतंकवाद' की आड़ में उसे सबक सिखाया जाए। ट्रंप को लग रहा था कि उनकी इस कार्रवाई को अमेरिका में समर्थन मिलेगा। लेकिन पासा उलटा पड़ गया है। ईरान के खिलाफ जंग की रणनीति ट्रंप पर भारी पड़ रही है। राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियां कम करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जल्द ही मतदान होगा। ट्रंप के खिलाफ हो रहे बड़े प्रदर्शन इस बात का प्रमाण हैं कि अमेरिकी जनता युद्ध मानसिकता वाले राष्ट्रपति के खिलाफ है।

ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस कदम के विरोध में रूस, चीन जैसी महाशक्तियां खुल कर आ गई हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी ट्रंप के इस कदम से खुश नहीं हैं। दूसरी ओर, ब्रिटेन ने तो अमेरिका का साथ देते हुए अपना एक युद्ध पोत खाड़ी की ओर रवाना भी कर दिया गया है। ऐसे में अमेरिका के समर्थकों और विरोधियों की खेमेबंदी कहीं ज्यादा खुल कर सामने लगी है। पर अब अमेरिका के लिए ईरान ही नहीं, इराक भी गले की फांस बन गया है। विदेशी फौज की मौजूदगी खत्म करने को लेकर इराकी संसद ने हाल में जो प्रस्ताव पास किया है, उससे भी अमेरिका की नींद उड़ गई है। बदले में अमेरिका ने इराक पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। इराक की बौखलाहट इसलिए ज्यादा है कि हमले में उसके भी शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं और यह हमला उसकी जमीन पर हुआ है। इराक में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है, जहां से अमेरिका ईरान और सीरिया के खिलाफ जंग की रणनीति बनाए हुए है। ऐसे में जोखिम भरे कदम उठाना अमेरिका के लिए भी कम महंगा नहीं पड़ने वाला।

अमेरिका-ईरान विवाद का पहला असर दुनिया के तेल बाजारों पर पड़ना शुरू हो गया है। जो देश इराक और ईरान से तेल खरीदते हैं, उनके सामने तो संकट और ज्यादा गहरा सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि भारत काफी समय से अमेरिकी दबाव में ईरान और वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद रहा है। इसलिए इराक पर निर्भरता काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर इराक भी अमेरिका के साथ कोई टकराव लेता है तो तेल खरीदार देशों की हवा खराब होते देर नहीं लगेगी। सुलेमानी की हत्या के फौरन बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम चढ़ने लगे। पिछले छह दिन से भारत की तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। भारत में डीजल-पेट्रोल महंगा होने से महंगाई और बढ़ेगी। यह वक्त भारत की कूटनीतिक परीक्षा का भी है कि वह अमेरिका का साथ देता है, या ईरान के पक्ष में खड़ा होता है।

हिंसा के बरक्स

रविवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में जिस तरह का हमला हुआ, वह किसी भी संवेदनशील और देश की फिक्र करने वाले इंसान को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। इसलिए अगर समूचे देश और दुनिया के कई हिस्सों से इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया की खबरें आ रही हैं, तो यह स्वाभाविक ही है। देश के कई राज्यों में अलग-अलग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से लेकर जागरूक समाज ने इस मसले पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की, जेएनयू के विद्यार्थियों से अपनी एकजुटता जताने के अलावा सरकार और पुलिस के रवैये के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा, विश्व के मुख्य समाचार माध्यमों में इस घटना की गंभीरता को दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर यह देश के लिए एक अफसोसजनक स्थिति है कि जिस जेएनयू को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों और अहमियत के लिए जाना जाता है, आज दुनिया भर में उसकी चर्चा एक दुखद हालात के लिए हो रही है। यह सही है कि कई मसलों पर परिसर के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इन सब गतिविधियों के आलोक में रविवार को नकाबपोश हमलावरों के गिरोह की बर्बरता की आशंका किसी को नहीं थी।

यह जगजाहिर तथ्य है कि शैक्षिक और शोध जगत में जेएनयू की गुणवत्ता की ख्याति देश और विदेशों तक है। देश के सभी हिस्सों से और दूसरे देशों के विद्यार्थी भी यहां पढ़ाई और शोध करने आते हैं। शिक्षण, शोध और सुविधाओं के लिहाज से इसके ढांचे की वजह से समाज के कमजोर तबकों तक के परिवारों के बच्चों को भी यहां पढ़ाई करने का मौका मिलता रहा है। लेकिन पिछले दिनों छात्रावास के शुल्क सहित कुछ अन्य मदों में फीस की बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसको लेकर विद्यार्थियों के बीच तीखा विरोध उभरा। इसी मसले पर उनका आंदोलन लगातार चल रहा था कि अगर शिक्षा के खर्च को बेलगाम किया गया और उसका व्यवसायीकरण होने दिया गया तो यह देश के बहुत बड़े तबके को पढ़ाई-लिखाई के दायरे से बाहर कर देगा। लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन और जेएनयू विद्यार्थी संगठन के बीच रस्साकशी चल रही है। इस बीच उन्होंने देश में नए बने नागरिकता संशोधन कानून पर भी विरोध दर्ज किया। यों देश-दुनिया के जन-सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दों पर जेएनयू के विद्यार्थी हस्तक्षेप और प्रदर्शन करते रहे हैं।

जाहिर है, ये मुद्दे सभी विद्यार्थियों के लिहाज से व्यापक महत्त्व के रहे हैं और इससे किसी खास विद्यार्थी या संगठन के स्वार्थ नहीं जुड़े हुए हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि इन सबसे किस समूह को कैसी दिक्कत हो सकती है कि वह जेएनयू के परिसर में अवैध तरीके से घुसपैठ कर-के छात्र-छात्राओं और प्रोफेसरों तक पर जानलेवा हमला कर दे और सामानों को तहस-नहस कर दे! इस तरह की सरेआम की गई गुंडागर्दी के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ-साथ दिल्ली पुलिस का जैसा रवैया सामने आया, वह बेहद शर्मनाक है। किसी परोक्ष वजह से पुलिस ने नकाबपोश गिरोह के हमले के समय तो मूकदर्शक की भूमिका चुनी ही, हमलावरों के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद भी अपराधियों की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर उदासीन रही। यह पुलिस की संवेदनशीलता और फैसला लेने की क्षमता पर भी सवालिया निशान है और इससे न केवल विश्वविद्यालय की साख, बल्कि देश की छवि पर भी चोट पहुंची है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस समूचे मसले को गंभीरता से ले और विद्यार्थियों के साथ-साथ जेएनयू का हित सुनिश्चित करे। वैश्विक छवि के किसी भी संस्थान के बनने में लंबा वक्त लगता है, लेकिन किसी भी वजह से उसे पहुंचने वाले नुकसान का असर व्यापक होता है।

कल्पमेधा

तृष्णा संतोष की शत्रु है। वह जहां पांव जमाती है, संतोष को भगा देती है।

– सुकरात

अफवाहों और हकीकत के बीच

संजय वर्मा

सवाल है कि जिस सरकार को जनता ने बहुमत से चुना है, जिसे देश और समाज के हित की नीतियां बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी है, उसी से जनता नाउम्मीद क्यों हो गई है। इस हैरानी का एक जवाब लोगों की परवरिश और मौजूदा माहौल में निहित है। काम-धंधे चौपट होने और गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त लोगों को जब अपनी बेहतरी का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वे इसके लिए सरकार को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं।

मशहूर ब्रिटिश लेखक और सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर माइकल बिलिंग ने 1984 में लिखा था कि साजिश के सिद्धांत पर भरोसा करने वालों को लगता है कि उन्हें वह बात मालूम है जो किसी को नहीं पता। कुछ शोध यह भी साबित करते हैं कि सिर्फ अपने लिए फिक्रमंद, दुनिया से बेजार, कटे हुए लोगों को ऐसा मानने से राहत महसूस होती है। जब उन्हें किसी चीज का डर लगता है तो वो साजिश की ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं। बिना जाने कि उन्हें किसी एक जरिए से जो बात पता चली है, उसमें कितने फीसद सच या झूठ है, वे अफवाह के साथ चल पड़ते हैं। यह जानने की जरा भी कोशिश नहीं करते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया जैसे जरियों से जो कुछ पता चला है या किसी ने उस हवाले से जो कुछ बताया है, उसमें सच शायद रत्ती भर न हो। इन संदर्भों को नागरिकता कानून में बदलाव के बाद देश भर में मचे बवाल, हिंसा और आगजनी की घटनाओं से जोड़ें तो महसूस होता है कि हमारे समाज में सूचना को पाक-साफ बनाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है।

नागरिकता कानून को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसके माध्यम से पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर किस तरह भारत की नागरिकता दी जाएगी- इस सूचना के सिवा ज्यादातर लोगों को यह मालूम नहीं है कि उन्हें अपनी नागरिकता कैसे और क्यों साबित करनी पड़ेगी। किसी कानून के नुक्तों की व्याख्या करना और उसके फायदे-नुकसान का दस-पंद्रह दिन में आकलन करना आसान नहीं है। देश में आम बजट पेश किए जाने और अदालतों से किसी बड़े मामले में फैसले दिए जाने के बाद सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि विशेषज्ञ तक इसकी सलाहियत देते हैं कि पहले वे इन्हें तसल्ली से पढ़ेंगे और परखेंगे, तब उनके बारे में किसी नतीजे में पहुंच सकेंगे और कोई टिप्पणी कर सकेंगे। लेकिन अति सूचना के इस युग में लागू हुए नागरिकता कानून की वे कथित बारीकियां कैसे देश के कोने-कोने और जनता के बड़े तबके तक पहुंच गईं कि इनके जरिए सरकार ने खासतौर से अल्पसंख्यक मुसलिमों को देश से बाहर करने का एजंडा तय किया है। संभव है कि कानून बनाने और उसे पारित कराने की जल्दबाजी में सरकार ने खुद और उसके जिम्मेदार नेताओं-मंत्रियों ने ऐसे विपरीत नतीजे निकालने की गुंजाइश छोड़ दी हो। उनके एकाध बयानों से ऐसा असमंजस पैदा हुआ हो। पर हैरानी इस बात को लेकर है कि जब देश का अधिसंख्य मीडिया यह बात डंके की चोट पर कह रहा है कि लोगों को नागरिकता कानून पर भ्रमित होने के बजाय पहले उसके सारे पहलुओं को पढ़ना और समझना चाहिए, तो सवाल है कि आखिर कोई उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? इसके उलट वे सोशल मीडिया और उन चंद नेताओं पर भरोसा क्यों कर बैठे हैं जो हर वक्त उन्हें इसी तरह भरमा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की फिराक में रहते हैं। आखिर इस बार लोगों का खुद का विवेक कहां चला गया है जिसके रहते वे अपना स्वार्थ साधने वालों के किसी भी बहकावे से दूर रहते आए हैं और गलत सूचना का शिकार बनने से बचते रहे हैं। नौबत यह है कि इस बार खुद गृह मंत्रालय ने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है। सरकार को अखबारों में विज्ञापन निकालकर यह बताना पड़ा है कि नागरिकता कानून का सच क्या है और उसके बारे में क्या झूठ फैलाया जा रहा है।

कुछ समय पहले अपने एक शोध के आधार पर ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर स्टीफन लेवांडोवस्की ने अफवाहों के पांव होने के संबंध में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब लोगों को किसी आधारहीन सूचना के बल यह बताया जाता है कि किसी कत्लेआम के पीछे ताकतवर लोगों की साजिश है, तो उन्हें अपने मन में ऐसे शक्तिशाली लोगों की खलनायक छवि बनाने से तसल्ली होती है। वे कहते हैं कि कई बार जब किसी चीज को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है, तो वे अपने सबसे नजदीकी और सुलभ तरीके से उस उलझन को दूर करने की कोशिश करते हैं। चूंकि सोशल मीडिया ने आज के दौर में ऐसी गुत्थियों को सुलझाने की सबसे आसान कुंजी लोगों के हाथ में थमा दी है, तो वे अपने पास आई पहली ही सूचना का सच-झूठ जाने बगैर उस जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं। समझना होगा

कि हमारे देश में अगर सही सूचना मिलना इतना आसान होता तो आरटीआइ एक्ट यानी सूचना का अधिकार कानून लागू कराने की नौबत नहीं आती।

नागरिकता कानून पर अफवाहों का बाजार गर्म होने के पीछे सरकार के प्रति जनता के अविश्वास की भी बड़ी भूमिका है। सवाल है कि जिस सरकार को जनता ने बहुमत से चुना है, जिसे देश और समाज के हित की नीतियां बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी है, उसी से जनता नाउम्मीद क्यों हो गई है। इस हैरानी का एक जवाब लोगों की परवरिश और मौजूदा माहौल में निहित है। काम-धंधे चौपट होने और गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त लोगों को जब अपनी बेहतरी का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वे इसके लिए सरकार को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। कुछ लोगों का डर धीरे-धीरे असंख्य लोगों के भय में तब्दील हो जाता है और ऐसे आशंकित लोग अचानक हिंसक हो उठते हैं। नागरिकता कानून को लेकर जो समुदाय उत्तर भारत के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन पर उतारू है, उसी समुदाय के लोग उन इलाकों में अपेक्षाकृत शांत हैं, जहां उनका कारोबार अच्छा चल रहा है या जहां इस समुदाय के अधिसंख्य लोग संपन्न और सुरक्षित भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।

यहां रेखांकित करने योग्य एक मुद्दा और है। मसला यह है कि लोगों पर समझाने-बुझाने का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। क्यों वे सोशल मीडिया पर प्रचारित झूठ से अलग सही तथ्य जानने को राजी नहीं हैं? इसके पीछे सामान्य मनोविज्ञान है। असल में लोग अक्सर अपनी विचारधारा से विरोध रखने वाली बातों पर भरोसा करने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सोच से मेल खानी वाली जो बात उनके किसी करीबी ने उन्हें बताई है या जिसे उन्होंने इंटरनेट पर पढ़ा है, उससे अलग यदि कोई बात सरकार या मीडिया के जरिये उन्हें बताई जा रही है तो वह सौ फीसद झूठ है। सरकार और मीडिया संस्थानों में उनके समुदाय के लोगों का कम प्रतिनिधित्व या अनुपस्थिति कोढ़ में खाज का काम करती है। ऐसी स्थिति में वे सरकार और मीडिया संगठनों की बात सुनने से ही इनकार कर देते हैं। यह संवादविहीनता अक्सर माहौल बिगाड़ने वाली और हालात को अराजक बनाने वाली साबित होती है।

यों दुनिया हमेशा ही कई धुरों में विभाजित रही है, जिसमें किसी को सच पर यकीन है तो किसी को साजिश पर। कुछ लोग तो विज्ञान की बुनियादी बातों पर भी आज तक यकीन नहीं कर पाए हैं। जैसे विज्ञान कहता है कि इंसान को चांद पहुंचे पचास साल हो चुके हैं, पर ऐसे भी तमाम लोग दुनिया में हैं जिन्हें इसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कोई साजिश नजर आती है। ऐसे लोग ग्लोबल वॉर्मिंग से धरती के गर्म होने के सबूतों को भी नकार देते हैं और इसे कुछ सरकारों व एनजीओ का झूठ बताते हैं। बेहद संवेदनशील और विचारों को लेकर बंट गर्म माहौल में गलत तथ्यों और अफवाहों को रोकना कठिन बेशक है, लेकिन इन्हें आगे बढ़ाने से पहले अगर लोग कुछ जानकारियों को लेकर खुद से सवाल और पड़ताल करेंगे, तो हालात धीरे-धीरे काबू में आने की उम्मीद की जा सकती है।

बच्चे आखिर बच्चे हैं

राजेंद्र वामन काटदरे

दुनिया मेरे आगे

नन्हे-मुन्नों को खेलते हुए देखना मेरा प्रिय शगल है। हालांकि रोज तो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर में ही पूरा दिन निकल जाता है, मगर रविवार को आंगन में बैठ अखबार पढ़ने का नाटक करते हुए आस-पड़ोस के बच्चों का खेल देखने में जो आनंद है, उसकी तुलना किसी और आनंद से की ही नहीं जा सकती। बच्चे खेल ही खेल में पूरा विश्व खड़ा कर लेते हैं। उनकी कल्पनाशक्ति लाजवाब होती है। हालांकि हम उन्हें छोटा और बच्चा समझ कर निर्देशित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वे अपने विचारों में ही वह सब कुछ कर लेते हैं, जिसे करने के बारे में हम कई बार सपने ही देखते रह जाते हैं। मसलन वे कुर्सी पर बैठ कर उसके हत्थे को किसी कार या वाहन की स्टीयरिंग बना कर कार चला लेते हैं या घर के सोफा पर बैठ मुंह से घुर्र-घुर्र की आवाज निकालते हुए पायलट बन हवाई जहाज उड़ा लेते हैं।

कई नन्हे बच्चे स्कूल से घर आते ही शिक्षक बन जाते हैं और फिर खाली कमरे में कुर्सियों के या भरे घर में दादा-दादी को विद्यार्थी बना कर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चों में अपने से बड़ों का अनुकरण करने की भी तीव्र ललक होती है, इसलिए नन्ही बच्चियां कई बार सिर पर चुन्नी रख कर और कभी गुड़िया को गोद में लेकर मां की तरह खाना बनाने लगती हैं, तो छोटे भाई तीन पहिया साइकिल पर बाजार जाकर सब्जी ले आते हैं। गुड़-चने की रोटी भी बन जाती है और सब्जी भी। बस की पुरानी टिकटें जमा कर 'बस-बस' खेलना या 'ऑटो वाले भैया' बन जाना भी बच्चों को भाता है।

मुझे याद है जब टीवी पर 'रामायण' और 'महाभारत' धारावाहिक चला करता था, तब बच्चे किसी लकड़ी पर कुछ कपड़े लपेट कर गदा बना लेते थे या कामटी के धनुष-बाण से उनकी रामायण-महाभारत शुरू हो जाती थी। उस दौर में फिल्म कलाकार दारा सिंह या धमेंद्र की फिल्में देख कर आपस में ढिशुम-ढिशुम करना या चोर-पुलिस खेलना भी बच्चों को भाता था, मगर तब खेल में भी झूठ पर सच्चाई की यानी खलनायक पर नायक या पुलिस की जीत होती थी। लेकिन आज के दौर में अब उन्हीं दृश्यों में क्या हो रहा है?

अब नन्हे बच्चों के बीच खेल की वे तस्वीरें लगभग पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब एके-47 से लेकर तमाम हथियार और गोला-बारूद बच्चे अपनी कल्पनाशक्ति से चला लेते हैं या कंप्यूटर और मोबाइल में गेम खेलते हुए चला लेते हैं। 'पबजी' जैसे खेल कई बच्चों की जान ले चुके हैं। अब खेल में भी नायक बनने से ज्यादा जरूरी बच्चों के लिए ताकतवर साबित होना है और अब 'डॉन' यानी दुर्दांत अपराधी गिरोह का सरगना बन जाने में भी बच्चों को कोई गुरेज नहीं है। यह अफसोस की बता है, लेकिन सच यह है कि आज नायक से ज्यादा खलनायक बच्चों को भाने लगा है। अब ढिशुम-ढिशुम के साथ खलनायक को नहीं मारा जाता, बल्कि 'भड़ाम' की आवाज के साथ किसी गांव को बम से उड़ा दिया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कार और मोटर-साइकिल चलाने से ज्यादा मजा बच्चों का उन्हें टकराने या एक्सीडेंट कराने में आता है । कुछ बसाने से ज्यादा बिगाड़ने में मजा आने लगा है। आखिर इतना बड़ा बदलाव बच्चों के भीतर कैसे हुआ है? सच यह है कि उनके भीतर यह बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि उनके सामने जो दुनिया चल रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें जो भी देखने-समझने को मिल रहा है, वही उनके भीतर गहरे तक पैठ रहा है।

हमारे जमाने में गुड्डे-गुड़ियों से खेलने वाली बच्चियां अब अपने नाती-पोतों के 'शीला की जवानी' जैसे गानों पर नृत्य देखने को मजबूर हैं। सब कुछ बदल रहा है और बच्चे भी अपना भोलापन खोते जा रहे हैं। अभी हाल ही की बात है। हमारी कॉलोनी का छठी-सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा अपने दोस्त से कह रहा था कि 'वो सी सेक्शन का रोहन बहुत उड़ रहा है भाई!' उसके दोस्त का जवाब था कि 'किसी दिन उसका गेम बजा डालते हैं।'

गेम बजा डालते हैं? यह किस तरह की भाषा है? लेकिन क्या बच्चे अकेले इस भाषा के लिए जिम्मेदार हैं? मैं यह सब देख-सुन कर अक्सर भीतर से हिल जाता हूं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं। वे जिन चीजों से रूबरू होंगे, वहीं समझेंगे और बोलेंगे। अब हमें तय करना है कि हम उन्हे क्या दें। बंदूकों और बमों वाली दुनिया या वसुधैव कुटुंबकम का सुविचार। भविष्य का भारत या ये दुनिया कैसी होगी, यह हमारी पीढ़ी को ही तय करना है। याद रखें कि बच्चे हमारा ही अनुकरण करते हैं। निदा फाजली साहब का एक मौजू शेर देखें कि 'बच्चों के नन्हे हाथों को चांद-सितारे छूने दो/ चार किताबें पढ़ कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे।'

पुलिस का चेहरा

'परिसर में हमला' (संपादकीय, 7 जनवरी) पढ़ा। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नकाबपोश गुंडों ने जिस तरह छात्र-छात्राओं और प्रोफेसरों पर हमला किया और दिल्ली पुलिस मूकदर्शक देखती रही, उसने इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान, स्वतंत्रता, कानून-व्यवस्था, मान-मर्यादा, मानवीय गरिमा, महिला सुरक्षा आदि सभी नीतिगत व्यवस्था और न्यायोचित मूल्यों को धूल-धूसरित करके रख दिया।

कई स्रोतों पर तस्वीरों और वीडियो से यह साफ लग रहा है कि उक्त हमला पूर्व नियोजित था। सवाल है कि दिल्ली पुलिस के जवान और अफसरों की ड्यूटी किसकी सुरक्षा करने की है? क्या दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा जगह-जगह लगे होर्डिंगों में छपा यह नारा 'दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ' क्या केवल नारे तक सीमित है? जेएनयू की इस घटना में आए वीडियो को देखने से यह लग रहा है कि लाठी-डंडों-सरियों से लैस गुंडों को बाकायदा किसी की सुरक्षा मिली हुई है। वहां बिजली काटी गई, एक बड़े झुंड ने नारेबाजी की, परिसर के अंदर घुस कर, चिह्नित करके छात्राओं और महिला प्रोफेसरों को कमरों तक में घुस कर बुरी तरह सरियों-लाठियों आदि से मारा। भारी बवाल और चीख-पुकार के बाद भी वहीं मेन गेट पर खड़े पुलिस वालों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। यही नहीं, घायलों की मदद के लिए गेट से अंदर जा रही विभिन्न सेवा संस्थाओं की एंबुलेंस पर हमला किया, मदद के लिए पहुंचे समाज के कई प्रतिष्ठित,नामी-गिरामी लोगों को जमीन पर गिरा कर बुरी तरह मारा गया।

इतने भयंकर तांडव के बावजूद उन तमाम गुंडों में से एक को भी न पकड़ना और 'अज्ञात' पर केस दर्ज करना आदि सब पूर्व नियोजित और लीपापोती के सिवा कुछ नहीं लगता! आखिर दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर निर्देशित हो रही थी? इस भयानक मंजर वाले नाटक का असली निर्देशक और सूत्रधार कौन था? अगर दिल्ली पुलिस किसी अदृश्य ताकतवर 'निर्देशक' से निर्देशित हो रही थी या फिर अपने विवेक से ऐसा किया, दोनों ही स्थितियों में वह अक्षम्य है।

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पुलिस की यह छवि देश के साथ-साथ विदेशों में भी चिंताजनक नजर से ही देखी जाएगी। इस देश के सत्ता के कर्णधारों की विकृत मानसिकता पर केवल तरस ही खाया जा सकता है। जेएनयू की यह शर्मनाक घटना ऐसा अमिट अफसोसनाक अध्याय की तरह टंक गया, जिसे भुलाना मुश्किल होगा।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

खिलौने की हत्या

एक समय था जब बच्चा अपने मां-बाप के साथ बाजार या मेले में जाते थे जब खिलौने कि जिद करता था तो जरूरी नहीं कि बच्चे की वह जिद पूरी हो ही जाए। धीरे-धीरे समय बदला, मोबाइल क्रांति आई और पूरा देश मोबाइल पर बिजी होने लगा। जब बाजार में स्मार्टफोन आ गए, तब से युवा, बच्चे, महिलाएं और यहां तक कि बुजुर्ग भी अब मोबाइल पर चिपकने लगे हैं। खाने की याद रहे, न रहे, लेकिन मोबाइल पर चिपकना जरूरी माना जाता है।

इसके अलावा, स्मार्टफोन पर अलग-अलग तरीके के गेम ओर पबजी गेम के चलन के बाद युवा और बच्चे ये भी भूल गए कि वे घर पर हैं या कहीं और। जैसे घर पर कोई मेहमान आता है, तब भी उनकी खातिरदारी या उनके साथ बातचीत आदि के लिए वक्त न देकर मोबाइल में लगे रहते हैं। यह तकनीकी का कैसा इस्तेमाल है? आज मोबाइल क्रांति ने आज देश-विदेश को अपने गिरफ्त में ले लिया है। हमारे बच्चे कभी दिमागी खेल खेलते थे और खिलौने से खेलते थे। आज उन बच्चों ने भी स्मार्टफोन की वजह से उन खिलौनों की हत्या कर दी है।

आज इस मोबाइल से बच्चों के प्रति इतना प्रेम देख कर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को काफी दुख होता है। देश के बच्चे खिलौने से नाता तोड़ सिर्फ मोबाइल को अपना रहे हैं। भविष्य की राह क्या होगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि इस सबसे बच्चों के भीतर रचनात्मकता का भारी नुकसान होगा।

● *बालकृष्ण अमरसरिया, दिल्ली*

महंगाई का झटका

सन 2020 के शुरू होते ही केंद्र सरकार ने रेल किराए और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर और पंजाब सरकार ने अपने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर आम लोगों को मंहगाई का झटका दे दिया। जबकि ये दोनों ही आमजन के रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली सबसे बड़ी जरूरत है। सरकार का तर्क है कि इन सुविधाओं को आमजन तक उचित दर, समय पर और आरामदायक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए भारी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियां मंहगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। सरकारें अपने वोट बैंक को ध्यान में रख कर जो कुछ योजनाएं अमल में लाती हैं, वे भी मंहगाई बढ़ाने का काम करती हैं। एक तरफ तो सरकार देश के हरेक गरीब से गरीब के घर तक रसोई गैस पहुंचाने की कोशिश उज्ज्वला योजना के तहत कर रही, दूसरी तरफ रसोई गैस की कीमत में वृद्धि कर कुछ गरीब लोगों की रसोई से इस गैस को दूर करने का काम भी कर रही। मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना से गांवो को रोशन करने का कार्यक्रम लागू किया, लेकिन पंजाब सरकार बिजली की दरों में वृद्धि कर गरीबों के घर में अंधेरा करना चाहती है। कोई भी राजनीतिक दल की सरकार अपनी जेब से कोई मुफ्त की सुविधा नहीं देती। आज रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इन कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार को ठोस प्रयास करने चाहिए, तभी आएंगे अच्छे दिन! फिलहाल तो महंगाई ने बुरे दिन ही दिखाए हैं।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

हमले का मकसद

सन 1969 में दिल्ली में जेएनयू की स्थापना हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कुछ ही वर्षों में देश का शीर्ष संस्थान बन जाएगा। वहां देश के गरीब और दलितों को कम खर्च में उच्च शिक्षा मिल रहा था। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी यहीं से पढ़ कर आज देश का सेवा कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान को किसी की बुरी नजर लग गई है। सन 2016 में बवाल हुआ। नकाबपोश लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए। 2020 में फिर से नकाबपोश लोग अंदर घुस कर हमला करते रहे, दर्जनों विद्यार्थी और शिक्षक घायल हो गए। मगर अपराधी फिर से पकड़ से बाहर हैं। क्या दिल्ली पुलिस एवं गृह मंत्रालय को इस पर क्लीन चिट दिया जा सकता है? जेएनयू को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया जा रहा है। सीरिया स्थित ऐतिहासिक पलमयरा शहर के विशाल प्राचीन मंदिर को आइसिस द्वारा नष्ट किया गया था, ऐसे ही जेएनयू को नष्ट किया जा रहा है। अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमा को तालिबान द्वारा विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। क्या वही काम जेएनयू में किया जा रहा है?

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

www.readwhere.com

हिमाचल का विक्टोरिया पुल

1877 में बनाया गया विक्टोरिया पुल आज मंडी के लिए एक धरोहर से कम नहीं है। एक सदी से भी ज्यादा समय से यह लोगों व वाहनों को ब्यास नदी के पार जाने का साधन दे रहा है। मंडी में 30 साल पहले इस पुल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर भियूली में ब्यास नदी पर नया पुल बन कर तैयार हुआ जबकि उससे पहले नदी को पार करने का यही एक मात्र यही एक जरिया था। अब सरकार ने इसी पुल के साथ कुछ ही मीटर दूरी पर 25 करोड़ की लागत से नया पुल बना दिया।

143 साल के पुल की विदाई

बीरबल शर्मा
मंडी।

देश में ऐसे कम ही उदाहरण होंगे, जब किसी नदी पर बने पुल को उसकी दी गई सेवाओं के लिए लोग याद करें और उसे वाहनों के भार से मुक्त होने पर खुशी मनाएं, उसका फूलों से श्रृंगार करें, लाल कारपेट बिछाएं और पूजा-पाठ व मंत्रोच्चारण के साथ उसे याद करें।

ऐसा कुछ छोटी काशी मंडी शहर में हुआ। एक पुल के साथ लोगों के भावनात्मक लगाव की बानगी तो देखिए, भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी इंटेक के मंडी चेप्टर ने तीन जनवरी को पुल पर ही एक कार्यक्रम करके इस पुल की लंबी सेवाओं को याद किया। आम तौर पर कोई भी पुल यदि पुराना हो जाता है तो उसके आसपास नया पुल बनाकर पुराने को जर्जर हालत में छोड़ कर भुला दिया जाता है, मगर मंडी के लोगों ऐसा नहीं किया और पुल की सेवाओं को सलाम करके हुए 'धन्यवाद' कार्यक्रम किया।

143 साल पहले बनाया गया विक्टोरिया पुल आज मंडी के लिए एक धरोहर से कम नहीं है। मंडी में ब्यास नदी पर बना यह पुल ज्यूं का त्यूं कायम है। एक सदी से भी ज्यादा समय से यह लोगों व वाहनों को ब्यास नदी के पार जाने का साधन दे रहा है। मंडी में 30 साल पहले इस पुल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर भियूली में ब्यास नदी पर नया पुल बन कर तैयार हुआ जबकि उससे पहले तो नदी को पार करने व तमाम वाहनों के लिए मात्र यही एक जरिया था। अब सरकार ने इसी पुल के साथ कुछ ही मीटर दूरी पर 25 करोड़ की लागत से नया पुल बना दिया और फिर इस पुल को छोटे वाहनों से भी मुक्त घोषित करके केवल पैदल चलने वालों के लिए ही रखा गया।

इतिहास के अनुसार प्रथम जनवरी 1877 को दिल्ली में तत्कालीन लार्ड लिटन ने देश के राजाओं का ऐतिहासिक दिल्ली दरबार आयोजित किया। यह दिल्ली दरबार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के राज्य अभिषेक के मौके में आयोजित किया गया। इस दरबार में भाग लेने के लिए मंडी के तत्कालीन राजा बिजयी सेन भी दिल्ली गए। देश भर से राजा हुए थे और ऐसे में कई मामलों को लेकर राजाओं में आपसी चर्चा भी हुई। मंडी चूंकि एक पर्वतीय व अति दूर क्षेत्र था ऐसे में कई राजाओं ने बिजयी सेन से यह जानना चाहा कि साधन विहीन क्षेत्र में वह किस तरह से राज चला रहे हैं। बिजयी सेन ने जिस तरह से अपने राज्य व शासन का वर्णन किया इससे दूसरे राजा काफी प्रभावित हुए। जब उनसे पूछा गया कि वह अपने राज्य का दौरा कैसे करते हैं जबकि वहां पर कोई सड़क ही नहीं है। तो इस पर उन्होंने बताया कि कहीं कहीं जनता के कंधों पर, कहीं पालकी पर और जहां कुछ रास्ते अच्छे हैं वहां पर वह अपने घोड़े पर बैठकर दौरे करते हैं। एक राजा का सवाल था कि सडक न होने के कारण वह दिल्ली दरबार में कैसे आए तो उन्होंने बताया कि वह अपने घोड़े पर बैठकर दिल्ली आए हैं। इस पर सवाल पूछने वाला राजा हैरान हुआ और उसने कहा कि क्या आपका घोड़ा इतना सफर कर लेता है। बिजयी सेन ने कहा कि मेरा घोड़ा तो आपकी गाड़ी से भी ज्यादा दौड़ सकता है। इस पर सवाल पूछने वाले राजा ने कहा कि क्या आपका घोड़ा मेरी गाड़ी से ज्यादा दौड़ सकता है। बिजयी सेन ने कहा कि जी हां ज्यादा दौड़ सकता है। इस पर इन दोनों में शर्त लग गई कि दोनों में दौड़ करवाई जाएगी। यदि घोड़ा हार गया तो बिजयी सेन अपनी मूंछें मुंडवा लेंगे और यदि गाड़ी पीछे रह गई तो वह राजा अपनी गाड़ी बिजयी सेन को उपहार के रूप में दे देंगे। शर्त के अनुसार धौला कुंआ से लाल किले तक दौड़ हुई और अंतिम दौर में बिजयी सेन जो घोड़े पर सवार थे ने लाल किले के सामने पहुंच कर जोर से राज माधव की जय बोलते हुए दीवार से उंची छलांग लगाकर गाड़ी से आगे अपने घोड़े का पहुंचा दिया। ऐसे में उसने शर्त जीत ली और साथ में उस राजा की गाड़ी भी उसे मिल गई। तब सवाल खड़ा हुआ कि अब इस गाड़ी का मंडी कैसे पहुंचाया जाए क्योंकि वहां पर सडकें तो हैं नहीं। फिर वहां पर मैकेनिकों से बात की गई और उन्होंने सारी गाड़ी वहां खोल दी उसके कल पुर्जे मंडी पहुंचाए व इसे दमदमा के सामने लाकर जोड़ कर गाड़ी तैयार कर दी। उस समय मंडी के लोगों के लिए यह गाड़ी किसी आठवें आश्चर्य से कम नहीं थी। दिल्ली दरबार जो मंडी के राजा बिजयी सेन के लिए एक चिरस्मरणीय यादगार बन गया था को कालांतर तक बनाए रखने के लिए राजा मंडी ने यह निर्णय लिया कि वह इसकी याद में ब्यास नदी पर एक पुल का निर्माण करेगा। इतिहास के अनुसार बिजयी सेन ने 1 लाख 43 हजार चांदी के शुद्ध सिक्के ब्रिटिश साम्राज्य को चुकता करके इस पुल के लिए इंगलैंड से सामान मंगवाया था। यह सामान कोलकाता तक समुद्री जहाज द्वारा और ओर वहां से बड़ी रेल लाइन के माध्यम से पठानकोट और फिर छोटी लाइन द्वारा जोगिंदरनगर तक लाया गया था।

जोगिंदरनगर से मंडी तक इसे हाथी, घोड़ों तथा ऊंटों पर लाद कर मंडी पहुंचाया गया था और दो साल में उस समय यह पुल बन कर तैयार हो गया था।

पहले इसे पैदल तथा बघियों के लिए ही प्रयोग में लाया जाता था मगर आजादी के बाद इससे होकर बसें, सामान से लदे ट्रक भी गुजारे जाने लगे जिससे इसे नुकसान पहुंचा। यह क्रम 1990 तक चलता रहा जब तक मंडी शहर के भियूली में एक नया वैकल्पिक पक्का पुल बन कर तैयार नहीं हो गया। इसके लिए दिल्ली व कोलकाता से इंजीनियर बुलाए और इस पुल को तैयार करके इसका नाम विक्टोरिया रख दिया। इसकी दो यादगार पट्टिकाएं आज भी चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में संरक्षित हैं जबकि इसका उल्लेख पुल के प्रवेश द्वारों पर अंकित है।

हिमाचल

पुल के निर्माण के लिए कठोर चट्टानों के बीच से सुराख किए गए और इसमें चूंकि बड़े लोगों का अंदर जाना मुश्किल होता था ऐसे में बच्चों से भी बगारें करवा कर ये सुराख करवाए गए तथा इनमें गहराई तक जाकर लोहे के रस्से बांधे गए जो आज भी देखे जा सकते हैं। इसी तर्ज पर बाद में प्रदेश में कई नदियों पर झूले पुलों का निर्माण हुआ। यह अपने आप में एक बड़ा कारीगरी कमाल है। जरूरत यही है कि इसे महज अब आने जाने का साधन न मान कर संरक्षित किया जाएए सारा ध्यान इसे एक धरोहर के रूप में बनाए रखने पर होना चाहिए। वाहनों का बोझ इससे जितनी जल्दी हो सके कम कर दिया जाए और केवल पैदल आने जाने वालों के लिए ही इसे रखा जाए।

कोटा के अस्पतालों में बदइंतजामी से हो रहीं नवजातों की मौत

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान के कोटा के सरकारी अस्पताल में एक महीने में 110 नवजातों की मौत ने चिकित्सा महकमे की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। 2019 में इस अस्पताल में 963 बच्चों की मौत होने से ही साफ हो जाता है कि जिम्मेदार कितने लापरवाह बने रहे और मौतों का सिलसिला नहीं रोक पाए। यह हालात केवल कोटा के अस्पताल की नहीं है बल्कि प्रदेश में बच्चों के बड़े सरकारी अस्पतालों की हालात भी कमोबेश ऐसी ही है। इन अस्पतालों में भी लापरवाही के कारण नवजात बेसमय ही मौत के मुंह में समा रहे हैं।

कोटा में जब हालात बिगड़ गए और रोजाना ही बच्चों की मौत होने लगी तो केंद्र के साथ ही राज्य सरकार चेती। दोनों सरकारों ने अपने विशेषज्ञों की जांच समितियां कोटा भेजीं तो चौंकाने वाले बातें सामने आईं। दोनों समितियों ने माना कि अस्पताल में हद दर्जे की लापरवाही बरती गई। अस्पताल में मौजूद उपकरणों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

कोटा अस्पताल के एसएनसीयू में 3087 बच्चे भर्ती किए गए जिनमें से 622 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। यह आंकड़ा 20 फीसद से ज्यादा है जबकि अन्य अस्पतालों में यह आंकड़ा सिर्फ 10 फीसद ही रहता है। समिति की जांच में सामने आया कि अस्पताल के 77 वार्मर काम नहीं कर रहे थे। केंद्रीय समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि प्रदेश में 2019 में एसएनसीयू 104209 बच्चे भर्ती हुए जिनमें से 10941 बच्चों की मौत हुई। इस दौरान कोटा में 3087 में से 622 बच्चों की मौत साफ बताती है कि यह अन्य जगहों से दुगुनी है। कोटा अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लाइन नहीं है। सिलेंडर से ही मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती है। अस्पताल में 28 में से 22 नेबुलाइजर, 111 में से 81 इंफ्यूजन पंप, 101 में 28 मल्टी पेरा मॉनीटर और 38 में से 32 पल्स ऑक्सीमीटर उपकरण खराब होने से भी हालात बिगड़े। समितियों ने सरकार को जो रिपोर्ट दी है उससे साफ है कि हर तरह के उपकरण और व्यवस्था में लापरवाही बरती गई। इस अस्पताल में वेंटिलेटर तक खराब पड़े हैं।

कोटा अस्पताल में नवजात और एक वर्ष तक के बच्चों की बड़ी संख्या में मौत के बाद मचे हाहाकार से जगे सरकारी तंत्र ने अब सुधार का भरोसा दिया है। इसके अलावा प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान चला रही है और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने पर पूरा फोकस है।

राजस्थान

कोटा में बच्चों की मौत दुखदायी है। सुधार के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि एक भी बच्चे की मौत इलाज के अभाव में नहीं हो। कोटा में किन हालातों में बच्चों की मौत हुई, इसकी गहन पड़ताल की जा रही है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के अन्य बच्चों के अस्पतालों से पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है। अस्पतालों में उपकरणों की कमी को पूरा करने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही इन रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
-रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री

पुल नवजात शिशुओं की चिकित्सा बहुत ही संवेदनशील मामला है। अस्पतालों में तमाम तरह के उपकरणों के साथ ही नर्सेज की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में इनकी कमी होने से ही हालात बिगड़ते हैं। कोटा के मामले में भी उपकरणों के खराब होने के साथ ही डॉक्टरों और नर्स की कमी होना भी बड़ा कारण रहा। साथ ही हर अस्पताल में स्टाफ के साथ उपकरणों का सही तरीके से काम करते रहना जरूरी है।
-डॉक्टर आर के गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ

मध्याह्न भोजन के मामले में देशभर में अव्वल

शंकर जालान
कोलकाता।

मध्य एवं निम्न परिवार के बच्चों का शिक्षा के प्रति झुकाव हो और वे समय से पहले स्कूल न छोड़े इसी बात को ध्यान में रखते हुए देशभर के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन (दोपहर के भोजन) की व्यवस्था शुरू की गई। इस योजना के चालू होने के बाद से निश्चित तौर पर सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ा। स्कूलों में बच्चों की बढ़ोतरी के साथ ही मध्याह्न भोजन के साथ तरह-तरह के घोटाले, कम गुणवत्ता वाले भोजन और कई तरह के विवाद भी खड़े हुए। इन सबके बावजूद सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन परोसने में पश्चिम बंगाल देशभर में सबसे आगे है। राज्य में एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को दोपहर का भोजन दिया जाता है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है।

पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 में 1,08,77,644 छात्र-छात्राओं को स्कूल जाने के क्रम में दोपहर के भोजन का लाभ मिला, जो देशभर में पहले पायदान पर रहा। इस कड़ी में 1,07,04,604 के साथ बिहार दूसरे और 1,05,58,209 की संख्या के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम एक लाख 30 हजार 148 छात्र-छात्राओं तक ही दोपहर का भोजन पहुंच पाया।

शिक्षा के साथ भोजन मुहैया कराने के जिस मकसद से यह योजना शुरू की गई थी, उसमें बीते वित्तीय वर्ष (2018-19) में बंगाल ने देश के अन्य राज्यों को पछाड़ दिया।

एक निगाह 2018-19 पर

राज्य	*लाभार्थियों की संख्या*
मध्य प्रदेश	48,65,379
राजस्थान	46,88,607
गुजरात	46,55,673
कर्नाटक	42,81,055
आंध्र प्रदेश	30,79,772
झारखंड	27,59,668
केरल	26,00,154
छत्तीसगढ़	25,57,512
पंजाब	14,33,243
हरियाणा	12,51,854

बंगाल

मालूम हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत छह से 14 साल के बच्चों (आठवीं कक्षा तक) को दोपहर का भोजन दिया जाता है। संतोष की बात यह है कि इस योजना में बंगाल का प्रदर्शन साल-दर-साल बेहतर हो रहा है। हालांकि इस दौरान कभी घोटाला, कभी कम गुणवत्ता और कभी भोजन चोरी की घटना सामने आती रही, लेकिन राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल विवाद का निपटारा किया, जिसका प्रतिफल यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दोपहर का भोजन परोसने में बंगाल को पहला स्थान मिला।

आंकड़े पर गौर करें तो जब से दोपहर के भोजन की योजना शुरू हुई है तब से सूबे में इस योजना के तहत भ्रष्टाचार के नौ मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा तीन मामले 2017 में सामने आए हैं। 2018 की घटना के बाद सूबे की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी खुद सक्रिय हुईं और दोषी लोगों को चेतावनी देते हुए फटकार भी लगाई। उसके बाद से 2019 की समाप्ति तक मध्याह्न भोजन में धांधली की कहीं कोई मामला सामने नहीं आया। 2018 में कम गुणवत्ता वाले भोजन परोसने पर नाराजगी जताते हुए न केवल खुद मुख्यमंत्री हरकत में आई थीं, बल्कि यह निर्देश भी जारी किया कि मौसम के मुताबिक मध्याह्न भोजन की सूची राज्य सरकार तैयार करेगी।

अखबार बेचा, पढ़ाई की और बने बैंक मैनेजर

दिनेश शाक्य
इटावा।

कहते हैं मेहनत और लगन से किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चकरनगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के उपशाखा प्रबंधक ईश्वरदयाल।

ईश्वर दयाल के बैंक मैनेजर बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ईश्वर के पिता दयाशंकर मजदूरी करते थे और माता ऊषा देवी गृहिणी हैं। चार बच्चों में ईश्वर दयाल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने गांव के पुरावली जूनियर स्कूल से आठवीं तक की पढ़ाई की।

मजदूर पिता के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल था। इसलिए ईश्वर दयाल पढ़ाई पूरी करने के लिए कक्षा छठवीं से सुबह अखबार और ब्रेड बेचने लगे। अखबार बेचकर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। दसवीं के बाद वह बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। ईश्वर ने 2008 में जनता कॉलेज बकेवर से कृषि वर्ग में स्नातक किया। मेधावी होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। इसी के सहारे आगे की पढ़ाई की। उद्यान शास्त्र से परास्नातक और आगरा विश्वविद्यालय में बीएड के लिए प्रवेश किया। पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगे। बीएड करने के दौरान ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल ऑफिसर पद पर चयन हो गया। अब चकरनगर में शाखा में प्रबंधक हैं।

उत्तर प्रदेश

इस दौरान उन्होंने अपनी भाई-बहनों को भी पढ़ाया। ईश्वर दयाल न सिर्फ अपने गांव बल्कि अपने क्षेत्र के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर दयाल ने अपनी कामयाबी के बारे में कहा, 'मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस मुकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे, इसलिए यह कामयाबी मिली।'

बर्फबारी से खिले किसानों के चेहरे

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड की पहाड़ियां इस बार भारी बर्फबारी के कारण लकदक हैं। पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के साथ इस बार प्रदेश के किसान भी बहुत प्रसन्न हैं। भारी बर्फबारी के कारण सेव कृषकों के चेहरों पर चमक है।

गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के औली में भारी बर्फबारी से बर्फ के मैदान में स्कीइंग के खिलाड़ियों के जलवे हैं और कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी औली में इस खेल की अच्छी संभावनाएं देख रहे हैं। केदारनाथ की 2013 की दैवीय आपदा के छह साल बाद प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, इससे यह संभावना जताई जा रही है कि गर्मियों में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पीने और सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी।

बर्फबारी के साथ ही भारी बारिश भी हुई है। लिहाजा सूबे के पर्वतीय क्षेत्रों में कई मोटर मार्ग और पैदल मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्वतों की रानी मसूरी और सरोवर नगरी नैनीताल में भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच गए, जिससे उन्हें घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ा। इस समय काफी पर्यटक मुनस्यारी में हैं। लोक निर्माण विभाग के पास मुनस्यारी क्षेत्र में बर्फबारी से निपटने के लिए एक रोबोट मशीन है, जो मुनस्यारी से काला मुनी रोड खोलने में सक्षम नहीं है।

उत्तराखंड

इस बार उत्तराखंड में बर्फबारी समय से हुई है। डेढ़ दशक से ज्यादा समय के बाद मौसम चक्र में समयानुकूल परिवर्तन हुआ, जिस कारण भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिला है। यह बर्फबारी सेव, आड़ू, खुमानी जैसे फलों तथा आलू, गेहूं की फसल के लिए अच्छा है। बर्फ धीरे-धीरे पिघलती है, जो जल स्रोतों के लिए संजीवनी का काम करती है, जिसे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन समय में पानी की दिक्कत काफी हद तक दूर होगी। इस बार बर्फबारी पौड़ी गढ़वाल के ऐसे इलाकों में भी हुई जहां कई दशक तक बर्फबारी नहीं हुई थी।
-दिनेश चंद्र भट्ट, पर्यावरणविद प्रोफेसर

मसूरी और धनोल्टी क्षेत्र में बर्फबारी से हो रही दिक्कतों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन दल और आइटीबीपी के 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं और 500 से ज्यादा पर्यटकों को अब तक सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा चुका है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयार है। साथ ही पर्यटकों को बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में आने के लिए सतर्कता बरतने को कहा गया है।
-अरुण मोहन जोशी, देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

बर्फबारी बनी मुसीबत

जहां इस बार भारी बर्फबारी ने उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाई है। वहीं जन जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई मोटर मार्ग और पैदल मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं मंडल के नैनीताल के अलावा मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, धानाचुली, रानीखेत, पिथौरागढ़, चंपावत में भारी बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। गढ़वाल मंडल के चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी जिलों में भारी बारिश के साथ जमकर बर्फबारी हुई। हेमकुंड साहिब, बदरीनाथ, केदारनाथ के मंदिर बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं। पहाड़ों में बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, औली एमुनस्यारी में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। औली में तो तापमान शून्य से 3 डिग्री नीचे है। चमोली जिले के 12 गांव बर्फबारी से बेहद प्रभावित हैं।

पूरे उत्तराखंड में करीब 100 से ज्यादा गांव बर्फबारी के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे है। चमोली, जोशीमठ क्षेत्रों में 12 घंटे से बिजली गायब है। वहीं नैनीताल में भारी बर्फबारी के कारण पर्यटकों की बढ़ती संख्या और जाम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को हल्द्वानी के पास ही रोक दिया है। बीते दिनों मसूरी में दो-तीन रूक-रूक कर बर्फबारी हुई, जिससे 500 से ज्यादा पर्यटक बर्फबारी और जाम में फंस गए। जिन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने बचाव राहत अभियान चलाकर बचाया और सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम केंद्र देहरादून के मुताबिक हरिद्वार जिले में 8-9 जनवरी को 12.15 मिलीमीटर वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर ओले पड़ने की उम्मीद है, देहरादून में 8-9 जनवरी को 15.15 मिलीमीटर तथा पौड़ी गढ़वाल में 15.15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के कई इलाकों में 8-12 जनवरी तक हल्के से मध्यम बादल छा रहने की सम्भावना है। हरिद्वार जिले में कुछ जगहों पर 9-10 जनवरी को सबसे अधिक ठंडा दिन रहने की संभावना है।

गुजरात में एबीवीपी, एनएसयूआइ के बीच झड़प में दस से अधिक घायल

अमदाबाद, 7 जनवरी (भाषा)।

● दोनों छात्र इकाइयों ने आरोप लगाया, उन पर डंडों से हमला किया गया और पथराव किया गया। दोनों संगठनों ने दोनों ओर से पांच-पांच सदस्यों के घायल होने का दावा किया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) हिंसा के खिलाफ मंगलवार को आयोजित प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और उसके प्रतिद्वंद्वी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) के सदस्यों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। घटना कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआइ की ओर से शहर के पालडी क्षेत्र में आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी कार्यालय के बाहर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान हुई।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। दोनों छात्र इकाइयों ने आरोप लगाया कि उन पर डंडों से हमला किया गया और पथराव किया गया। दोनों संगठनों ने दोनों ओर से पांच-पांच सदस्यों के घायल होने का दावा किया है। कांग्रेस की छात्र इकाई के एक सदस्य ने बताया कि गुजरात एनएसयूआइ महासचिव निखिल सवानी को सिर में गंभीर चोट आई है और उन्हें यहां वीएस जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय टेलीविजन चैनलों द्वारा एक वीडियो क्लिप प्रसारित किया गया, जिसमें कुछ व्यक्ति पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सवानी को कथित तौर पर पीटते दिख रहे हैं। सवानी कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के निकट सहयोगी हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि स्थिति को अब नियंत्रित कर लिया गया है। फिलहाल कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। यहां हिंसा तब भड़की, जब एनएसयूआइ के सदस्य दिल्ली स्थित जेएनयू परिसर में रविवार को छात्रों और शिक्षकों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए एबीवीपी कार्यालय के बाहर पहुंचे। एनएसयूआइ आरोप लगा रही है कि जेएनयू हमले में एबीवीपी शामिल है।

एनएसयूआइ महासचिव भाविक सोलंकी ने कहा कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। एबीवीपी के गुंडों ने हम पर अचानक डंडों, पत्थर और पाइपों से हमला कर दिया। यह हमला पुलिस की मौजूदगी में किया गया और यह पूर्व नियोजित था। सवानी सहित हमारे पांच सदस्य हमले में घायल हुए हैं। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एनएसयूआइ के सदस्य उसके कार्यकर्ताओं पर हमले के इरादे से उसके कार्यालय आए थे।

एबीवीपी सदस्य नरेश देसाई ने कहा कि एनएसयूआइ सदस्य अपने झंडे लहराते हुए हमारे कार्यालय तक आए। उन्होंने झंडे निकाल लिए और उसके डंडे का इस्तेमाल हमारे सदस्यों पर हमला करने के लिए किया। इस घटना में उनके पांच से अधिक सदस्य घायल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे जेएनयू में एबीवीपी के सदस्यों पर हमला किया गया, एनएसयूआइ के असामाजिक तत्त्वों ने यहां हम पर एक पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया।

बीती बातें छोड़कर विश्वविद्यालय लौटें विद्यार्थी : जेएनयू कुलपति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) कुलपति एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को छात्रों से कहा कि वे बीती बातों को पीछे छोड़कर विश्वविद्यालय परिसर लौट आएं। कुमार ने एक बयान में कहा- सभी घायल छात्रों के प्रति मेरी संवेदना है। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि जेएनयू परिसर एक सुरक्षित स्थान है। मैं सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि वे परिसर लौट आएं। आइए हम बीती सभी बातों को पीछे छोड़ दें। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक नए सत्र के लिए पंजीयन फिर से शुरू हो गया है। छात्र अब अगले सेमेस्टर के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं।

कुमार इस बात को लेकर छात्रों और शिक्षकों के निशाने पर हैं कि उन्होंने तब पर्याप्त कदम नहीं उठाए जब उन पर (छात्रों-शिक्षकों पर) परिसर में नकाबपोशों की ओर से बेरहमी से हमला किया जा रहा था। इसपर कुलपति का कहना है कि जब कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो हम फौरन पुलिस को नहीं बुलाते। हम देखते हैं कि क्या विश्वविद्यालय का सुरक्षा तंत्र इससे निपट सकता है जब हमने रविवार को छात्रों के बीच आक्रामक बर्ताव की संभावना देखी तो हमने पुलिस को सूचित किया।

कुछ अराजकतावादी देश विरोधी नारे लगा रहे : जावडेकर

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

जेएनयू हमले मामले में गेटवे आफ इंडिया पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर दिखाने एवं नारेबाजी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कुछ गिने-चुने अराजकतावादियों का कृत्य करार दिया और कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने के बाद क्षेत्र विकास कर रहा है।

जावडेकर ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और गेटवे आफ इंडिया पर ऐसे पोस्टर दिखाने एवं देश विरोधी नारे लगाने का काम कुछ अराजकतावादियों का कृत्य है। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने का समर्थन किया है और इसके बाद से क्षेत्र विकास कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीर के भीतर किसी ने ऐसे नारे नहीं लगाए और अब अगर इस क्षेत्र से बाहर कोई ऐसे नारे लगाता है तब इसका कोई मतलब नहीं बनता है।

जावडेकर ने कहा कि जेएनयू हमले में शामिल नकाबपोश हमलावरों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि जेएनयू और देश के अन्य हिस्सों में हिसा भड़काने के लिए जानबूझकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, 'गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जेएनयू हमले में शामिल नकाबपोश लोग जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे।' उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, जेएनयू और देश के अन्य हिस्सों में हिसा भड़काने के लिए जानबूझकर गलतफहमी पैदा की जा रही है, जिसे भी उजागर किया जाएगा।'

ईरान संकट पर मोदी ने ट्रंप से की बातचीत

पेज 1 का बाकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच यह बातचीत विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष माइक पोंपिओ के बीच खाड़ी के हालात को लेकर हुई विस्तृत वार्ता के दो दिन बाद हुई है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने कहा कि मोदी और ट्रंप ने क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग के मुद्दों पर बातचीत की है। नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच विकसित हो रही रणनीतिक भागीदारी की चर्चा की और विश्वास जताया कि आपसी सहयोग और बढ़ेगा।

उत्तराखंड विस में आरक्षण की सीमा दस साल बढ़ाने का प्रस्ताव पारित

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 7 जनवरी ।

उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा दस साल और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव मंगलवार को आमराय से पास हो गया। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया था।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में पत्रकारों से कहा कि पिछले 70 सालों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने काफी प्रगति की है। मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ लोग अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इनको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना बेहद जरूरी है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से भी मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित समावेशी स्वरूप को बनाए रखने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को आगामी दस सालों 25 जनवरी 2030 तक के लिए जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण संबंधी उपबंध किया गया था। लेकिन इन उपबंधों का विस्तार न होने के कारण यह उपबंध 25 जनवरी, 2020 को अप्रभावी हो रहा था। इसलिए इस उपबंध को दस वर्षों तक जारी रखने के लिए लोकसभा में पारित इस प्रस्ताव को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है और राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को विधानसभा द्वारा जारी रखने का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित होने पर सभी सदस्यों का आभार जताया।

गोवा विस में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण विधेयक पर मुहर

पणजी, 7 जनवरी (भाषा)।

गोवा विधानसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण की अवधि दस वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन मंगलवार को कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष राजेश पटणेकर ने विपक्षी दलों द्वारा महादयी जल मुद्दे को लेकर सौंपे गए कार्य स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। पटणेकर ने कहा कि विधानसभा का एक दिन का सत्र राज्यपाल ने बुलाया था ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दस वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान करने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक पर मुहर लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जिसे सदन ने एकमत से पारित कर दिया।

राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर समेत कुछ विधायक सदन में विधेयक पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि सत्र केवल विधेयक के अनुमोदन के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा, 'यह केवल नवीकरण और अनुमोदन के लिए है, चर्चा की कोई जरूरत नहीं है।' अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा महादयी जल मुद्दे पर सौंपे गए कार्य स्थगन नोटिस की अनुमति नहीं दी।

उन्होंने कहा, 'सदस्यगण मुद्दे को उठा सकते हैं और विभिन्न संसदीय नियमों के अनुसार चर्चा कर सकते हैं। मुद्दा अत्यावश्यक तभी होता है जब वह हाल में ही घटित हुआ हो। यह मुद्दा हाल में घटित नहीं हुआ। यह सत्र केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधन के लिए विशेष रूप से बुलाया गया है इसलिए मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दूंगा।'

विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर नारे लगाए और महादयी नदी की धारा को मोड़ने से रोकने की मांग की।

दिग्गज चित्रकार अकबर पद्मसी का निधन

कोयंबटूर, 7 जनवरी (भाषा)।

भारत के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक अकबर पद्मसी का यहां ईशा योग केंद्र में निधन हो गया।

ईशा योग केंद्र से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रगतिशील आधुनिकतावादी आंदोलन के प्रणेता 91 वर्षीय पदमसी का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण सोमवार रात निधन हो गया। वह लंबे समय से ईशा योग केंद्र में रह रहे थे, जिसकी स्थापना जग्गी वासुदेव ने की है। मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र में ही उनके परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

निर्भया के गुनहगारों को 22 को फांसी

पेज 1 का बाकी

और वहां भी दोषियों की अपील खारिज हो गई थी। सनद रहे कि पूरे देश को झकझोर देने वाली यह वारदात 16-17 दिसंबर 2012 की रात हुई थी। जिसमें छह लोगों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। 29 दिसंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। मामले में छह दोषियों में से एक रामसिंह मे जेल में ही खुदकुशी कर ली थी जबकि एक दोषी नाबालिग था जिसने कानून में तय अधिकतम सजा (तीन साल) काट ली है।

कई देशों के राजदूत जल्द करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा

पेज 1 का बाकी

अधिकारियों के अनुसार, भारत में पदस्थ करीब 15 से 20 राजदूतों को इस सप्ताह के आखिर में कश्मीर घाटी ले जाया जाएगा जहां उन्हें राज्य में फैले उग्रवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में सुरक्षा एजंसियां जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि उसी दिन उन्हें जम्मू ले जाया जाएगा जहां वे उपराज्यपाल जीसी मुर्मू व अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और अगले दिन दिल्ली लौट आएंगे। सूत्रों ने बताया कि कई देशों के राजदूतों ने सरकार से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के बाद घाटी में बनी स्थिति का मुआयना करने के लिए कश्मीर जाने का अनुरोध किया है।

जिन राजदूतों को कश्मीर ले जाया जाएगा उनमें यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, लातिन अमेरिका और पश्चिम एशिया समेत कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। यह कदम कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचारों को धता बताने के देश के कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा होगा। गत पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से जुड़े अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद किसी विदेशी शिष्टमंडल की यह दूसरी कश्मीर यात्रा होगी।

इससे पहले यूरोपीय संघ के 23 सांसदों के शिष्टमंडल को दिल्ली स्थित संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन अलाइन्ड स्टडीज द्वारा केंद्रशासित प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए दो दिन के दौरे पर ले जाया गया था। हालांकि सरकार ने शिष्टमंडल के दौरे से दूरी बना ली थी।

आर्थिक वृद्धि दर घटकर पांच फीसद रहने का अनुमान

पेज 1 का बाकी

में गिरावट की प्रमुख वजह विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि कम होना है। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दो फीसद रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र की वृद्धि 6.2 फीसद थी। इसी तरह निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी घटकर 3.2 फीसद पर आने का अनुमान है। 2018-19 में यह 8.7 फीसद रही थी। इस बार की वृद्धि दर 2008-09 के बाद सबसे कम रह सकती है। नवंबर, 2018 में जारी पुरानी श्रृंखला के जीडीपी आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष जीडीपी वृद्धि 3.1 फीसद थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2019) में जीडीपी वृद्धि सालाना आधार पर पांच फीसद और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर,19) में 4.5 फीसद रही थी।

ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि पूरे वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर निचले स्तर पर रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर पांच फीसद कर दिया है। वृहद आर्थिक आंकड़े इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करते समय इनका इस्तेमाल करेंगी। सीतारमण द्वारा एक फरवरी को 2020-21 का बजट पेश किए जाने की संभावना है।

अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि, निर्माण और बिजली, गैस, व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं और जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर भी नीचे आएगी। वहीं खनन, लोक प्रशासन और रक्षा जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर में मामूली सुधार का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसद रहने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 6.8 फीसद रही थी। चालू वित्त वर्ष में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 4.9 फीसद रहने का अनुमान है। 2018-19 में यह 6.6 फीसद था। मूल कीमत पर कृषि, वन और मत्स्य क्षेत्रों से जीवीए की वृद्धि दर 2.8 फीसद रहने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 2.9 फीसद रही थी। इसी तरह खनन और उससे जुड़े क्षेत्र की जीवीए वृद्धि दर 1.5 फीसद रहने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 1.3 फीसद रही थी।

चालू कीमत पर देश की प्रति व्यक्ति आय 1,35,050 रुपए रहने का अनुमान है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की 1,26,406 रुपए की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 6.8 फीसद वृद्धि दर्शाती है। चालू कीमत पर सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) चालू वित्त वर्ष में 57.42 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान सीएसओ ने लगाया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 55.70 लाख करोड़ रुपए रहा था।

स्थिर (2011-12) मूल्य पर जीएफसीएफ के 45.93 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 45.48 लाख करोड़ रुपए रहा था। जीडीपी के संदर्भ में चालू और स्थिर (2011-12) मूल्य पर जीएफसीएफ क्रमशः 28.1 फीसद और 31.1 फीसद रहने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह क्रमश 29.3 फीसद और 32.3 फीसद था।

जेएनयू के प्रोफेसर चंद्रशेखर का सरकारी पैनल से इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

जेएनयू में हिंसा और हंगामे के विरोध में जाने-माने अर्थशास्त्री और जेएनयू के प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर ने विश्वविद्यालय में बने हालात का हवाला देते हुए आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करने वाले सरकारी पैनल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन की अध्यक्षता में सांख्यिकी (एससीईएस) की नई गठित 28 सदस्यीय स्थायी समिति से मैंने खुद को अलग कर लिया है। प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर ने अपने इस्तीफे में कहा, 'मुझे यह सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि जेएनयू में, जहां मैं रहता हूं, मौजूदा हालात की वजह से मैं कल की बैठक में शामिल होने में असमर्थ हूं। इसके अलावा, मुझे लगता है, मौजूदा स्थितियों में कमेटी भी सांख्यिकीय प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, जिसकी हालिया वक्त में साख घट गई है।' इस समिति का गठन पिछले महीने ही किया गया था, ताकि डेटा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

ड्रोन से रखी जा रही जेएनयू पर नजर

नई दिल्ली, 7 जनवरी।

लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय परिसर पर ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है। मंगलवार को साबरमती ढ़ाबा के पास जब विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे तब अचानक पुलिस का ड्रोन उड़ते देखा गया। यह सुरक्षा के मद्देनजर एक कवच के रूप में दिल्ली पुलिस की निगरानी है। (जनसत्ता)

निर्भया मामले में फैसला आने में देरी हुई : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्भया मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा से जुड़े फैसले को लेकर मंगलवार को कहा कि मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले लोगों को इससे सबक मिलेगा कि वे बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी कि बलात्कारियों को छह महीने में फांसी हो। वहीं उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि पूरा देश निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहा है, यह कानून की जीत है। कांग्रेस ने भी निर्भया मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा से जुड़े फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में न्याय होने में देर हुई।

पार्टी प्रवक्ता सुष्मिता देव ने कहा-हम इसका स्वागत करते हैं। निर्भया के माता-पिता ने सात साल तक संघर्ष किया है और उन्हें हम सलाम करते हैं।

शेयर खरीद समझौते के प्रारूप को मिली मंजूरी

पेज 1 का बाकी

यह प्रक्रिया विमानन कंपनी में सरकार की सौ फीसद हिस्सेदारी के साथ ही एअर इंडिया एक्सप्रेस और एआइएसएटीएस संयुक्त उद्यम में एअर इंडिया की हिस्सेदारी की बिक्री की पेशकश के साथ शुरू करने को कहा गया।

एअर इंडिया का घाटा 2018-19 में 8,556 करोड़ रुपए के आसपास रहा। इसके साथ ही विमानन कंपनी पर कुछ कर्ज 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एआइएसएम ने एअरलाइन के लिए ऋण पुनर्गठन योजना के साथ ही एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को भी मंजूरी दी थी। हालांकि, इस बारे में पूरा ब्योरा नहीं दिया गया।

एअर इंडिया के प्रमुख अश्विनी लोहानी ने इससे पहले शनिवार को कहा था कि विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ रही एअर इंडिया के बंद होने को लेकर अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। हालांकि, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले स्वयं नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि एअर इंडिया की उड़ानें जारी रखने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति वहनीय नहीं रह गई है।

बिलों से बाहर निकले 'आप' के नेता

पेज 1 का बाकी

पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरा था। इसकी शुरुआत हैदराबाद की घटना के बाद हुई थी और मुख्यमंत्री ने देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। उनका कहना था कि देश की कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा टूटा है। इसके बार पार्टी के अन्य नेता एक-एक मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर निगम और केंद्रीय मुद्दों पर भाजपा की घेराबंदी शुरू की।

आम आदमी पार्टी दिल्ली में शिक्षा को एक बड़ा मॉडल लेकर चल रही है। इसी आधार पर एमसीडी स्कूलों की रिपोर्ट कार्ड के जरिये भाजपा पर भी हमलावर हो रही है। इस रणनीति में कैग रिपोर्ट को आधार बनाया। इसके अलावा आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी स्कूल के बेसमेंट में चलने की रिपोर्ट लाकर निगम भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर दी। इनमें दिल्ली के कई नामी-गिरामी स्कूलों के नाम थे। मुश्किलें बढ़ाने वाले पार्टी के सक्रिय नेताओं में खुद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, स्वाति मालिवाल, आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता हैं, जो लगातार केंद्र सरकार पर सीधे हमले करते रहे।

बीते साढ़े चाल साल में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर कोई काम नहीं करने देने का आरोप लगाया था। लेकिन करीब एक माह में इन योजनाओं को लागू करके दिखा दिया है। इन योजनाओं में मुफ्त वाईफाई, महिलाओं के लिए बसों में निशुल्क यात्रा जैसी अहम योजनाएं है। राघव चड्ढा व आतिशी ने इस पर मोर्चा संभाला था और इसे सीधे भाजपा की घबराहट से जोड़ा था। वहीं महिला सुरक्षा की शुरुआत महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की।

करीब एक माह से लगातार तीन से चार जन सभाएं और इनमें जनता से जुड़ने को आम आदमी पार्टी ने अपना फार्मूला बनाया है। हालांकि बीते पांच सालों में जनता से पूछ कर काम करने का दावा किया गया था, जो इन सालों में नजर नहीं आया। इसे विपक्ष भी अपना बड़ा हथियार बना रहा है। इसके अलावा नवंबर में धोखा दिवस मना कर भाजपा को कच्ची कॉलोनी के मामले में घेरने की भी आप ने कोशिश की। वहीं पार्टी ने रफाल, प्रदूषण और कच्ची कॉलोनियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया।

हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू हमले की जिम्मेदारी ली

पेज 1 का बाकी

इस वीडियो में एक व्यक्ति खुद को पिंकी चौधरी बताते हुए कह रहा है कि जो लोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का सहारा लेंगे, उनके साथ जेएनयू छात्रों और अध्यापकों जैसा ही सलूक किया जाएगा। इस व्यक्ति ने बाद में समाचार चैनलों से कहा कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त अन्य लोगों को इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल, चौधरी के दावों पर पुलिस की कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं आई।

वीडियो में चौधरी को कहते सुना जा सकता है, 'कई बरसों से जेएनयू वामपंथियों का गढ़ रहा है और हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिकी चौधरी लेते हैं... वे सभी हमारे स्वयंसेवक थे। जो लोग भारत माता के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।' इसमें आगे कहा गया है, 'हम हमेशा भारत माता के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हैं। हम धर्म के खिलाफ बोलने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।' चौधरी से संपर्क साधने की कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि उनका फोन बंद था।

गौरतलब है कि रविवार को नकाबपोश लोगों की एक भीड़ ने यहां दक्षिण दिल्ली स्थित जेएनयू परिसर में घुस कर तीन छात्रावासों में विद्यार्थियों को निशाना बनाया था। डंडों, सरिया और पत्थरों से हमला किया था। छात्रावास में खिड़कियां, फर्नीचर तथा निजी सामान तोड़ दिए थे। उन्होंने एक महिला छात्रावास में भी हमला किया था। साथ ही, शिक्षकों पर भी हमला किया गया था। इस हमले में जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की अध्यक्ष आईशी घोष सहित 34 लोग घायल हो गए थे। जेएनयूएसयू ने इस हमले के लिए आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी स्वयंसेवकों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली पुलिस हिंदू रक्षा दल के दावे का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

जेएनयूएसयू अध्यक्ष आईसी का नाम पुलिस प्राथमिकी में

पेज 1 का बाकी

मंगलवार शाम तक इन मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेएनयूएसयू के उपाध्यक्ष साकेत मून ने आरोप लगाया कि प्रशासन कुछ छात्रों को चुन-चुनकर निशाना बना रहा है। मून ने सर्वर रूप में तोड़फोड़ की घटना में संलिप्तता से इनकार किया। मंगलवार को जेएनयू परिसर में हुए हमले के सिलसिले में सबूत जुटाने के लिए फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कई टीमें मंगलवार को वहां पहुंची। एफएसएल की टीमें विश्वविद्यालय में पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। अपराध शाखा के जांच अधिकारी ने कहा कि एक टीम विश्वविद्यालय परिसर में नकाबपोश लोगों द्वारा छात्रों और अध्यापकों पर हमले में इस्तेमाल किए गए सरिया (राड) और पत्थरों जैसे सबूतों को एकत्र कर रही है, जबकि दूसरी टीम वहां मौजूद रसायनों के नमूने जुटा रही है। एक अन्य टीम अन्य साक्ष्यों सहित डीएनए नमूने एकत्र करेगी। एफएसएल से फोटो विशेषज्ञों की एक टीम भी परिसर में मौजूद किए गए।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एफएसएल से सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के लिए एक कंप्यूटर फारेंसिक टीम भेजने का अनुरोध किया है और इसके बुधवार को परिसर में पहुंचने की संभावना है। मंगलवार को जांच का जिम्मा संभालने वाली अपराध शाखा ने छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले में शामिल लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज और चेहरे पहचानने की प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि जेएनयू परिसर में रविवार रात लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने परिसर में प्रवेश कर छात्रों तथा शिक्षकों पर हमला कर दिया था और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। बाद में प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष सहित हमले में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे।

www.readwhere.com

सुलेमानी के जनाजे में भगदड़, 50 की मौत

तेहरान, 7 जनवरी (एपी) ।

ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे की जुलूस में मची भगदड़ में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 213 अन्य घायल हो गए। सरकार ने बाद में करमान में एकत्र भारी भीड़ का हवाला देते हुए सुलेमानी के दफन को टाल दिया।

सरकारी टीवी की खबर के अनुसार, भगदड़ रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल सुलेमानी के गृह नगर करमान में मची है। सैन्य कमांडर शुक्रवार को इराक में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में सड़कों पर शव नजर आ रहे हैं और अन्य मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकारी टीवी ने ईरान की आपात चिकित्सा सेवा के प्रमुख पीरहुसैन कुलीवंद के हवाले से यह सूचना दी है। उन्होंने पहले कहा

भीड़ का हवाला देकर सरकार ने टाल दिया सुलेमानी का दफन

अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर

था, दुर्भाग्यवश जनाजे के जुलूस में मची भगदड़ में हमारे कुछ हमवतन घायल हो गए हैं और कुछ की मौत हो गई है। खबर के अनुसार, सरकार ने बाद में करमान में एकत्र भारी भीड़ का हवाला देते हुए सुलेमानी के दफन को टाल दिया। उसने स्पष्ट नहीं किया कि उनका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा।

पेंटागन ने ट्रंप की धमकी से दूरी बनाई

वाशिंगटन, 7 जनवरी (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के सांस्कृतिक स्थलों को निशाना बनाने वाले बयान से पेंटागन ने दूरी बना ली है। इस तरह के हमलों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध है।

रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि अमेरिका 'सैन्य संघर्ष के नियमों का पालन करेगा।' उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब यह होगा कि सांस्कृतिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया जाएगा तो इस पर एस्पर ने कहा, 'सैन्य संघर्ष का यही नियम है।' राष्ट्रपति और पेंटागन प्रमुख के बीच यह मतभेद ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान के कुद्स बलों के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद अमेरिका और तेहरान के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है।

एस्पर की सार्वजनिक तौर पर की गई टिप्पणी में अन्य रक्षा एवं सैन्य अधिकारियों की चिंता की झलक मिलती है, जो विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों, असैन्य स्थलों पर हमलों को लेकर कानूनी प्रतिबंधों का हवाला देते हैं। ट्रंप ने शनिवार को एक ट्वीट में सांस्कृतिक स्थलों को निशाना बनाने की ओर संकेत दिया था और इसके अगले ही दिन संवाददाताओं से बातचीत में यही बात दोहराई थी। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर चेतावनी दी थी कि यदि ईरान अमेरिकी जवानों या संपत्ति पर हमला करता है तो अमेरिका 52 ईरानी स्थलों को निशाना बनाएगा और उन पर 'बहुत तेजी से और जोरदार हमला' करेगा। उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई।

हर स्थान को खाक कर देंगे, जहां अमेरिका की मौजूदगी : सलामी

तेहरान, 7 जनवरी (एपी)।

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के अगुवा ने अमेरिका के समर्थन वाले स्थानों को आग के हवाले करने की मंगलवार को धमकी दी। पिछले हफ्ते अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के शीर्ष जनरल की हत्या के जवाब में उन्होंने यह धमकी दी है।

हुसैन सलामी ने कर्मन के चौराहे पर जमा हुए हजारों लोगों के सामने यह प्रतिज्ञा ली। कर्मन मृतक जनरल कासिम सुलेमानी का गृह प्रदेश है। उन्होंने कहा, 'हम बदला लेंगे। हम हर उस जगह को खाक कर देंगे जहां उनकी मौजूदगी है।' साथ ही उन्होंने 'इजराइल मुर्दाबाद' के नारे लगाए। इजराइल लंबे समय से ईरान का क्षेत्रीय दुश्मन रहा है।

इराकी लड़ाकों ने बैठक बुलाई

बगदाद, 7 जनवरी। इराकी सशस्त्र लड़ाकों ने पिछले हफ्ते बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान और इराक के शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बाद युद्ध का सामना करने के लिए फौरी बैठक का मंगलवार को आह्वान किया। हरकत उल नुजाबा समूह के उप प्रमुख नस्र अल शामरी ने कहा, 'हम वाशिंगटन को जवाब देने के लिए एक इकाई के रूप में प्रतिरोध बलों को पुनः संगठित करेंगे।' नुजाबा को ईरान का समर्थन प्राप्त है और यह अमेरिका का धुर विरोधी है। यह इराक के हशेद अल शाबी का सर्वाधिक कट्टरपंथी धड़ा है। **(एएफपी)**

ईरान ने सभी अमेरिकी बलों को 'आतंकवादी' घोषित किया

तेहरान, 7 जनवरी (एएफपी) ।

ईरान की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पारित कर सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित किया। जनरल कासिम सुलेमानी के बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। इस नए विधेयक के अनुसार सभी अमेरिकी बलों को सुलेमानी की हत्या का आदेश देने वालों को आतंकवादी घोषित किया जाता है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जगत्त क्रान्तिमार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016। दूरभाष: 011-26566107/257/336
जन – जन के लिए भंडारण

चुनाव सूचना

सं. कंपनि/बौण्डसी/ईडी 7(1(ई)/2019 — दिनांक 08.01.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 7(1) (ई) के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डारण निगम में पंजीकृत अंशधारी संस्थाओं अर्थात **सहकारी समितियों** का प्रतिनिधित्व करने के लिए **दिनांक 06.04.2020 सोमवार (अपराहन 2.30 बजे से 4.30 तक)** को तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक का चुनाव किया जाएगा। यह चुनाव निगमित कार्यालय में स्थित ऑडिटोरियम में सम्पन्न होगा।

नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 28.01.2020 (मंगलवार) सांय 5.00 बजे तक है।

प्रोक्सी/प्राधिकृत अभिवादनों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 02.03.2020 (सोमवार) बजे तक होगी। विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **www.cewacor.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

सचिव, सी.डब्लू.सी.

Fullerton Grihashakti
फुलर्टन इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय: छठी मंजिल, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क सुप्रीम सिटी, लेक कैसल के पीछे, पोवई, मुम्बई 400 076.

संशोधन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक **05.01.2020** को इसी समाचार पत्र में **'मांग सूचना पत्र''** शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन **ऋणी मनीष यादव पिता शिवराज सिंह यादव** में **एनपीए दिनांक 31.10.2019 के** स्थान पर **31.12.2019 पढ़ा जायें** । शेष विवरण यथावत रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी

PFC CONSULTING LTD.
(A wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Ltd.)

निविदा आमंत्रण पंजीकरण सूचना एवं रुचि की अभिव्यक्ति

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को योजना मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को जारी तथा 25.03.2019 को संशोधित पैरा बी (ii) शक्ति नीति के तहत कोल लिंकेज की नीलामी के तीसरे दौर आयोजित करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया है।

निविदाकार पीएफसीसीएल की वेबसाइट **www.pfcclindia.com** या एमएसटीसी की वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/shakti/Indexr3.jsp** से निविदा आमंत्रण पंजीकरण एवं रुचि की अभिव्यक्ति को दिनांक 08.01.2020 से डाउनलोड कर सकते हैं।

निविदाकारों को स्पष्टीकरण/संशोधन/समय के विस्तार आदि के लिए, यदि कोई हो, ताजा जानकारी पाने हेतु नियमित रूप से वेबसाइट देखनी चाहिए।

टिप्पणी : पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को यह प्रक्रिया कोई कारण बताए बिना रद्द या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है और इसके लिए उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह एक प्रस्ताव नहीं है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – भारत सरकार का एक उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : पहला तल, 'ऊर्जा निधि' बाराखम्भा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001,
कॉर्पोरेट कार्यालय : 9वां तल, (ए विंग), स्टेट्समैन हाउस कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी याचिका सीपी सीएए-170/(एनडी)/2019

कंपनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के विषय में

तथा

कार्लटन ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड और कार्लटन रिटेल प्राईवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों व लेनदारों के बीच समायोजना की योजना के विषय में;

कार्लटन ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
(CIN-U74899DL1993PTC053128) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज कंपनी तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-5, तीसरा तल, साकेत नई दिल्ली-110017
PAN: AAACC0482B

.....याचिकाकर्ता-1/डीमर्ज्ड कंपनी

और

कार्लटन रिटेल प्राईवेट लिमिटेड
(CIN-U19202DL2018PTC340899) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज कंपनी तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-5, बरसाती फ्लोर रोड, जे-1/20, साकेत, नजदीक गुरुद्वारा, नई दिल्ली-110017
PAN: AAHCC8225B

.....याचिकाकर्ता-2/रिजल्टिंग कंपनी

तथा

उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अधीन दिनांक 06 दिसंबर, 2019 को कार्लटन ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड (डीमर्ज्ड कंपनी) और कार्लटन रिटेल प्राईवेट लिमिटेड (रिजल्टिंग कंपनी) द्वारा समामेलन की योजना को मंजूरी प्राप्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी और आदेश दिनांक 20 दिसंबर, 2019 द्वारा कथित याचिका की सुनवाई माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल की नई दिल्ली बेंच के समक्ष 14 फरवरी, 2020 निश्चित की गई है। कथित याचिका के समर्थन या निषेध के इच्छुक किसी व्यक्ति को अपने आशय का नोटिस, स्वयं या उसके वकील द्वारा नाम व पते के साथ याचिका की सुनवाई के लिए निश्चित तिथि से दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनी के वकील को पहुंच जानी चाहिए। जहां, वह याचिका का विरोध करना चाहता है, निषेध के कारणों या उसके शपथपत्र की प्रति को ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति के इच्छुक किसी व्यक्ति को उसके के लिए निर्धारित प्रभारों की अदायगी पर प्रदान की जाएगी

ह./- **(समीर गुप्ता)**
वकील, याचिकाकर्ताओं के वकील
आर-46, निचली मंज़िल,
ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
नई दिल्ली
दिनांक 07 जनवरी, 2020

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-I, रिटेल
प्रथम तल, 23, गजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 25419177, 25412977 ई-मेल: sbi.05169@sbi.co.in

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का नं. 54) के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 9 (संशोधन) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार को भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें निम्नानुसार उल्लेखित राशि उपरोक्तानुसार खाते के आगे वर्णित है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमों के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांकों को ले लिया है।**

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक **के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	प्रोपराईटर का नाम/ पार्टनर्स/गारंटर्स/ सम्पत्ति मालिक का नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना की तारीख 28-08-2018 / कब्जा की तारीख
जैन साड़ी II/305 बी तेलवाड़ा शाहदरा, दिल्ली –32	अनिल कुमार अरोड़ा	II/305 बी छत के अधिकार सहित आखिरी मंजिल तक, खसरा नं. 642 में से, गाँव चन्द्रावली, तेलीवाड़ा की आबादी, इलाका शाहदरा, दिल्ली–32 में स्थित	रु. 2,57,40,391/- प्लस दिनांक 29.08.2018 से ब्याज और लीगल खर्चे इत्यादि	पठित धारा 13(4) के साथ धारा 14 02-01-2020
जैन जी साड़ी II/304 बी तेलवाड़ा शाहदरा, दिल्ली –32	श्री सुशील कुमार अरोड़ा	II/304 छत के अधिकार सहित आखिरी मंजिल तक, खसरा नं. 642 में से, गाँव चन्द्रावली, तेलीवाड़ा की आबादी, इलाका शाहदरा, दिल्ली–32 में स्थित	रु. 2,66,46,934/- प्लस दिनांक 27.09.2018 से ब्याज और लीगल खर्चे इत्यादि	मांग सूचना की तारीख 26-09-2018 / कब्जा की तारीख पठित धारा 13(4) के साथ धारा 14 02-01-2020

दिनांक : 02-01-2020 स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

Edelweiss Asset Reconstruction
एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्टर ऑफिस, 1ला तल, रहेजा सेन्टर, प्वाइन्ट पंजीकृत कार्यालय: एडलवेईस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई- 400098

परिशिष्ट IV [नियम-8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत एडलवेईस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (यहां के बाद ''ईएआरसी'' वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 4.10.2019 ऋण अनुबंध सं. LYMNSLE0000037725 में जारी कर ऋणधारक 1) लेदर ऑयल एंड जनरल सॉ मिल (''ऋणधारक'') तथा 2) श्री मोह. आसिफ (''सह ऋणधारक'') को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30 सितम्बर, 2019 को रु. 19,84,409/- अर्थात (रुपये उन्नीस लाख चौरासी हजार चार सौ नौ मात्र) के साथ 1 अक्टूबर, 2019 से उस पर लागू ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक/ गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 19,84,409/- अर्थात (रुपये उन्नीस लाख चौरासी हजार चार सौ नौ मात्र) उस पर ब्याज सहित, की राशि के लिये एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण

खतोनी नं. 268, 388, खसरा नं. 11/18/1, 11/18/2, निकट खजूरी रोड, रायपुर, तहसील जगाध्रि, यमुनानगर, 135001, हरियाणा राज्य में खेवत नं. 200, 297 में स्थित आवासीय सम्पत्ति आईडी नं. 352 सी 725 यू 183, माप 155.5 वर्ग यार्ड्स **चौहद्दी:** पूर्वः अन्य स्वामी की सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य स्वामी की सम्पत्ति, दक्षिणः 15 फीट रोड, उत्तरः दिगर सम्पत्ति।

तिथि: 6.1.2020 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — एडलवेईस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया संहिता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 (3) के साथ पठित विनियमन 31 (2)]

ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)
के स्टैकधारकों के ध्यानार्थ
CIN: U18101HR2008PLC037781

भारत दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 31 (2) के अनुपालन में एतद्द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा दी जाती है कि ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में) (''कॉर्पोरेट ऋणधारक'') की सूची परिसमापक द्वारा तैयार कर ली गई है जिसे 6 जनवरी, 2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ (''माननीय एनसीएलटी'') के पास दाखिल कर दिया गया है।

चूंकि, कॉर्पोरेट ऋणधारक का कोई कार्यरत वेबसाईट नहीं है, अतः परिसमापक द्वारा स्वीकृत दावे की राशि, दावे की उस सीमा तक जहां तक वे प्रतिभूत/अप्रतिभूत है, शेयरधारकों का विवरण तथा अंशतः एवं समग्रतः स्वीकृत/निरस्त दावे के प्रमाणों, यदि कोई हो, के सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए शेयरधारकों की सूची परिसमापक के वेबसाईट की अधोलिखित लिंक ''https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/osil-exports-limited'' पर देखी जा सकती है।

स्टेकधारकों को पुनः अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी में यथा दाखिल स्टेकधारकों की सूची में प्रविष्टियों में कोई भी संशोधन केवल माननीय एनसीएलटी में आवेदन दाखिल करने के बाद हीं की जा सकती है।

हस्ता/-
तिथि: 7 जनवरी, 2020 — कँवल गोयल
स्थान: नई दिल्ली — ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के मामले में परिसमापक
आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00007/2016-2017/10007

सार्वजनिक सूचना

यह सूचना नावी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (**अधिग्रहणकर्ता**) द्वारा चाबेवान ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (**विक्रेता**) से डीएचएफएल जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड (**कंपनी**) की प्रदत्त इक्विटी अंश पूँजी का 100% (एक सौ प्रतिशत) हिस्सा प्रस्तुत करने वाले 19,00,50,000 (उन्नीस करोड़ और पचास हजार) इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु जारी की जा रही है

कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका सीआईएन : U66000MH2016PLC283275 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 402, 403 और 404, ए और बी विंग, चतुर्थ तल, फुलक्रम, सहार रोड, हयात रीजेन्सी के आगे, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400099, भारत में स्थित है और जो साधारण बीमा व्यवसाय करने हेतु भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (**आईआरडीएआई**) के साथ पंजीकृत है, देखें पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 155, दिनांकित 23 मई, 2017.

विक्रेता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका सीआईएन : U67110MH2010PLC204063 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं तल, टीसीजी फाइनेंशियल सेन्टर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400098, भारत में स्थित है और यह एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - कोर इंवेस्टमेंट कंपनी (एनबीएफसी-सीआईसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है.

अधिग्रहणकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका सीआईएन : U72900KA2018PTC119297 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, सलारपुरिया बिजनेस सेन्टर, 93, 5वीं ए ब्लॉक, कोरामंगला इं. लेआउट, बैंगलोर - 560095, भारत में स्थित है.

कंपनी, विक्रेता और अधिग्रहणकर्ता ने एक अंश क्रय अनुबंध, दिनांकित 2 जनवरी, 2020 किया है, जिसके अनुरूप अधिग्रहणकर्ता द्वारा अंशों के द्वितीयक अंतरण (**प्रस्तावित लेनदेन**) के माध्यम से विक्रेता से कंपनी की प्रदत्त इक्विटी अंश पूँजी का 100% (एक सौ प्रतिशत) हिस्सा प्रस्तुत करने वाले 19,00,50,000 (उन्नीस करोड़ और पचास हजार) इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रस्ताव (**अंश विक्रय**) किया जाता है. कंपनी ने प्रस्तावित लेनदेन के लिए इसका अनुमोदन मांगने हेतु आईआरडीएआई को एक आवेदन दिया है. यह प्रस्तावित लेनदेन इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के पश्चात समाप्त होना निर्धारित है, जो कि कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें प्रस्तावित लेनदेन के लिए आईआरडीएआई के अनुमोदन की प्राप्ति शामिल है.

एतद् द्वारा ऐसे किसी भी और सभी व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, जिनका इस अंश विक्रय या इसके किसी भाग के संबंध में, कोई दावा, अधिकार, स्वामित्व, हित या लाभ हो, जो कि स्वामित्व (चाहे वैधानिक या लाभार्थिक) या गिरवी या रहन या भार या ग्रहणाधिकार या भार या किसी अन्य स्वरूप (**दावा**) में हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एतद् द्वारा यह आवश्यक है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर **अधिग्रहणकर्ता** को किसी भी दावे की सूचना, ऐसे दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ लिखित में प्रदान करें.

किसी भी दावे की सूचना लिखित में और निम्नांकित पते पर प्रेषित की जानी चाहिए :

सा.: कानूनी निर्देशक
नावी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड,
तृतीय तल, सलारपुरिया बिजनेस सेन्टर, 93, 5वीं ए ब्लॉक,
कोरामंगला इं. लेआउट, बैंगलोर - 560095.
इसके साथ ई-मेल प्रति legal@navi.com पर भेजें.

यदि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर उपयुक्त रूप से किसी दावे की ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में, दावा(दावे), यदि कोई हो, को अपरिवर्तनीय रूप से, बिना शर्त एवं हमेशा के लिए छोड़ दिया माना जाएगा, और विक्रेता, कंपनी एवं अधिग्रहणकर्ता इस प्रस्तावित लेनदेन के समापन की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके पश्चात किसी भी दावे(दावों) पर विचार नहीं किया जाएगा.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 7.01.2020

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 14/2074 - 7 Punnen Road, Trivandrum, Kerala - 695 039,
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31.03.2019 & MSGL, SPL-16, One plus & Guide Prepaid - 6 month scheme up to 30.06.2019 and MSGB, EMI & SME SUVARNA due up to 30.11.2019 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीलामी 20.01.2020 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी।

BAHADURGARH: F364, F365, F366, F370, F663, F7894, F8690, F8778, F8785, F8845, F8852, F8919, F8939, F8941, F8953, F8960, F900, F9008, F9021, F9028, F9039, F9057, F9063, F9067, F9068, F9085, F9108, F9113, F9114, F9142, F9148, F9167, F9169, F9172, F9173, F9184, F9189, F9211, F9239, F924, F9240, F9243, F9252, F9260, F9294, F9295, F9307, F9308, F9310, F9314, F9317, F9323, F9324, F9326, F9331, F9336, F9337, F9338, F9342, F9343, F9344, F9352, F9362, F9376, F9379, F9380, F9381, F9385, F9395, F9399, F9402, F9420, F9421, F9428, F9429, F9432, F9435, F9444, F9446, F9462, F9472, F9479, F9482, F9491, F9494, F9496, F9497, F9682, GL/BHDG/49, GL/BHDG/67, GL/BHDG/96. **FARIDABAD SECT 15:** F5518, F5899, F5902, F5962, F5978, F5997, F5998, F5999, F6005, F6026, F6027, F6032, F6048, F6072, F6073, GL/F15S/237, GL/F15S/45, GL/F15S/49, GL/F15S/97. **FARIDABAD SECT 29:** F14529, F14559, F14886, F14937, F14940, F15020, F15025, F15041, F15054, F15061, F15066, F15081, F15088, F15091, F15092, F15093, F15098, F15099, F15113, F15114, F15129, F15141, F15153, F15167, F15194, F15195, F15200, F15203, F15215, F15240, F15242, F15253, F15255, F15257, F15264, F15273, F15274, F15283, F15312, F15323, F15346, F15347, F15354, F15364, F15384, F15385, F15386, F15394, F15398, F15401, F15403, F15404, F15405, F15409, F15419, F15432, F15435, F15451, F15452, F15453, F15462, F15469, F15472, F15478, F15479, F15489, F15490, F15491, F15506, F15535, F15542, F15547, F15555, F15578, F15715, F15758, GL/F29S/160, GL/F29S/161. **FARIDABAD SECT 3:** F16671, F21709, F21720, F21721, F21918, F21942, F21963, F22143, F22220, F22222, F22230, F22263, F22291, F22298, F22317, F22325, F22332, F22337, F22340, F22391, F22406, F22414, F22415, F22421, F22422, F22433, F22435, F22454, F22457, F22461, F22478, F22491, F22492, F22496, F22520, F22522, F22601, F22607, F22612, F22615, F22656, F22657, F22658, F22659, F22673, F22688, F22691, F22721, F22723, F22728, F22742, F22747, F22755, F22759, F22771, F22774, F22787, F22790, F22801, F22808, F22818, F22826, F22837, F22845, F22849, F22850, F22851, F22860, F22862, F22863, F22864, F22870, F22877, F22890, F22893, F22894, F22897, F22909, F22917, F22921, F22927, F22928, F22933, F22935, F22936, F22939, F22941, F22942, F22944, F22947, F22952, F22953, F22958, F22965, F22966, F22970, F22981, F22982, F22993, F23005, F23013, F23014, F23031, F23035, F23039, F23043, F23046, F23059, F23061, F23065, F23068, F23069, F23071, F23094, F23097, F23104, F23105, F23120, F23122, F23143, F23144, F23146, F23149, F23150, F23173, F23177, F23195, F23203, F23204, F23209, F23220, F23222, F23224, F23229, F23238, F23243, F23244, F23249, F23256, F23258, F23263, F23264, F23270, F23271, F23279, F23283, F23284, F23288, F23291, F23300, F23302, F23303, F23304, F23312, F23314, F23317, F23319, F23320, F23336, F23337, F23341, F23342, F23344, F23349, F23362, F23365, F23368, F23372, F23374, F23380, F23382, F23384, F5689, F6817, F6878, F7401. **FARIDABAD SECTOR-34:** F12876, F12974, F12978, F12993, F13172, F13198, F13266, F13276, F13288, F13304, F13306, F13351, F13384, F13418, F13420, F13422, F13465, F13506, F13510, F13512, F13513, F13517, F13519, F13531, F13533, F13547, F13551, F13559, F13561, F13571, F13572, F13604, F13612, F13630, F13632, F13657, F13664, F13669, F13671, F13672, F13674, F13683, F13685, F13693, F13709, F13712, F13714, F13724, F13729, F13736, F13739, F13744, F13747, F13773, F13789, F13790, F13793, F13795, F13803, F13806, F13814, F13815, F13818, F13822, F13827, F13834, F13838, F13849, F13854, F13860, F13865, F13868, F13870, F13872, F13885, F13896, F13914, F13916, F13922, F13923, F13933, F13934, F13935, F13940, F13945, F13953, F13957, F13960, F13963, F13965, F13969, F13975, F13980, F13984, F13994, F13995, F13996, F14004, F14010, F14012, F14016, F14028, F14029, F14030, F14033, F14045, F14047, F14051, F14055, F14065, F14066, F14067, F14068, F14070, F14071, F14076, F14081, F14084, F14090, F14116, F14125, F14128, F14133, F14138, F14141, F14145, F14147, F14151, F14159, F14163, F14167, F14171, F14183, F14187, F14189, F14190, F14192, F14195, F14197, F14199, F14203, F14205, F14206, F14207, F14212, F14218, F14224, F14229, F14230, F14237, F14239, F14240, F14241, F14242, F14248, F14250, F14253, F14254, F14255, F14264, F14274, F14276, F14281, F14282, F14284, F14286, F14290, F14292, F14296, F14297, F14298, F14301, F14307, F14308, F14309, F14310, F14315, F14322, F14324, F14326, F14327, F14330, F14334, F14336, F14337, F14343, F14347, F14352, F14358, F14363, F14385, F14387, F14396, F14397, F14400, F14401, F14402, F14404, F14409, F14411, F14416, F14419, F14425, F14431, F14432, F14433, F14436, F14438, F14439, F14450, F14458, F14465, F14467,

अमेरिका-ईरान तनाव घटने से सूचकांक व निफ्टी में सुधार

मुंबई, 7 जनवरी (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक लगातार दो कारोबारी सत्रों की जोरदार गिरावट के बाद मंगलवार को सुधर गया। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव और आगे नहीं बढ़ा है जिससे निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ। वैश्विक बाजारों में सुधार के बीच यहां भी बाजार की धारणा मजबूत हुई।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 192.84 अंक या 0.47 फीसद की बढ़त के साथ 40,869.47 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान यह 553.51 अंक तक की बढ़त के साथ 41,230.14 अंक तक पहुंचा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 59.90 अंक या 0.50 फीसद की बढ़त के साथ 12,052.95 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 159 अंक तक चढ़ा था। घरेलू शेयर बाजारों ने सोमवार को करीब छह माह में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की थी। ईरान-अमेरिका तनाव कम होने से कच्चे तेल के दाम नीचे आए। इससे रुपया भी कुछ सुधरा।

सूचकांक की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे अधिक 2.10 फीसद चढ़ गया। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सनफार्मा, एनटीपीसी और एशियन पेंट्स के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं इंफोसिस, आइसीआइसीआइ बैंक, भारती एअरटेल, नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और पावरग्रिड के शेयरों में गिरावट आई। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.99 फीसद तक चढ़ गए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- ईरान पर विश्व नेताओं का दबाव है कि वह इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाए। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से बाजार कल के नुकसान से उबर गया। ईरान ने अभी तक जवाबी कदम नहीं उठाया है जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अग्रिम अनुमान पांच फीसद रखे जाने की संभावना है।

ट्रेड यूनियनों की आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल

सरकार ने कर्मचारियों को चेताया, हड़ताल पर गए तो नतीजा भुगतने को तैयार रहें

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को चेताया है कि अगर वे आठ जनवरी को हड़ताल में शामिल होते हैं तो उन्हें इसका 'नतीजा' भुगतना पड़ेगा। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को प्रस्तावित हड़ताल से दूर रहने को कहें। केंद्र सरकार की नीतियों मसलन श्रम सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजीकरण के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों को यह चेतावनी देते हुए हड़ताल से दूर रहने को कहा गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न क्षेत्रों में उनसे संबद्ध कर्मचारी यूनियनों ने श्रमिकों और कर्मचारियों को आठ जनवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ हड़ताल में शामिल नहीं है। यूनियनों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल बुलाई है। इनमें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने होंगे। वेतन काटने के अलावा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि मौजूदा निर्देश किसी भी सरकारी कर्मचारी को हड़ताल में शामिल होने से रोकता है। इसके अलावा वे व्यापक रूप से 'आकस्मिक' अवकाश भी नहीं ले सकते।

इसमें कहा गया है कि संघ या यूनियन बनाने का अधिकार हड़ताल या आंदोलन का अधिकार नहीं देता। मंत्रालय ने कहा- इस तरह का कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है जो कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देता हो। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी कहा गया है कि हड़ताल पर जाना एक अनुशासनहीनता है। इसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

आदेश में सभी अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का 'आकस्मिक' या किसी अन्य तरह का अवकाश मंजूर नहीं करें। यह आदेश केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) को भी भेजा गया है। सीआइएसएफ से कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को आठ जनवरी की प्रस्तावित हड़ताल से दूर रहने को कहें। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों से इसके साथ ही कामकाज के सुचारू तरीके से संचालन को आपात योजना भी तैयार करने की सलाह दी है।

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने दावा किया है कि आठ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया है। ट्रेड यूनियनों इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआइयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआइसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी सहित विभिन्न संघों और फेडरेशनों ने पिछले साल सितंबर में आठ जनवरी, 2020 को हड़ताल पर जाने का एलान किया है।

बैंक सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)

ट्रेड यूनियनों की बुधवार को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान बैंक सेवाएं प्रभावित हो सकतीं हैं। ज्यादातर बैंकों ने इस हड़ताल और इससे उनकी सेवाओं पर पड़ने वाले असर के बारे में शेयर बाजारों को सूचित कर दिया है।

बैंक कर्मचारियों की ज्यादातर यूनियनों ने भी हड़ताल में भाग लेने और उसका समर्थन करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। बैंक कर्मचारियों की अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए), भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघों और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ सहित विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया है। बैंकों में राशि जमा करने, निकासी करने, चेक क्लियरिंग और विभिन्न वित्तीय साधनों को जारी करने का काम हड़ताल की वजह से प्रभावित हो सकता है। हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों में सेवाओं पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है।

दस कर्मचारी संघों के परिसंघ ने एक संयुक्त बयान में कहा है- श्रम मंत्रालय कर्मचारियों की किसी भी मांग को लेकर आश्वासन नहीं दे पाया। मंत्रालय ने दो जनवरी 2020 को कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। सरकार की नीतियों और कार्रवाई से लगता है कि सरकार श्रमिकों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। इसमें कहा गया है- हमारा मानना है कि आठ जनवरी 2020 को होने वाली आम हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कामकाजी लोग भागीदारी करेंगे।

आरकॉम को 104 करोड़ लौटाने के आदेश को चुनौती वाली याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विवाद समाधान व अपील अधिकरण (टीडीसैट) के एक आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस आदेश में टीडीसैट ने केंद्र से रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपए लौटाने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट के पीठ ने कहा-हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये
समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
एआर टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड (CIN:U25190DL2013PTC261814) जिसका पंजीकृत कार्यालय 805 प्रगति टावर्स, 26, राजेन्द्र प्लेस, मध्य दिल्ली, दिल्ली-110008 में है, के मामले में

---- (आवेदक)

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा.क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 07.01.2020 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें। 805 प्रगति टावर्स, 26, राजेन्द्र प्लेस, मध्य दिल्ली, दिल्ली-110008

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
ए आर टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अक्षय कुमार पंडा
निदेशक
DIN: 06692300

तिथि: 07.01.2020
स्थान: दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 490/2019 के मामले में

भारतीय स्टेट बैंक - आवेदक
बनाम
श्री संजय कुमार सिंह एवं अन्य - प्रतिवादीगण

सेवा में, डी- 2. मै. आम्रपाली सेन्चुरिअन पार्क प्रा.लि.
द्वारा उसके प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पंजी. कार्यालय: 307, 3रा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण को संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 18.03.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 26 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13 (3) के साथ पठित सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009 के नियम 17 के मामले में
तथा
एलडीएचआर सर्विसेस एलएलपी, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निगमित एलएलपी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 12वां तल, वन हॉरिजॉन सेन्टर, डीएलएफ फेज-5, गुड़गांव-122001 में है, के मामले में

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलडीएचआर सर्विसेस इंडिया एलएलपी के पार्टनर्स 12वां तल, वन हॉरिजॉन सेन्टर डीएलएफ फेज-5, गुड़गांव-122001 से 7वां तल , गॉदरेज बीकेसी, प्लॉट सी-68, जी ब्लॉक बीकेसी, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई-400051 में अर्थात दिल्ली राज्य से कम्पनी रजिस्ट्रार, मुम्बई के क्षेत्राधिकार के भीतर महाराष्ट्र राज्य में स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक है।

पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो वे नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में एलएलपी को उसकी मूल प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पक्ष में अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालय: 12वां तल, वन हॉरिजॉन सेन्टर, डीएलएफ फेज-5, गुड़गांव-122001
एलडीएचआर सर्विसेस इंडिया एलएलपी के लिये
पदनामित पार्टनर
राधिका गोपालकृष्णन
(स्पेंसर स्टुअर्ट स्टार आयरलैंड लिमिटेड के नामिनी)
DIN: 08535009

तिथि: 8 जनवरी, 2020

शैक्षिक संचार संकाय

आईयूसी कैम्पस, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली- 110067
फोन: 011-24126418-19-20 वेबसाइट: www.cec.nic.in

सं: सीईसी/5/3/2009/क्लिकल/एम्बैसडर कार

विषय: कंडेम्ड वाहन की बिक्री के लिए निविदा सूचना

शैक्षिक सचार सकाय (सीईसी), जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का एक अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र है, द्वारा एक कंडेम्ड एम्बैसडर कार- डीएल12सी1438 (मॉडल-2009) की बिक्री के लिए "जैसा है जहां है आधार पर" मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

कोटेशन्स मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षिक संचार संकाय, आईयूएसी कैम्पस, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 को सम्बोधित की जा सकती हैं और इन्हें दिनांक **29.01.2020** को अपराहन **2:30 बजे तक** या उससे पूर्व दस्ती / स्पीड / रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है या इन्हें सीईसी, नई दिल्ली के ऊपर निर्दिष्ट पते पर रखे गए निविदा बक्से में डाला जा सकता है। इन कोटेशन्स को उसी दिन अर्थात् दिनांक **29.01.2020** को अपराहन **3:00 बजे** निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उस समय वहां उपस्थित होना चाहें, की उपस्थिति में खोला जाएगा। इसके विवरण एवं अन्य निबन्धन व शर्तें, बयाना राशि, बोली प्रपत्र को सीईसी की वेबसाइट: **www.cec.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। सीईसी के पास कोई कारण बताए बिना किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है।

(नवीन शोई)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना।
ओ.ए. नं. 657/2019

भारतीय स्टेट बैंक ..... आवेदक
बनाम
श्री सुनील अरोड़ा एवं अन्य ..... प्रतिवादीगण

सेवा में,

डी-1	श्री सुनील अरोड़ा, पुत्र श्री प्रेम प्रकाश अरोड़ा एच. नं. 468, आनंद पार्क के सामने, सेक. 37, फरीदाबाद-121003 साथ ही: ए-1/69, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, गेट नं. 1 के सामने, नेव सराय, दिल्ली
डी-2	श्री दीपक अरोड़ा, पुत्र श्री प्रेम प्रकाश अरोड़ा एच. नं. 468, आनंद पार्क के सामने, सेक. 37, फरीदाबाद-121003 साथ ही: 11वां तल, टावर-सी, डीएलएफ एसईजेड बिल्डिंग, डीएलएफ-III, हरियाणा
डी-3	मै. आम्रपाली सेन्चुरियन पार्क प्रा.लि. द्वारा उसके प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंजीकृत कार्यालय: 307, 3रा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 13.3.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 23 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

कनॉट प्लेस शाखा, 14/15-एफ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
ई-मेल: dgmconnaughtplace@unionbankofindia.com
टेली: 23312899 (डायरेक्ट), 23354684, 23310119, 23314777

[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि श्री शैलेन्द्र भदौरिया एवं श्रीमती सुरभि से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 22647328.30 के साथ 1.5.2018 से भुगतान की तिथि तक ब्याज एवं लागत की वसूली के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जे में ली गई प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की "जैसा है जहां है", "जो भी वहां है" तथा "जो भी जैसा है" आधार पर 14.02.2020 को बिक्री की जायेगी।

(सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण)

श्री शैलेन्द्र भदौरिया के नाम में क्रम सं. 2597 में पेज 177 से 238 पर बही नं. 1, जिल्द नं. 5894 में पंजीकृत बिक्री प्रलेख तिथि 12.03.2014 के अनुसार इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. 23, ब्लॉक-डब्ल्यू, सेक्टर-11, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर (उ.प्र.) 201301 में 800 वर्ग मीटर के एरिया में निर्मित सम्पत्ति। चौहद्दी: उत्तर: सम्पत्ति सं. डब्ल्यू-40, दक्षिण-रोड 18 मी. चौड़ा, पूर्व: सम्पत्ति सं. डब्ल्यू-24, पश्चिम: सम्पत्ति सं. डब्ल्यू-22

प्रतिभूत क्रेडीटर की जानकारी में अधिभार, यदि कोई हो: ज्ञात नहीं

ई-नीलामी एजेन्ट का विवरण: मै. 4 क्लोजर, वेबसाईट: www.bankeauctions.in , हेल्पलाइन नं. 08142000062/66 (एम), टेली.: 040-23836405) सम्पर्क व्यक्ति: श्री विकास- 8142000809 ई-मेल- vikas@bankeauctions.in एवं बोली जमा करने की तिथि: 12.02.2020 के 5.00 बजे अप. तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों एव शर्तों के लिये कृपया www.unionbankofindia.co.in में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 7.1.2020 प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्थान: नई दिल्ली कनॉट प्लेस शाखा, मो.: 7533904845

इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6)/नियम 9 (1) के अंतर्गत उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर(रों) के लिये सूचना मानी जाये।

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DELHI
III Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
OA No. 677/2018
Central Bank of India ...Applicant
Versus
Sh. Sandeep Goswami & Ors. ...Defendants
To,
1. Sh. Sandeep Goswami S/o Sh. Ram Kishan Gir, Proprietor of M/s. Sriami Fashion Creator, Having Its Registered Office D-58, First Floor, Old Double Storey Market, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024. Also at : D-23, Double Storey Market, Lajpat Nagar IV, New Delhi-110024. Also at : Flat 130, 3rd Floor, Bhaimagar Cooperative House Building Society Ltd., Chima Vihar, ILA-ADA Shandara, Delhi-110092
2. Smt. Daya Verma W/o Sh. Sandeep Goswami, R/o 132, 3rd Floor, Bhaimagar Cooperative House Building Society Ltd., Chima Vihar, ILA-ADA Shandara, Delhi-110092
3. Sh. Manoj Arora S/o Sh. Ashok Arora R/o RZ-A-30, First Floor, Indira Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059.
Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs. 3,41,33,249.47/- (Rupees Three Crore Forty One Lacs Thirty Three Thousand Two Hundred Forty & Paise Forty Seven Only)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by substitutional service directing you to make appearance before **Ld. Registrar on 22.01.2020 at 10.30 A.M.**
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Ld. Registrar on this 30-11-2019.
Seal
BY ORDER THIS TRIBUNAL
For Registrar

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और

एडवांसिस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74140DL2014PTC268574)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **ए-128, पहली मंजिल, साई चौक मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु **16 दिसम्बर, 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या वे निवेशक शिकायत प्रपत्र पाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **ए-128, पहली मंजिल, साई चौक मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजा दें।

कृते **एडवांसिस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड**
अभय कुमार झा
(निदेशक)
दिनांक: 07 जनवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 06870418

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और

डीडी इन्फ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U70102UP2012PTC051985)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **ए-4/15, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-IV, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की **"उत्तर प्रदेश राज्य"** से **"उत्तराखंड राज्य"** में बदलने हेतु **16 दिसम्बर, 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या वे निवेशक शिकायत प्रपत्र पाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **ए-4/15, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-IV, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजा दें।

कृते **डीडी इन्फ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड**
शिव कुमार शर्मा
(निदेशक)
दिनांक: 07 जनवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 08160300

SBI

पीपीजी विभाग, कॉर्पोरेट सेंटर,
स्टेट बैंक भवन, 16वीं मंजिल, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ई-फार्मेसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता/विक्रेता के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) जारी किया है जो कि ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी (वार्षिक भुगतान प्लान: 2020-21) के सदस्य हैं विवरणों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर **"प्रोक्योरमेंट न्यूज"** देखें.

स्थान: मुंबई हस्ताक्षर
दिनांक: 08/01/2020 उप महाप्रबंधक (पीपीजी विभाग)

केन फिन होम्स लि.

1ला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरूप्लेस, नई दिल्ली-110019
CIN No. L85110KA1987PLC008699
फोन: 7625079108, 011-26435815, 26430236, ई-मेल: delhi@canfinhomes.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की नीलामी बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनफिनहोम्स लि., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की श्री प्रमोद कुमार राय, पुत्र श्री सच्चिदानंद राय, पिंकी, पत्नी प्रमोद कुमार राय से उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 01.02.2018 को केन फिन होम्स लि. के बकाये रु. 13,27,408/- (रुपये तेरह लाख सत्ताईस हजार चार सौ आठ मात्र) की वसूली के लिये 20.2.2020 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 12,44,000/- (रुपये बारह लाख चौआलिस हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 1,24,400/- (रुपये एक लाख चौबीस हजार चार सौ मात्र) होगी।

सम्पत्ति की अनुसूची

फ्लैट नं. जीएफ-4, भू तल, प्लॉट नं. डी-1000, इन्द्रप्रस्थ आवास योजना, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., पिन-2010002 में स्थित फ्लैट, विस्तार (40 वर्ग मी.)
पूर्व: 09 मी. चौड़ा रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. 981
उत्तर: 12 मी. चौड़ा रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. 999

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाईट (www.canfinhomes.com) पर दी गई है। कृपया अधोलिखित लिंक https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx देखें।

तिथि: 7.1.2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली केन फिन होम्स लि. के लिये

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना।
ओ.ए. नं. 168/2019 के मामले में

पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम मै. राहुल सक्सेना एवं अन्य

मुझे गर्व है कि हम डरे हुए नहीं : दीपिका

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में हमला, संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में देशभर में हजारों लोगों के सड़कों पर उतर कर किए गए प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि लोग सामने आ रहे हैं और बिना किसी खौफ के अपनी आवाज उठा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में अपनी आगामी फिल्म 'छपाक' का प्रमोशन करने आईं 34 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि लोग बदलाव लाने के लिए अपने विचार व्यक्त करें। दीपिका ने सोमवार रात एक टीवी चैनल से कहा, 'यह देखकर मुझे गर्व होता है कि हम अपनी बात कहने से डरे नहीं हैं। चाहे हमारी सोच कुछ भी हो, लेकिन मेरे खयाल से हम देश और इसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है।' छपाक की निर्देशक मेघना गुलजार ने कहा कि वह लोगों की पीड़ा महसूस कर सकती हैं, हालांकि मुद्दों की उन्हें अच्छी जानकारी नहीं है।

मेघना ने कहा, 'निश्चित रूप से (हमारे भी) विचार हैं। हम भी इसी समाज में रहते हैं, इसलिए हम प्रतिक्रिया देंगे। दुर्भाग्य से हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए इस वक्त टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन पीड़ा है, जागरूकता है।' उन्होंने कहा, 'मैं उम्मीद करती हूं कि अमन का माहौल बन जाए।' इन मुद्दों पर बॉलीवुड से जुड़ी कई शख्सियतों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है और कई ने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान समेत कई दिग्गज सितारों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

राष्ट्रीय राजधानी में अपनी आगामी फिल्म 'छपाक' का प्रमोशन करने आईं 34 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि लोग बदलाव लाने के लिए अपने विचार व्यक्त करें। दीपिका ने सोमवार रात एक टीवी चैनल से कहा, 'यह देखकर मुझे गर्व होता है कि हम अपनी बात कहने से डरे नहीं हैं। चाहे हमारी सोच कुछ भी हो, लेकिन मेरे खयाल से हम देश और इसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है।'

रोको टोको अभियान बिहार के सभी जिलों में लागू करने का फरमान

भागलपुर 7 जनवरी (जनसत्ता)।

भागलपुर पुलिस का रोको टोको अभियान अब बिहार का मॉडल बन गया है। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने इसकी कामयाबी को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में इसे लागू करने का फरमान जारी किया है। डीजीपी के मुताबिक इससे पुलिस की रात में सड़क पर मौजूदगी व सतर्कता से बदमाशों में खौफ पैदा होगा। साथ ही वारदातों को अंजाम देने के पहले रोका जा सकेगा।

रोको टोको अभियान भागलपुर में नवंबर 2018 में शुरू किया गया था। जब राज्य के डीजीपी कृपास्वरूप द्विवेदी और भागलपुर के आइजी सुशील खोपड़े थे। द्विवेदी रिटायर हो चुके हैं। खोपड़े बहरहाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अभियान) हैं। यह अभियान रात के दौरान भागलपुर एसएसपी आशीष भारती मातहतों के साथ मिल कर बखूबी चला रहे है। इसमें काफी सफलता मिली है। एसएसपी बताते है कि बीते दो हफ्ते में तीन सौ से ज्यादा शातिर बदमाश व शरारती तत्वों को पुलिस ने दबोचा है। एक दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किया है। शराब व नशीले पदार्थ सेवन करने वालों की यंत्रों से जांच कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

एसएसपी बताते है कि बीते दिसंबर में केवल तीन बड़ी घटनाओं के मामले पुलिस में दर्ज हुए। सर्दियों के मौसम में आम तौर पर वारदातों में इजाफा होता है। मगर भागलपुर में ग्राफ गिरा है। दो रोज पहले पुलिस ने शातिर बदमाश सूरज तांती को इसी अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस इसे ढूंढ रही थी।

रोको-टोको अभियान अमूमन रात दस बजे से देर रात तक पुलिस चलाती है। इलाके के थानेदार दुपहिए व चार पहिए वाहनों की तलाशी लेते है। शक होने पर नशा मापक यंत्र (ब्रेथ एनलाइजर) से जांच करते हैं। सब ठीक रहा तो पुलिस वाले राहगीर को छोड़ देते हैं। इस अभियान में पुलिस अवांछित तत्वों के घरों पर भी दस्तक देती है। अभियान की निगरानी सिटी डीएसपी राजवंश सिंह व सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज करते हैं। जरूरत पड़ने पर खुद एसएसपी भी अभियान को कामयाब करने सड़क पर उतर जाते है। एसएसपी भारती कहते हैं इससे कानून प्रिय व अमन चैन पसंद लोग रात में बेफिक्र हो सोते है। अब यह बिहार के सभी जिलों में लागू हो रहा है।

पीड़िता ने आत्महत्या करने के लिए घर छोड़ा

मुंबई, 7 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में किशोरी ने आत्महत्या करने के लिए घर छोड़ दिया, जिसने पिछले साल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। उसके भाई ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अधिकारी के दबाव के कारण वह ऐसा करने जा रही है। पुलिस ने उस अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है जो उसके पिता का दोस्त था।

पुलिस अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा, 'लड़की के भाई ने मंगलवार को पुलिस से संपर्क किया और दावा किया कि उसकी बहन ने सोमवार रात पत्र छोड़ा है।

हिंसा के समर्थक हमारी आवाज नहीं दबा पाएंगे : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

कांग्रेस ने अमदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प की घटना को लेकर मंगलवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि हिंसा और गोडसे की विचारधारा के समर्थक विरोध की आवाज नहीं दबा सकते।

कांग्रेस के गुजरात प्रभारी राजीव साटव ने ट्वीट कर कहा-भाजपा के राज्य में एबीवीपी की खुलेआम गुंडागर्दी व अराजकता फिर से उजागर हो गई है। शांतिपूर्ण तरह से विरोध कर रहे एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया और पुलिस सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई थी। हिंसा और गोडसे की विचारधारा के समर्थक भाजपा वाले हमारी आवाज नहीं दबा पाएंगे। सातव ने दावा किया कि यह है भाजपा के कुशासन का असली चेहरा जिसमें विरोधियों को हिंसा और बल का प्रयोग करके डराने की मानसिकता का इस्तेमाल होता है। एनएसयूआइ के कार्यकर्ता को बर्बरता से पीटकर घायल कर दिया गया और प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस दमनकारी विचारधारा के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे।

एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि पहले जामिया में हिंसा भड़काई, फिर जेएनयू में हमला हुआ। इसके खिलाफ प्रदर्शन करने पर एबीवीपी के गुंडों ने कल राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं से मारपीट की।

दिवाला परिसमापन प्रक्रिया के नियमों में संशोधन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कर्जदार कंपनी को परिसमाप्त किए जाने की स्थिति में उसकी परिसंपत्ति को उसके बैंक और कानूनी तौर पर सुरक्षित अन्य कर्जदाता किसी ऐसी इकाई को नहीं बेच सकते हैं जो उस समाधान प्रकिया में भाग लेने की पात्र ही न हो। भारतीय दिवाला व ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आइबीबीआइ) ने परिसमापन प्रक्रिया के नियमों में संशोधन कर यह पाबंदी लागू की है।सिक्योर (सुरक्षित) कर्जदाता को दिवाला समाधान और परिसमापन प्रक्रिया की लागत में अपने हिस्से का योगदान व कर्मचारियों के बकाए का भुगतान परिसमापन शुरू होने की तारीख से 90 दिन के भीतर देना होगा। दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में ऋण संकट में फंसी कंपनियों के लिए समाधान प्रक्रिया के नियम तय हैं।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak Kotak Mahindra Bank

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी 27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुम्बई-400051
शाखा कार्यालय : कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-125, निकट डेल कैम्पस, नोएडा-201313

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर बैंक/वित्तीय संस्थानों जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, से ऋण(णों) सुविधा (एं) प्राप्त की हैं तथा उसके भुगतान में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथा सभी अधिकारी, टाइटल्स तथा हितों, लाभों, वसूल की जाने वाली बकायों के साथ उक्त ऋण खाताओं को यहां नीचे वर्णित पृथक एसाइन्मेन्ट प्रलेखों के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक लि. को सौंप दिया गया है। उक्त एसाइन्मेन्ट के अनुसार तथा बकाये राशि की वसूली के लिये बैंक ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (अधिनियम), 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसके विषय वस्तु को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) केसाथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार तथा आपके लिए वैकल्पिक सेवा के द्वारा यहां नीचे प्रकाशित किया जा रहा है।
ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, प्रतिभूतियों, लैण्डर, बकाया राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	ऋणधारकों, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	1. लैण्डर का नाम 2. एसाइन्मेन्ट की तिथि 3. मांग सूचना की तिथि 4. बकाया राशि रु. में
1.	**पूजा डेयरी** इसके प्रोपराइटर **श्री नितिन चन्देला एवं श्री नितिन चन्देला पुत्र श्री कृष्णपाल चन्देला** के माध्यम से, दोनों निवासी : सी-65, डिफेंस कॉलोनी, ग्राम-भोपुरा, गाजियाबाद-201005 तथा पूजा डेयरी इसके प्रोपराइटर श्री नितिन चन्देला के माध्यम से, साथ ही : ए-83, डी.एल.एफ., दिलशाद एक्स. गाजियाबाद-201005. **ऋण खाता सं. : LNDEL00614-150000040** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 30,00,000/-** (रुपये तीस लाख मात्र)	डिफेंस कॉलोनी, ग्राम ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना, लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद पर स्थित अचल सम्पत्ति प्लॉट सं. सी-65, माप 200 वर्ग गज अर्थात 167.22 वर्ग मीटर, द्वितीय श्रेणी का समस्त भाग। बंधककर्ता का नाम : श्री नितिन चन्देला पुत्र श्री कृष्णपाल चन्देला।	1. ईजेल फाइनेंस बिजिनेस लोन लिमिटेड 2. 05.04.2019 3. 14.10.2019 14,10.2019 तक रु. 53,79,281/- (रुपये तिरेपन लाख उन्यासी हजार दो सौ इक्यासी मात्र) बकाया तथा 15.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
2,	**श्री रविन्दर भडाना पुत्र धरमसिंह एवं श्रीमती लता पत्नी रविन्दर भडाना** दोनों निवासी : 144, ग्राम-सालारपुर नोएडा, सेक्टर-39, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 **ऋण खाता सं. : LNDEL00616-170000639** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 42,86,809/-** (रुपये बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ नौ मात्र)	ग्राम सालारपुर एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) पर स्थित अचल सम्पत्ति खाता सं. 79, खसरा नं. 95 तथा 284, माप 303 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : श्री परसराम का प्लॉट, दक्षिण : गन्दी गटर पत्री। बंधककर्ता का नाम : श्री रविन्दर भडाना पुत्र धरम सिंह	1. ईजेल फाइनेंस बिजिनेस लोन लिमिटेड 2. 05.04.2019 3. 17.10.2019 17.10.2019 तक रु. 65,02,011/- (रुपये पैंसठ लाख दो हजार ग्यारह मात्र) बकाया तथा 18.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
3,	**श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री सोहनपाल सिंह एवं श्रीमती प्रवेश कुमारी** दोनों निवासी : खसरा नं. 1060, माँगे राम कॉलोनी, सेक्टर-49, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201303 **ऋण खाता सं. PR00405971** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 16,00,000/-** (रुपये सोलह लाख मात्र)	ग्राम बरौला, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. पर स्थित रिक्त प्लॉट सं. खसरा नं. 1060, भूमि का क्षेत्रफल 57 वर्ग गज अर्थात 47.6577 वर्ग मीटर का समस्त भाग। सीमाएँ : पूर्व : 12 फीट चौड़ी गली, पश्चिम : माँगे राम चौहान का प्लॉट, उत्तर : दयाराम का प्लॉट, दक्षिण : श्रीमती सविता का प्लॉट। बन्धककर्ता का नाम : श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री सोहनपाल सिंह।	1. स्माल बिजिनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा.लि. (एसबीएफसी) 2. 14.03.2019 3. 16.10.2019 16.10.2019 तक रु. 21,62,140.40/- (रुपये इक्कीस लाख बासठ हजार एक सौ चालीस एवं चालीस पैसे मात्र) बकाया तथा 17.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
4.	**दीपक कुमार पुत्र चन्दर सेन एवं श्रीमती नीतू अग्रवाल पत्नी दीपक कुमार** दोनों निवासी : एफ-156, विजय नगर, गाजियाबाद-201001, साथ ही दोनों : एफएस-1, सेक्टर-12, प्रताप विहार निकट विजय नगर, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.) **ऋण खाता सं. : LNDEL00616-170000498** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 38,73,081/-** (रुपये अड़तीस लाख तिहत्तर हजार इक्यासी मात्र)	जी.एम.पी. सेक्टर-12, प्रताप विहार, ब्लॉक-एफ, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद पर स्थित वाणिज्यिक प्लॉट सं. एफ/एस-1, दो दुकानों से निर्मित, माप 36 वर्ग मीटर तथा छत के अधिकार सहित। सीमाएं : पूर्व : 80 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. एफ/एस-2, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : 30 फीट चौड़ी सड़क। बन्धककर्ता का नाम : श्री दीपक कुमार पुत्र चन्दरसेन।	1. ईजेल फाइनेंस बिजिनेस लोन लिमिटेड 2. 05.04.2019 3. 18.10.2019 18.10.2019 तक रु. 57,78,055/- (रुपये सत्तावन लाख अठहत्तर हजार पचपन मात्र) बकाया तथा 19.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
5.	**श्री कमलेश कुमार सिंह पुत्र श्री बिन्द बहादुर सिंह एवं श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं श्री राकेश सिंह पुत्र श्री बिन्द बहादुर सिंह एवं श्रीमती कंचन सिंह** सभी निवासी : म.नं. 150, सदरपुर कॉलोनी, गली नं. 4, सेक्टर-45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201303 **ऋण खाता सं. : LNDEL00616-170000697** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 12,15,761/-** (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार सात सौ इकसठ मात्र)	म.नं. 150, खसरा नं. 250, रकबा 90 वर्ग गज अर्थात 75.25 वर्ग मीटर, सदरपुर कॉलोनी, गली नं. 4, सेक्टर-45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201303 का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : गुरुप्रसाद सिंह का प्लॉट, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : चिद्दा सिंह का प्लॉट। बंधककर्ताओं का नाम : श्रीमती कंचन सिंह पत्नी श्री राकेश सिंह एवं श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री कमलेश कुमार सिंह।	1. ईजेल फाइनेंस बिजिनेस लोन लिमिटेड 2. 31.05.2019 3. 18.10.2019 18.10.2019 तक रु. 20,10,501/- (रुपये बीस लाख दस हजार पांच सौ एक मात्र) बकाया तथा 19.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
6.	**श्री संजय सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द एवं श्रीमती रेनू देवी पत्नी संजय सुरेश चन्द गुप्ता** दोनों निवासी : यूसुफपुर चकसाबेरी, निकट महालक्ष्मी सोसाइटी, दादरी तहसील गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.-201309 **ऋण खाता सं. : LNDEL00215-160000275** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 10,15,886/-** (रुपये दस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ छियासी मात्र)	ग्राम यूसुफपुर चकसाबेरी, परगना एवं तहसील-दादरी, जिला-गौतम बुद्ध नगर पर स्थित सम्पत्ति खसरा सं. 229 का सम्पूर्ण भाग, माप : 75 वर्ग गज अथवा 62.70 वर्ग मीटर। सीमाएँ : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : 20 फीट कच्ची सड़क, उत्तर : सरदार का प्लॉट, दक्षिण : महिपाल का प्लॉट। बंधककर्ता का नाम : श्री संजय सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द।	1. ईजेल फाइनेंस बिजिनेस लोन लिमिटेड 2. 31.05.2019 3. 18.10.2019 18.10.2019 तक रु. 14,82,786/- (रुपये चौदह लाख बयासी हजार सात सौ छियासी मात्र) बकाया तथा 19.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
7.	**श्री संजय कुमार (साथ ही संजय शर्मा के नाम से जाने जाते हैं) पुत्र श्री डाल चन्द एवं श्री डाल चन्द पुत्र श्री लाला राम एवं श्रीमती सुनहरी पत्नी श्री डाल चन्द** सभी निवासी : म.नं. ए-67, ग्राम-बेहरामपुर, गली नं. 5, बुद्ध विहार, जी.बी. नगर, उ.प्र.-201010, **श्री संजय कुमार पुत्र श्री डाल चन्द** साथ ही : जेड बी इण्टरनेशनल, बी-215, सेक्टर-63, जी.बी. नगर, उ.प्र.-201301 **ऋण खाता सं. : LNDEL00615-160000414** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 10,11,355/-** (रुपये दस लाख ग्यारह हजार तीन सौ पचपन मात्र)	अकबर पुर, बहरामपुर, परगना-लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद पर स्थित आवासीय प्लॉट माप 50 वर्ग गज अथवा 41.805 वर्ग मीटर जो खसरा नं. 174 से सम्बद्ध है, का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : ब्रज लाल का प्लॉट, पश्चिम : बंजर प्लॉट, उत्तर : 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : दिगर मलिक का प्लॉट। बंधककर्ता का नाम : श्री डाल चन्द पुत्र श्री लाला राम।	1. ईजेल फाइनेंस बिजिनेस लोन लिमिटेड 2. 05.04.2019 3. 18.10.2019 18.10.2019 तक रु. 19,07,701/- (रुपये उन्नीस लाख सात हजार सात सौ एक मात्र) बकाया तथा 19.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
8.	**श्री अमित शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार एवं श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाबू लाल एवं श्रीमती कुंज लता शर्मा पत्नी श्री सतीश कुमार** सभी निवासी : ए-31/एफ-69-के, जंगजीत नगर, शम्साबाद रोड, आगरा-282001 एवं साथ ही उपर्युक्त सभी : खसरा नं. 423, 435 एवं 436, मौजा-उखर्रा, तहसील एवं जिला-आगरा-282001 **ऋण खाता सं. : PR00377103** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 15,00,000/-** (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)	सम्पत्ति खसरा सं. 423, 435 एवं 436, भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज अर्थात 83.7 वर्ग मीटर, मौजा-उखर्रा, तहसील एवं जिला-आगरा का सम्पूर्ण भाग तथा सीमाएँ : पूर्व : श्री हरफूल का प्लॉट, पश्चिम : श्रीमती सत्यावती का प्लॉट, उत्तर : श्री छितर सिंह का मकान, दक्षिण : 17 फीट चौड़ी सड़क। बंधककर्ता का नाम : श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाबू लाल	1. स्माल बिजिनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा.लि. (एसबीएफसी) 2. 14.03.2019 3. 16.10.2019 16.10.2019 तक रु. 18,62,258.95/- (रुपये अठारह लाख बासठ हजार दो सौ अट्ठावन एवं पिचानबे पैसे मात्र) बकाया तथा 17.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
9.	**हरीश कुमार तिवाली पुत्र स्व. कुंज बिहारी एवं राधा देवी पत्नी हरीश कुमार तिवारी एवं गायत्री देवी पत्नी स्व. कुंज बिहारी** सभी निवासी : म.नं. 190, शास्त्री नगर-2, गोबिन्द नगर, मथुरा-281004 **नरेश कुमार पुत्र स्व. कुंज बिहारी एवं इन्द्रा देवी पत्नी नरेश कुमार** दोनों निवासी : म.नं. 564, शास्त्री नगर, मथुरा-281001, दुर्गेश देवी पत्नी प्रमोद निवासी : म.नं. 140, मन्त्राजा-I, मथुरा-281001 **ऋण खाता सं. : PR00358838** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. Rs. 11,50,000/-** (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)	पुरानी ब्रह्मपुरी बैंक कॉलोनी, मौजा मथुरा बांगड़, तहसील एवं जिला-मथुरा पर स्थित सम्पत्ति प्लॉट सं. 10, भूमि का क्षेत्रफल 363.33 वर्ग गज अर्थात 303.78 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट नं. 9, पश्चिम : प्लॉट नं. 11, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : 25 फीट चौड़ी सड़क। बंधककर्ता का नाम : स्व. कुंज बिहारी पुत्र मिश्रीलाल जी तिवारी	1. स्माल बिजिनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा.लि. (एसबीएफसी) 2. 14.03.2019 3. 24.09.2019 23.09.2019 तक रु. 13,22,098.84/- (रुपये तेरह लाख बाईस हजार अट्ठानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) बकाया तथा 24.09.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
10.	**श्री पिंटू सिंह सिकरवार पुत्र चन्दन सिंह एवं श्रीमती सीमा देवी पत्नी पिंटू सिंह सिकरवार** दोनों निवासी : 33 केशव विहार कॉलोनी, खसरा नं. 1223 एम, मौजा बैनपुर, मुस्तकिल सिकन्दरा, आगरा-282007 **ऋण खाता सं. : PR00416524** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 13,50,000/-** (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)	केशव विहार कॉलोनी, मौजा बैपुर, मुस्तकिल तहसील एवं जिला आगरा पर स्थित सम्पत्ति प्लॉट सं. 33, खसरा नं. 1223 मिन का सम्पूर्ण भाग, माप 100 वर्ग गज अथवा 83.61 वर्ग मीटर। सीमाएं : पूर्व : रामप्रकाश का प्लॉट, पश्चिम - 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : प्रमोद चौहान का प्लॉट, दक्षिण : सरोज देवी का प्लॉट। बन्धककर्ता का नाम : श्रीमती सीमा देवी पत्नी पिंटू सिंह सिकरवार	1. स्माल बिजिनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा.लि. (एसबीएफसी) 2. 14.03.2019 3. 17.10.2019 17.10.2019 तक रु. 18,36,474.53/- (रुपये अठारह लाख छत्तीस हजार चार सौ चौहत्तर एवं तिरेपन पैसे मात्र) बकाया तथा 18.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
11.	**श्री राजकुमार सिंह तरकार पुत्र श्री हुकुम सिंह एवं श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री राजकुमार सिंह तरकार** दोनों निवासी : 253/612, जनकपुरी, जी-ब्लॉक, निकट पानी की टंकी, मथुरा-281001 साथ ही दोनों : प्लॉट सं. 1-बी, खसरा नं. 546, मौजा-मथुरा बांगर, तहसील एवं जिला मथुरा-281202 **ऋण खाता सं. : PR00427832** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 28,00,000/-** (रुपये अट्ठाईस लाख मात्र)	मौजा मथुरा, तहसील एवं जिला-मथुरा पर स्थित सम्पत्ति प्लॉट सं. 1बी, खसरा नं. 546, भूमि क्षेत्रफल 130.98 वर्ग मीटर अर्थात 156.66 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : गोपाल का प्लॉट, दक्षिण : अन्य का प्लॉट। बन्धककर्ताओं का नाम : श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री राजकुमार सिंह तरकार।	1. स्माल बिजिनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा.लि. (एसबीएफसी) 2. 14.03.2019 3. 17.10.2019 17.10.2019 तक रु. 34,58,310.32/- (रुपये चौंतीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ दस एवं बत्तीस पैसे मात्र) बकाया तथा 18.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
12.	**श्री रोहताश शर्मा पुत्र धर्मपाल शर्मा एवं श्री धर्मपाल शर्मा पुत्र वीधा राम एवं श्रीमती भागो देवी पत्नी धर्मपाल शर्मा एवं श्री बालीराम शर्मा पुत्र धर्मपाल शर्मा** सभी निवासी : गिरधरपुर ब्रह्मपुरी कॉलोनी, खसरा नं. 392, प्लॉट नं. 187, सतोहा, असगरपुर, मथुरा-281001, श्री धर्मपाल शर्मा पुत्र वीधा राम साथ ही : ग्राम बराडा, तहसील-कथुमार, जिला-अलवर (राजस्थान) **ऋण खाता सं. : PR00430369** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 14,00,000/-** (रुपये चौदह लाख मात्र)	सम्पत्ति प्लॉट सं. 187, बाँके मौजा गिरधरपुर, तहसील एवं जिला मथुरा अन्दरुन ब्रह्मपुरी कॉलोनी, खसरा नं. 392 माप 190 वर्ग गज या 159.02 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग। सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. 186, पश्चिम : प्लॉट नं. 188, 189 एवं 190, उत्तर : 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : श्री रामजीत का प्लॉट। बन्धककर्ता का नाम : श्री धर्मपाल शर्मा पुत्र वीधा राम	1. स्माल बिजिनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा.लि. (एसबीएफसी) 2. 14.03.2019 3. 17.10.2019 17.10.2019 तक रु. 17,23,599.68/- (रुपये सत्रह लाख तेईस हजार पाँच सौ निन्यानबे एवं अड़सठ पैसे मात्र) बकाया तथा 18.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
13.	**रॉयल ताज एजेन्सी अपने प्रोपराइटर श्री मोहम्मद आरिफ खान के माध्यम से,** प्लॉट सं. 3, आर्य नगर दिल्ली-सहारनपुर रोड, सामने भारतीय स्टेट बैंक, लोनी, गाजियाबाद-201001, **श्री मोहम्मद आरिफ खान पुत्र अली मोहम्मद एवं श्रीमती रेहाना** दोनों निवासी : म.नं. 280, गिरि मार्केट, त्यागी मार्केट-2, तहसील गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 **ऋण खाता सं. : LNDEL00215-160000249** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 35,00,000/-** (रुपये पैंतीस लाख मात्र)	ग्राम-घरौती खुर्द, परगना-लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. पर स्थिथ खसरा नं. 10/3 मिन. में निर्मित फ्रीहोल्ड प्लॉट सं. 3, क्षेत्रफल माप 100 वर्ग गज या 83.61 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग। बन्धककर्ता का नाम : श्री मोहम्मद आरिफ खान पुत्र अली मोहम्मद।	1. ईजेल फाइनेंस बिजिनेस लोन लिमिटेड 2. 05.04.2019 3. 14.10.2019 14.10.2019 तक रु. 57,42,288/- (रुपये सत्तावन लाख बयासी हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) बकाया तथा 15.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।
14.	**श्री विजय शर्मा पुत्र हरस्वरूप शर्मा एवं श्री हरस्वरूप शर्मा पुत्र सुन्दरलाल शर्मा एवं श्रीमती भावना शर्मा पत्नी विजय शर्मा एवं श्रीमती राकेश देवी पत्नी हरस्वरूप शर्मा** सभी निवासी: म.नं. 15, मौजा रोंची बांगर, अजय नगर कॉलोनी, रिफाइनरी, मथुरा-281005 **ऋण खाता सं. : PR00423104** **स्वीकृत ऋण राशि : रु. 10,50,000/-** (रुपये दस लाख पचास हजार मात्र)	मौजा रोंची बांगर, तहसील एवं जिला-आगरा पर स्थित खसरा नं. 217 में से सम्पत्ति प्लॉट सं. 13, भूमि क्षेत्रफल 193.33 वर्ग गज अर्थात 161.64 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट सं. 14, पश्चिम : प्लॉट सं. 12, उत्तर : 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : अन्य का प्लॉट बन्धककर्ता का नाम : हरस्वरूप शर्मा पुत्र श्री सुन्दर लाल शर्मा	1. स्माल बिजिनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा.लि. (एसबीएफसी) 2. 14.03.2019 3. 14.10.2019 14.10.2019 तक रु. 14,28,728.10/- (रुपये चौदह लाख अट्ठाईस हजार सात सौ अट्ठाईस एवं दस पैसे मात्र) बकाया तथा 15.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज सहित।

अतएव, आप ऋणधारक/कों तथा सह-ऋणधारक/कों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्त्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आपका ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा आप उपरोक्त प्रावधान में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार हमारी सहमति के बिना आप बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए अधिकार से वंचित हैं।

स्थानः दिल्ली रा

लखनऊ में मंगलवार की सुबह कोहरे के बीच साइकिल से जाते लोग।

गोरखपुर में बनेगा चिड़ियाघर

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में पास हुए छह प्रस्ताव

लखनऊ, 7 जनवरी (भाषा)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण से संबंधित प्रायोजना शामिल है।

इसके अलावा राज्य वेतन समिति 2016 द्वारा सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंगलवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया कि गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना होने से पर्यटक स्थल के रूप में इस क्षेत्र का विकास होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गोरखपुर की पहचान होगी।

शर्मा ने बताया कि परियोजना पर 234 करोड़ की लागत आएगी, जिसका अनुमोदन आज किया गया है। यह प्राणि उद्यान 121.34 एकड़ में प्रास्तावित है। प्राणि उद्यान में पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य कर्मचारियों का नियत यात्रा भत्ता बढ़ाने की संस्तुति भी दी गयी है। यह यात्रा भत्ता तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में सरकारी काम से जाने पर मिलेगा। बैठक में प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

सिंह ने बताया कि जनपद प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लाक के अंतर्गत ग्राम कोटवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाने के लिए पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के छात्रों के लिए 200 बिस्तर का छात्रावास बनाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। फिलहाल यहां 60 छात्रों के रहने की व्यवस्था है।

उन्होंने बताया कि भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंस के लिए नियमावली बनायी गयी है। इसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन के बाद लॉटरी प्रणाली से दुकानों का आवंटन होगा। 'उत्तर प्रदेश आबकारी फुटकर भांग की दुकान नियमावली 2019' के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके तहत अब विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिल सकेगी, जो पहले नहीं मिलती थी। साथ ही इसके नाम में विकलांग शब्द को बदलकर दिव्यांग कर दिया गया है।

रेलवे को नुकसान पहुंचाने पर दोषी को अदालत उठने तक की सजा

राजनांदगांव, 7 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अदालत ने ग्रामीण को अदालत उठने तक की सजा सुनाई।

रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट विजेंद्र सोनवानी की अदालत ने रेलवे फाटक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नारद राम यादव को अदालत उठने तक की सजा सुनाई।

अधिकारियों ने बताया कि यादव पर आरोप था कि उसने 12 जून, 2018 को अपनी मोटर साइकिल से बंद रेलवे फाटक को टक्कर मारकर रेल प्रशासन को पांच हजार रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरपीएफ ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका वाहन भी जब्त कर लिया गया। मामले की जांच के बाद अदालत में यादव के खिलाफ परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

● अदालत ने फैसले में कहा, अभियुक्त के अधिवक्ता ने प्रथम अपराध होने और अपराध की प्रकृति के आधार पर न्यूनतम दंड से दंडित करने की याचना की है। अभियुक्त रेलवे को हुई क्षति को अदा करने के लिए तैयार है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त के अधिवक्ता ने प्रथम अपराध होने और अपराध की प्रकृति के आधार पर न्यूनतम दंड से दंडित करने की याचना की है। वहीं अभियुक्त रेलवे को हुई क्षति को अदा करने के लिए तैयार है। फैसले में कहा गया है कि अभियुक्त कोई आदतन अपराधी नहीं है, संभवतः उसके खिलाफ यह पहला अपराध है। अपराध सामाजिक घृणा पैदा करने वाला नहीं है, बल्कि उपेक्षा के कारण रेलवे को क्षति पहुंची है। यह मामला ऐसा भी नहीं है कि अभियुक्त के कारण कोई रेल दुर्घटना होते-होते बची हो, इसलिए सभी तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को धारा 160 (बी) रेल अधिनियम के अपराध के आरोप में अदालत उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है। अदालत ने यादव को पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने के लिए भी कहा। जुर्माना नहीं देने पर दो माह कारावास की सजा का प्रावधान है।

छात्रा का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार, एक गिरफ्तार

पटना, 7 जनवरी (भाषा)।

बिहार की राजधानी पटना में एक छात्रा के साथ सोमवार की रात सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) विनय कुमार तिवारी ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में कुश नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले के तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

पीड़िता ने पत्रकारों के सामने आरोपियों में से एक विनायक सिंह का नाम लेते हुए बताया कि एसके पुरी थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल से कल देर शाम निकलने के समय उसने पिस्तौल का भय दिखाकर उसे एक कार में बिठा लिया। इसके बाद उसे पाटलीपुत्र थाना क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में ले जाकर बलात्कार किया। पीडिता ने आरोप लगाया कि विनायक के साथ वारदात के समय मौजूद उसके एक अन्य साथी संदीप मुखिया ने वीडियो बनाया और उसने भी वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

दक्षिण कश्मीर के अवंतिपोरा में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, आतंकवादी की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने चूरस्वू गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था।

घेरे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा था, लेकिन उसने गोलियां चलानी शुरू कर दीं और थोड़ी देर चली मुठभेड़ के बाद ही वह मारा गया। आतंकवादी की पहचान शाहिद के तौर पर हुई हैं, जो अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके का रहने वाला था।

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में ग्राम सुरक्षा समिति (वीडीसी) के एक सदस्य को हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक आतंकवादी को हथियार बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक, हिजबुल के आतंकवादी तारिक हुसैन वाणी को हथियार बेचने के आरोप में देवी दास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तारिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

तारिक ने पूछताछ में बताया कि उसने दास से हथियार खरीदा था और किश्तवाड़ा जिले में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुआ था।

अधिकारी ने बताया कि तारिक पिछले साल नवम्बर में हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़ा था और उसे गत वर्ष दिसम्बर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसने डेढ़ लाख रुपए में एक पुरानी राइफल और बारूद खरीदा था।

यूको बैंक UCO BANK

ई-नीलामी विक्रय सूचना (सरफाएशी अधिनियम 2002 के तहत)

क्षेत्रीय कार्यालय, वसूली विभाग, प्रथम तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23753827, 011-49498261, 011-49498285

अचल सम्पत्तियों बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफाएशी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत बैंक के पास गिरवीकृत अचल सम्पत्ति की बिक्री की ई-नीलामी बिक्री। नीचे उल्लिखित कर्जदार के खाते में प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी(यों) द्वारा बैंक के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर इसकी बिक्री के अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। संविदाएँ जमा करने की अन्तिम तिथि 23.01.2020 को 05:00 बजे अपराह्न तक। ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 24 जनवरी, 2020 को 11:00 बजे प्रातः से 2:00 बजे अपराह्न के बीच प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, आईएफएससी सं., खाता सं., दूरभाष नं. एवं ई-मेल	कर्जदार तथा जमानती का नाम	बकाया राशि (रु. लाख)	चिन्हित सम्पत्तियाँ	कब्जा	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	एमआरपी (रु. लाख) ईएमडी	सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि	सरकारी बकाया यदि कोई हो
1.	कमला नगर शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0000063, ईएमडी खाता सं. 00631015020019 Kamlan@ucobank.co.in	ए.आर. इन्फ्राटेक	29.24 लाख	प्लॉट सं. 2045आर, दूसरी मंजिल, मॉडल टाउन, सुभाष चौक, सोनीपत सहित कार्यालय	भौतिक कब्जा	श्रीमती वशीमा पत्नी आसिफ कुर्शी	रु. 17.05 लाख रु. 1.80 लाख	14.01.2020 शाखा प्रबन्धक सुश्री जेसिका पी. चम्पानेरी, 9968704906	अज्ञात
2.	कमला नगर शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0000063, ईएमडी खाता सं. 00631015020019 Kamlan@ucobank.co.in	श्री प्रेम प्रकाश	19.80 लाख	सम्पत्ति संख्या 626, पॉकेट-1, सेक्टर ए-6, नरेला, दिल्ली	भौतिक कब्जा	श्रीमती कविता रानी पत्नी प्रेम प्रकाश	रु. 12.70 लाख रु. 1.30 लाख	14.01.2020 शाखा प्रबन्धक सुश्री जेसिका पी. चम्पानेरी 9968704906	अज्ञात
3.	एएमबी नई दिल्ली शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0002128, ईएमडी खाता सं. 21281015020019 newamb@ucobank.co.in	श्रीमती निधि गौड़ एवं श्री मोहित गौड़	92.79 लाख	प्लॉट सं. एमएल-2, गौड़ शॉपर एम्पायर रेजीडेंसी एण्ड शॉपर कॉम्पलेक्स, सेक्टर-11, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर फ्लैट सं. एस-4, दूसरी मंजिल पर आवासीय फ्लैट	भौतिक कब्जा	श्रीमती निधि गौड़	रु. 41.40 लाख रु. 4.14 लाख	14.01.2020 शाखा प्रबन्धक श्री नेमिचन्द बालोतिया 8447776715	अज्ञात
4.	एएमबी नई दिल्ली शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0002128, ईएमडी खाता सं. 21281015020019 newamb@ucobank.co.in	श्रीमती सीमा रानी एवं श्री सुधीर कुमार	25.51 लाख	फ्लैट सं. डी-32, तृतीय तल, सेवक पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 पर आवासीय फ्लैट	भौतिक कब्जा	श्रीमती सीमा रानी	रु. 6.89 लाख रु. 0.70 लाख	14.01 .2020 शाखा प्रबन्धक श्री नेमिचन्द बालोतिया 8447776715	अज्ञात
5.	पंजाबी बाग शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0000234, ईएमडी खाता सं. 02341015020019 punjab@ucobank.co.in	मैसर्स निशि ट्रेडेक्स प्रा.लि.	263.71 लाख	दुकान नं. एसएफ-03, दूसरी मंजिल, क्राउन इंटीरियर्स, ग्राम-सराई ख्वाजा, फरीदाबाद पर वाणिज्यिक दुकान	भौतिक कब्जा	मैसर्स विन्ध्य बिल्डकॉन प्रा.लि.	रु. 114.00 लाख रु. 11.40 लाख	14.01 .2020 शाखा प्रबन्धक श्री मनमीत सुधीरभाई व्यास 9998414045	अज्ञात
6.	नोएडा सेक्टर-3 शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0000951, ईएमडी खाता सं. 09511015020019 newokh@ucobank.co.in	श्री सपन कुमार गिरि एवं श्रीमती अनीता गिरि	18.03 लाख	फ्लैट सं. 41, पाँचवी मंजिल, प्लॉट नं. 222, साई प्लाजा 1, ग्राम गिजोर, सेक्टर-53, नोयडा, जिला गौतम बुद्ध नगर-201301 पर आवासीय फ्लैट	भौतिक कब्जा	श्री सपन कुमार गिरि	रु. 9.30 लाख रु. 0.93 लाख	14.01.2020 शाखा प्रबन्धक श्री ललित प्रकाश 8872426523	अज्ञात
7.	राजेन्द्रा प्लेस शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0001022, ईएमडी खाता सं.10221015020019 newokh@ucobank.co.in	श्रीमती स्टेला भास्कर	19.98 लाख	फ्लैट नं. ई-17, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, फ्रंट साइड, सेवक पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली पर आवासीय फ्लैट	भौतिक कब्जा	श्री भास्कर पीएम एवं श्रीमती स्टेला भास्कर	रु. 12.60 लाख रु. 1.26 लाख	14.01.2020 शाखा प्रबन्धक श्री मिलन दुबे 9889170064	अज्ञात

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी विक्रय उपर्युक्त सम्पत्ति (आईएसटी) के सम्मुख अंकित समय के अनुसार 24.01.2020 को 11.00 बजे प्रातः से 2.00 बजे अपराह्न के बीच प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित वेबसाइट : https://ucobank.auctiontiger.net अथवा (ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप-एण्ड्रॉयड) के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी"/संविदा पर सम्पन्न होगा।
2. इच्छुक संविदाकारों को पहले ही स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत करना तथा मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शन टाइगर), ए-801, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-संविदा के लिए अनिवार्य है। संपर्क दूरभाष सं. : श्री कुशल कोठारी 079-40230833/32/31, तथा श्री नीतीश (मो.) 08800896847, ई-मेल आईडी : delhi@auctiontiger.net /kushal@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net कुशल कोठारी मोबाइल : 9978591888/8980690773
3. इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वेबसाइट https://ucobank.auctiontiger.net ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।
4. संविदाएँ प्रासंगिक विवरण सहित केवल निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा की जायेंगी।
5. संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 23.01.2020 को 5.00 अप. तक।
6. उपर्युक्त सम्पत्ति हेतु जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.) स्तम्भ सं. 2 में सम्बद्ध शाखा नाम के साथ उल्लिखित के अनुसार खाते की क्रेडिट में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अथवा अधिकृत प्राधिकारी, यूको बैंक, नई दिल्ली में देय के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करनी होगी।
7. ऑनलाइन जमा किये गये संलग्नक (यूटीआर सं. का उल्लेख करते हुए) सहित संविदा प्रपत्र की एक प्रति सम्बद्ध शाखा के अधिकृत प्राधिकारी/शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक के पास प्रस्तुत करनी है अथवा ई-मेल द्वारा इसकी सॉफ्ट प्रति zonewdelhi.rec@ucobank.co.in पर भेजनी है।
8. संविदा मूल्य न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर/अथवा अधिक होगा किन्तु रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में होना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि प्रथम ऑनलाइन संविदा (एच1) जो ऑनलाइन फारवर्ड नीलामी के दौरान सिस्टम में आती है उसमें संविदाएँ जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम संविदाओं से उच्चतर बढ़ोतरी की जा सकती है अर्थात प्रारम्भिक मूल्य से एक बढ़ोत्तरी अथवा बढ़ोत्तरी के गुणक द्वारा प्रारम्भिक मूल्य से उच्चतर। नीलामी के दौरान, आउटबिड से आने वाली अनुगामी संविदा का एच1 रेट एच1 रेट से एक बढ़ोत्तरी उच्चतर होना चाहिए अथवा बढ़ोत्तरी मूल्यों के गुणक में होना चाहिए।

9. सफल संविदाकारों को विक्रय के उसी दिन उपर्युक्त क्लॉज 7 में उल्लिखित माध्यम से ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने के तुरन्त बाद संविदा राशि (पहले से प्रदत्त धरोहर राशि सहित) का 25% जमा करना होगा। क्रय मूल्य का शेष 75% अधोहस्ताक्षरी द्वारा सफल संविदाकार को स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
10. यदि सफल संविदाकार उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार संविदा राशि जमा करने में असफल हो जाता है तो संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. असफल संविदाकार(रों) की ज.ध.रा. ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने पर लौटा दी जायेगी।
12. विक्रय बैंक की पुष्टि का विषय है। यदि कर्जदार/जमानती विक्रय से पूर्व सम्पूर्ण राशि बैंक को अदा कर देता है तो कोई विक्रय संचालित नहीं होगा।
13. सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है वहाँ है तथा जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर किया जायेगा तथा इच्छुक संविदाकार को बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण की सम्पत्ति के सम्बन्ध में ठोस पूछताछ कर लेनी चाहिए और अपनी संविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति के स्वामित्व, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन संविदा जमा करने के पश्चात विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति, प्रभारों, किसी अन्य मामले में सम्पत्ति पर ऋणभारों आदि किसी भी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताए किसी संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, विक्रय को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने /किसी नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
15. क्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रभार, सरकार को देय समस्त विधिक बकाये, कर एवं दरें तथा सम्पत्ति से सम्बद्ध वर्तमान तथा भावी व्यय सहित स्टैम्प शुल्क, प्रभार आदि वहन करने होंगे। विक्रय प्रमाणपत्र सफल संविदाकार के नाम से ही निर्गत किया जायेगा।
16. यह विक्रय सरफाएशी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों तथा उपर्युक्त शर्तों का विषय है।
17. अधिक विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, सम्बद्ध शाखा (स्तम्भ-2) अथवा यूको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, दूरभाष : 011-49498285

यह प्रकाशन सूचना विशेष रूप से कर्जदार(रों)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य के लिए भी है।

तिथि: 08.01.2020
स्थान: नई दिल्ली

अधिकृत अधिकारी
यूको बैंक

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 19/2018 तिथि: 19.12.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम कामिनी गुप्ता

सेवा में,
सीडी नं. 1: श्री राज कुमार अरोड़ा, सीडी नं. 2: श्रीमती पतिभा अरोड़ा — निवासी : जे-44, यूजीएल-1, ब्लॉक-जे, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095; साथ ही: ए-1175, डीएलएफ फेज-II,भोपुरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)
सीडी नं. 3: श्री उमेश सचदेवा पुत्र श्री चरनजीत सचदेवा, निवासी : जे-44/एफ-1/3, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095
सीडी नं. 4: श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चरनजीत निवासी : बी-20, दूसरी मंजिल, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095
साथ ही : जीएच 5 एवं 7/682, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
साथ ही : जीएच 13/141, गेट नं. 3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
साथ ही : एफएफ-163, पॉकेट सी-2, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085

जबकि आप इस ओए के दर्ज होने की तिथि अर्थात 28.02.2017 से 12% ब्याज तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय लागतों, व्ययों सहित पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा आहरित ओ.ए. नं. 114/2017 में आहरित रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रु. 21,66,900/- (रुपये इक्कीस लाख छियासठ हजार नौ सौ मात्र) अदा करने में असफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूचित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 26.02.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी तथा संविदा द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्योर), ए201/208, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) दूरभाष : +91 079 61200594/598/568/587/538 के माध्यम से वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से की जायेगी।

किसी पूछताछ के लिए श्री नितीश झा, मोबाइल नं. 7982880393, ई-मेल : delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।

अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करें: श्री अशोक कुमार, सीएच बैंक के मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 7982880393 से सम्पर्क करें।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1	ग्राम ताहिरपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110095 के क्षेत्र में खसरा नं. 1076/5/2/264, दिलशाद एक्सटेंशन नं. I, दिलशाद कॉलोनी में से प्लॉट सं. बी-8 पर निर्मित छत के अधिकार सहित दूसरी मंजिल पर फ्लैट सं. बी-8/एसएल-6.	रु. 19,00,000/- (रुपये उन्नीस लाख मात्र) ज.ध.रा. रु. 1,90,000/- (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)

2. सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।
3. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
5. ईएमडी का भुगतान 24.02.2020 तक रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
6. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, वसूली अधिकारी I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. संभावित बोलीदाता 20.02.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
11. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।
12. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।
13. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्ति पर राजस्व/अधिभारों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन, संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में बिजली/पानी/मकान कर के बिलों के बकाये अथवा किसी अन्य अधिभारों के विषय में अपना स्वयं का ड्यू डिलिजेन्स कर लें।
14. असफल बोलीदाता को निर्देश दिया जाता है कि अपनी ईएमडी के रिफंड के लिए आर की सुनवाई की अगली अनुसूचित तिथि अथवा उससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तद्नुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जाएगी।

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 19 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

(अनिल कुमार यादव), वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

हरिद्वार में दूसरा साहित्य उत्सव दस से होगा शुरू

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 7 जनवरी।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में दस से 12 जनवरी तक साहित्य उत्सव होगा। तीन दिवसीय साहित्य महोत्सव में कलाकार, साहित्यकार और फिल्मकार विभिन्न भाषाओं के साहित्य और समाज की समस्याओं पर मंथन करेंगे। महिला सशक

मौसम उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ की सड़क पर मंगलवार को जमी बर्फ को हटाते कर्मचारी।

जनता ने बार-बार जनादेश देकर मोदी की जन स्वीकृति को स्पष्ट किया : शाह

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र के अंदर शासन की सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जन स्वीकृति और जनता का आशीर्वाद होता है। जनता ने बार-बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकत्रांत्रिक जनादेश देकर इस जन स्वीकृति को स्पष्ट किया है।

अमित शाह ने यहां कर्मयोगी ग्रंथ के अनावरण के अवसर पर कहा, 'अब तक घोषणापत्र केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारा 2014 का घोषणापत्र उठाकर देख लीजिए, भाजपा 90 फीसद कार्य पूरे कर चुकी है।' पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर परोक्ष निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित मुद्दों को छूते हुए सब लोग डरते थे, चाहे वो अनुच्छेद 370, 35ए हो, शरणार्थियों को नागरिकता और राम जन्मभूमि पर स्पष्ट रुख लेने का मामला हो या तीन तलाक का मुद्दा हो। शाह ने कहा, 'मोदी ने आज देश में 70-70 साल से लंबित समस्याओं को समाप्त करने का काम किया है।' उन्होंने कहा कि साल 1967 से लेकर 2014 तक हमारे देश की राजनीति को तीन नासूरों तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद ने काफी क्षति पहुंचाई है। मोदी ने 2014 के बाद इन तीनों नासूरों को समाप्त करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की विदेश नीति को एक लंबे समय के बाद गढ़ने का काम भी मोदी ने किया है। समानता के आधार पर विदेश नीति को लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान जाते हैं तो बड़े भाई का व्यवहार नहीं करते और जब अमेरिका जाते हैं तो आंख में आंख डाल कर बात करने का साहस नरेंद्र मोदी ने ही किया है। मोदी ने विदेश नीति और सुरक्षा नीति के घालमेल को समाप्त करने का काम किया है। साल 2014 से पहले इस देश की कोई सुरक्षा नीति ही नहीं थी, विदेश नीति ही सुरक्षा नीति पर हावी हो गई थी। मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हम पर कोई हमला करेगा तो उसे सीधा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम 40 फीसद बजट का हिस्सा राज्यों को देने का काम किया गया जो पहले 30 फीसद था । इस प्रकार से संघवाद को मजबूत बनाने का काम किया गया।

पूर्व विधायकों ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से की मुलाकात

श्रीनगर, 7 जनवरी (भाषा) ।

सैयद अलताफ बुखारी के नेतृत्व में आठ पूर्व विधायकों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के कार्यालय से संवाद स्थापित कर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने समेत कई मांगें रखीं। यह मुख्यधारा के नेताओं का पहला समूह है जिसने उपराज्यपाल कार्यालय से संवाद स्थापित किया है।

प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की और 15 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपा जिसमें जमीन और नौकरियों में लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करना और युवकों पर दर्ज मामले वापस लेना आदि शामिल हैं।

मांग : पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने समेत 15 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपा

बुखारी ने एजंसी को बताया, हमने मुर्मू साहब से मुलाकात की और अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने निजी तौर पर मुलाकात की। वह पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री थे। नेताओं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए केंद्र को कश्मीर के प्रति अपनी दशकों पुरानी नीति पर फिर से विचार करना होगा और लोगों की आशंकाओं का उचित एवं मानवीय तरीके से समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि केवल सुरक्षा उपयों पर निर्भर रहना और लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखने से केवल पुराने नतीजे ही होंगे।

चिन्मयानंद मामला विशेष अदालत को सौंपा गया

शाहजहांपुर, 7 जनवरी (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद यौन शोषण मामले में सीजेएम अदालत में चल रहे मुकदमों को जिला न्यायाधीश ने अब जनप्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अब चिन्मयानंद की अगली पेशी इसी अदालत में होगी।

चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया कि सोमवार को जिला न्यायाधीश रामबाबू शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के बाद अब इस मामले की सुनवाई सांसदों और विधायकों के लिए बनाई गई विशेष अदालत को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया, 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर शाहजहांपुर जिले में बनाई गई सांसद विधायक विशेष अदालत विधिवत कार्य करने लगी है। ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद की भी सुनवाई इसी अदालत में होगी और 20 जनवरी को पेशी भी इसी विशेष अदालत में होगी।'

छह प्रख्यात प्राध्यापकों को मिला एक लाख डॉलर का इंफोसिस साइंस पुरस्कार

बंगलुरु, 7 जनवरी (भाषा) ।

विज्ञान एवं शोध के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर दो महिला वैज्ञानिकों सहित छह प्रख्यात प्राध्यापकों को मंगलवार को एक लाख डॉलर का 'इंफोसिस प्राइज 2019' प्रदान किया गया।

इंफोसिस साइंस फाउंडेशन (आइएसएफ) इस वार्षिक पुरस्कार में शुद्ध सोने का एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और भारतीय मुद्रा में एक लाख डॉलर का पुरस्कार प्रदान करता है। छह श्रेणियों में इंफोसिस प्राइज 2019—इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, मानविकी, लाइफ साइंस, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान—की घोषणा की गई है। निर्णायक मंडल में जाने-माने विद्वान एवं प्राध्यापक शामिल थे, जिन्होंने करीब 200 नामांकनों में से विजेताओं को चुना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने यहां एक समारोह के दौरान विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में देश विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विद्वान, युवा शोधार्थी और छात्र शामिल हुए। सेन ने मुख्य अतिथि के तौर पर अपने भाषण में कहा, ''दोस्ती और ज्ञान में एक गहरा संबंध है। हम जब एक दूसरे से सीखते हैं तो हमारा बौद्धिक दायरा बढ़ता है। उन्होंने कहा, हम दुनिया से जो कुछ सीखते हैं उससे कहीं अधिक उसे दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुख्य रूप से आर्यभट्ट के नेतृत्व में पांचवीं सदी से भारत में हुई गणितीय क्रांति यूनान, बेबीलोन और रोम में हुए बौद्धिक विकास द्वारा प्रभावित थी। लेकिन आर्यभट्टीय गणित ने भारत में लंबी छलांग लगाई और फिर विदेशों तक चीन और अरब जगत पर तथा अंततोगत्वा यूरोप पर भी परिवर्तनकारी प्रभाव डाला। सेन ने कहा, दोस्ती की रचनात्मक भूमिका न सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर लागू होती है बल्कि इसके अंदर भी लागू होती है। समूहों और संप्रदायों के बीच विभाजन न सिर्फ हमारे सामाजिक जीवन को नुकसानप पहुंचाएगा बल्कि राष्ट्रों के अंदर और बाहर बौद्धिक प्रगति में भी बाधक बनेगा। इस तरह, दोस्ती ज्ञान के विकास का मुख्य केंद्र है। इंफोसिस लिमिटडे के सह संस्थापक एवं आईएसएफ के अध्यक्ष एस डी शिबुलाल ने कहा, इस साल के इंफोसिस प्राइज के विजेताओं ने पिछले दशक में पुरस्कृत किए गए लोगों की परंपरा को जारी रखा है।

इन्हें मिला

2019 के लिए यह पुरस्कार इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस में आइआइटी, बंबई की सुनीता सरावगी को दिया गया। मानविकी के क्षेत्र में पुरस्कार आइआइटी, मंडी के सहायक प्राध्यापक मनु वी देवादेवन को, लाइफ साइंस के लिए सेंटर फॉर सेल्युलर ऐंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी की मुख्य वैज्ञानिक मंजुला रेड्डी, गणितीय विज्ञान के लिए स्विटजरलैंड स्थित ईटीएच ज्यूरिख के प्राध्यापक सिद्धार्थ मिश्रा और भौतिक विज्ञान के लिए आइआइएससी बंगलुरु के प्राध्यापक जी मुगेश को दिया गया। वहीं, अमेरिका के जांस होपकिंस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक आनंद पंडियन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया।

लहसुन चोरी के आरोप में किसानों ने एक को नंगा कर पीटा

मंदसौर (मप्र), 7 जनवरी (भाषा)।

मंदसौर की मंडी में लहसुन की बोरी चुराने के आरोप में किसानों ने सोमवार को कथित रूप से एक व्यक्ति को नंगा कर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के संबंध में वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अपराध इस घटना के संबंध में वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना सोमवार को हुई, जब कुछ किसान मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आए थे। उसी समय एक व्यक्ति को लहसुन की एक बोरी चुराते हुए पकड़

वाइडी नगर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक एसएल बौरासी ने कहा कि सोमवार को मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों ने कथित रूप से लहसुन की बोरी चुराने के आरोप में एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि हमने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वीडियो के जरिए घटना में शामिल लोगों की पहचान कर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बौरासी ने बताया कि अभी तक पुलिस को लहसुन चोरी या किसी व्यक्ति की पिटाई किए जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

मंडी सचिव जेके चौधरी ने कहा कि यह घटना सोमवार को हुई, जब कुछ किसान मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आए थे। किसानों ने बुगलाड़ी गांव के एक व्यक्ति को लहसुन की एक बोरी चुराते हुए पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी।

बीस साल पहले घर से भागे व्यक्ति को पुलिस ने मिलाया परिवार से

ठाणे, 7 जनवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में अपने घर से 13 साल की उम्र में भागे एक व्यक्ति को ठाणे पुलिस ने 20 वर्ष बाद उसके परिवार से मिलाया।

अपराध शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक नितिन ठाकरे ने कहा कि मोबाइल की दुकान के मालिक जितेंद्र सिंह राजपुरोहित के साथ लूटपाट और उसकी हत्या के मामले की जांच के दौरान यह मामला सामने आया। सिंह की 28 दिसंबर को उसकी दुकान में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच करते समय पुलिस ने संदिग्ध को माहिम दरगाह की ओर जाते देखा। स्थानीय लोगों ने फुटेज में दिखे व्यक्ति की पहचान दिली नामक शख्स के तौर पर की, जो पिछले दो साल से यहां रह रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसके बाद उसे पकड़ा, जो वकोला में एक पुल के नीचे सो रहा था। ठाकरे ने बताया कि जांच में पता चला कि उसका नाम मोहम्मद अहमद उर्फ दिली बशीर शेख है और वह कूड़ा उठाता है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को अहसास हुआ कि संदिग्ध की पहचान गलत हुई है और पकड़ा गया व्यक्ति 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के बेंकी स्थित अपने घर से भागा हुआ शख्स है।

श्रीनगर : पथराव के बाद गश्त करते सुरक्षा बल के जवान।

सुरक्षा बलों के वाहन से कार टकराई, छात्र की मौत

श्रीनगर, 7 जनवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के वाहन से एक कार की टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार दसवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शन के कारण जिले के नौगाम इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान तहसीन अहमद भट के रूप में की गई।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं.-4, सेक्टर-10, द्वारका,
नई दिल्ली-110 075 (011-28044687), hogad@pnb.co.in

पंजाब नैशनल बैंक की जोखिम बीमा पॉलिसी के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करने हेतु सूचना।

पंजाब नैशनल बैंक आरएफपी में उल्लिखित विवरण के अनुसार बीमा कंपनियों से निम्नलिखित बीमा पॉलिसियां लेने के लिए सीलबंद बोलियां आमंत्रित करता है:-

1. हरियाणा सरकार कर्मचारी समूह मेडीक्लेम पॉलिसी (जीएमसी)
2. हरियाणा सरकार कर्मचारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी (जीपीए)
3. हरियाणा सरकार कर्मचारी समूह मियादी जीवन बीमा पॉलिसी (जीटीएलआई)

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Tender.aspx पर जाएं।

पात्र कंपनियां अपनी बोलियाँ 11.02.2020 अप0 3.00 बजे तक या इससे पहले उप महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं 4, सेक्टर - 10, द्वारका नई दिल्ली - 110075 को प्रेषित करें।

मुख्य प्रबंधक
07.01.2020 (नई दिल्ली) 98166 10262

punjab national bank
शाखा कार्यालय: लाडो सराय, एफ-322 ए, ऑल्ड मेहरौली बदरपुर रोड, नई दिल्ली- 110030

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **पंजाब नैशनल बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **एक डिमाण्ड नोटिस दिनांक 04.11.2019 को ऋणी श्रीमती सीमा शर्मा, निवासी: मकान नं. ई-9, ई-ब्लॉक के पास, मैन मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली- 110016 एवं जमानतदार श्री अशोक राणा को नोटिस में उल्लेखित राशि रू. 1,41,68,442.50 (अक्षरे रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख अड़सठ हजार चार सौ बियालीस एवं पचास पैसे मात्र)** दिनांक 02.11.2019 तक एवं अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि का भुगतान 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी के राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी एवं जन सामान्य को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 06 जनवरी 2020** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी एवं जमानती को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार **रू. 1,41,68,442.50 (अक्षरे रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख अड़सठ हजार चार सौ बियालीस एवं पचास पैसे मात्र)** दिनांक 02.11.2019 तक अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि के भुगतान के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय- लाडो सराय, एफ-322ए, ऑल्ड मेहरौली बदरपुर रोड, नई दिल्ली-110030** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जो फ्रीहॉल्ड सम्पत्ति के छत/टैरेस अधिकारों के साथ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, नं. एल-44, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली- 110024 में स्थित जिसका क्षेत्रफल 100 वर्गगीटर है।

साम्यिक बंधक विस्तार सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जो फ्रीहॉल्ड सम्पत्ति के छत/टैरेस अधिकारों के साथ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, नं. एल-44, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली- 110024 में स्थित जिसका क्षेत्रफल 100 वर्गगीटर है।

दिनांक: 06.01.2020, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: लाजपत नगर, नई दिल्ली पंजाब नैशनल बैंक

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय, वसूली विभाग

सार्वजनिक सूचना

बैंक ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस, दिनांक 22.11.2019 जारी कर "इरादतन चूककर्ता" घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। उक्तन नोटिस में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित कारण शामिल हैं ताकि वे या तो अनुबन्धीनय देय राशि की चुकौती करें या इरादतन चूककर्ता के रूप में उद्घोषणा के विरुद्ध अपना पक्ष रखें। उक्त कारण बताओ नोटिस को उपलब्धा डाक के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था तथा ये किसी एक या अधिक कारणों से 'डिलिवर न हुए' के रूप में हमें वापस प्राप्तत हुए हैं। एन.पी.ए. उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों के विवरण निम्नालिखित हैं :-

क्र. सं.	चूककर्ता कंपनी के निदेशक /गारंटीकर्ता /भागीदार के नाम	पता
1.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता (सहायक व निदेशक)	पता -1: बी -8, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली - 110 019 पता -2: डी -1112, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 025
2.	श्री मनीष गोयल (सहायक व प्रबंधक सचांलक)	पता -1: बी -8, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली - 110 019 पता -2: डी -1112, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 025
3.	श्री विशाल गोयल (एमवीएम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के गारंटर और निदेशक)	पता -1: बी -8, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली - 110 019 पता -2: डी -1112, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 025
4.	शिल्पी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)	ए-19/बी-1 एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंड इस्टेट, पी.ओ. बदरपुर मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 044
5.	शिल्पी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)	ए-19/बी-1 एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंड इस्टेट, पी.ओ. बदरपुर मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 044
6.	एमवीएम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)	ए-19/बी-1 एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंड इस्टेट, पी.ओ. बदरपुर मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 044

प्रयुक्त व्यक्तियों को सूचित करते हैं कि वे संबंधित नोटिस प्राप्त करने के लिए हमारी शाखा से तत्काल संपर्क करें तथा इस प्रकाशन के 07 दिनों के अंदर इसका उत्तर दें। यदि 07 दिनों के भीतर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि विधिवत रूप से नोटिस प्रस्तुत की गयी है तथा प्रतिरक्षण के रूप में उन्हेंग कुछ नहीं कहना है एवं इस मामले में बैंक अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ायेगा।

सहायक महाप्रबंधक
वसूली विभाग, प्रधान कार्यालय

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
शाखा कार्यालय: सी-3/9, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085
टेली. नं.-011-27556086, 27556380,
ईमेल:bo4166@pnb.co.in

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन 26 (अधिनियम), 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.10.2019 जारी कर ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर मै. रीअल ग्रॉथ कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 25,86,82,134.14/- (रुपये पच्चीस करोड़ छियासी लाख बयासी हजार एक सौ चौंतीस एवं पैसे चौदह मात्र) के साथ 1.7.2019 से आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित 27 अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 25,86,82,134.14/- (रुपये पच्चीस करोड़ छियासी लाख बयासी हजार एक सौ चौंतीस एवं पैसे चौदह मात्र) के साथ 1.7.2019 से आगे का ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक, बीओः प्रशांत विहार के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. आरजी सिटी सेन्टर, लॉरेन्स रोड, नई दिल्ली में स्थित अधोलिखित भूमि एवं भवन के फ्रीहोल्ड इक्विटैवल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्साः क. जीएफ शॉप नं. 05, ख. एसएफ शॉप नं. 207
2. आरजी सिटी सेन्टर, प्लॉट नं. एसयूएलएससी, बी-ब्लॉक, लॉरेन्स रोड, नई दिल्ली में स्थित भूमि एवं भवन के फ्रीहोल्ड इक्विटैवल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्साः क. जीएफ-शॉप नं. बीजी 04 एवं जी 21बी, ख. एफएफ-शॉप नं. 108 (साथ ही मै. राजेश प्रॉजेक्ट्स (इंडिया) प्रा.लि. की खाता में चार्ज का विस्तार)
3. 21 नग कार, 80 नग स्कूटर पार्किंग सहित भू तल शॉप जी-11, 12, 14, 15, 17, 18, 35, 37, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 एवं 62 में आरजी माल, एसयू, प्लॉट नं. 39 के सामने, सेक्टर-9, रोहिणी-85 में शॉप्स में स्थित भूमि एवं भवन के फ्रीहोल्ड इक्विटैवल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 2.1.2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक

प्रपत्र — 'जी'
अभिरुची की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 30क(1)के अधीन)
प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	उन्नति फॉर्च्युन हॉटमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23.06.2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान/संख्या सीमित दायित्व पहचान संख्या	U55101DL2011PTC221339
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 560 जी.टी. रोड, प्रथम तल शाहदरा यूको बैंक के सामने, पूर्वी दिल्ली -110032
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	09.07.2019
7.	अभिरुची की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	08.01.2020 *
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की अर्हता	www.insolvencyandbankruptcy.in एवं RPE के IPE की वेबसाइट है क्योंकि कॉरपोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है
9.	धारा 29क के अधीन अयोग्यता के मानदंड	www.insolvencyandbankruptcy.in एवं RPE के IPE की वेबसाइट है क्योंकि कॉरपोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है
10.	अभिरुची की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	18.01.2020 *
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	22.01.2020 *
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	27.01.2020 *
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	28.01.2020 *
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	23.01.2020 *
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल केवाईसी के सत्यापन के बाद निवेश करने की क्षमता, प्रवर्तन की क्षमता और आईबीसी 2016 की धारा 29 ए के तहत योग्यता और पूर्व-योग्यता सीओसी द्वारा अनुमोदित, यदि कोई है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिजॉल्यूशन प्लान/मूल्यांकन मैट्रिक्स/सूचना ज्ञापन के लिए अनुरोध साझा करेंगे।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	06.02.2020 *
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना की विधि	क्रम संख्या 21 के विरुद्ध उल्लेखित ईमेल आईडी के इलेक्ट्रॉनिक रूप में
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	जैसे ही समिति के सदस्यों (सीओसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	नाम: शेख नफीस अंजुम रजिस्ट्रेशन नंबर: IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N00211/2018-2019/12363
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	नाम: शेख नफीस अंजुम पताः फ्लैट नं ए-206, प्रतीक स्टाइलीश अपार्टमेंट, सेक्टर-45, नोएडा, उ.प्र.-201303 ईमेल: sn.anjum123@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	पता: ई-100, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली - 110048 Email Id: unnati.hotmart@aaainsolvency.com Email Id: sn.anjum@aaainsolvency.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	08.01.2020*

*यह उपरोक्त तिथियां, मा. एनसीएलटी, नई दिल्ली के अनुमोदन के अधीन है, जो कि उन्नति फार्च्यून हॉटमार्ट प्रा. लि. की कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजाल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की अवधि 180 दिनों से अधिक के विस्तार के लिये है।

हस्ता
शेख नफीस अंजुम
रजिस्ट्रेशन नंबर: IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00211/2018-2019/12363
पंजी. पता: फ्लैट नं. ए-206, प्रतीक स्टाईलीश अपार्टमेंट, सेक्टर-45, नोएडा, उ.प्र.-201303
ई-मेल:unnati.hotmart@aaainsolvency.com, sn.anjum@aaainsolvency.com
दिनांक: 08.01.2020, स्थान: नई दिल्ली उन्नति फार्च्यून हॉटमार्ट प्रा. लि. के लिये

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF CLC INDUSTRIES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	CLC INDUSTRIES LIMITED (Formerly Known as Spentex Industries Limited)
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	25th November, 1991
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	L74899DL1991PLC138153
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office as per ROC Company Master Data: A-60, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
6.	Insolvency Commencement date in respect of Corporate Debtor	3rd January, 2020 (order received on January 6th, 2020)
7.	Estim

खबर कोना

रूस की मारिया शारापोवा मंगलवार को ब्रिस्बेन में इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी के खिलाफ सर्विस करती हुईं।

लक्ष्य सेन मलेशिया मास्टर्स के मुख्य ड्रा में जगह बनाने में नाकाम

कुआलालंपुर, 7 जनवरी (भाषा)।

भारत के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को मंगलवार को यहां पुरुष एकल क्वालीफायर में डेनमार्क के हेन्स क्रिस्टियन सोलबर्ग विटिंगस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा जिससे वह मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में जगह बनाने में नाकाम रहे। भारत के गैरवरीय खिलाड़ी को 49 मिनट चले कड़े मुकाबले में 21-11 18-21 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। शुभंकर डे भी मुख्य ड्रा में जगह बनाने में नाकाम रहे जबकि पूजा डांडू और संजना संतोष की महिला युगल जोड़ी भी क्वालीफायर में हार गई। शुभंकर को पुरुष एकल में मलेशिया के डेरेन ल्यू के खिलाफ 15-21 15-21 से हार झेलनी पड़ी जबकि पूजा और संजना को सिती फादिया सिल्वा रामधंती और रिबिका सुगियार्तो की इंडोनेशिया की जोड़ी के खिलाफ 15-21 10-21 से शिकस्त मिली।

आईओए ने भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द की

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने संविधान और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए भारतीय कराटे संघ (केएआइ) की मान्यता रद्द कर दी। आइओए ने 30 दिसंबर को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान यह फैसला किया लेकिन विश्व कराटे महासंघ (डब्ल्यूकेएफ) को सोमवार को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजा गया। आइओए ने पत्र में लिखा, 'आइओए की एजीएम में भारत में कराटे के संचालन संबंधी मसले पर चर्चा की गई। आइओए ने केएआइ को आठ अगस्त 2017 को कार्यकारी परिषद-आम सभा से मंजूरी की शर्त पर मान्यता दी थी। केएआइ की मान्यता को मंजूरी अब भी लंबित थी क्योंकि पिछले दो वर्षों से उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं।' डब्ल्यूकेएफ सीईओ सारा वोल्फ को भेजे गये पत्र में कहा गया है, 'एजीएम के दौरान इस पर सहमति जताई गई कि संविधान के सिद्धांतों और उसके दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी राष्ट्रीय महासंघ को भारत में ओलंपिक अभियान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आइओए ने सर्वसम्मति से केएआइ की मान्यता खत्म करने और उससे नाता तोड़ने का फैसला किया।'

गुडविल टी - 20 क्रिकेट टूर्नामेंट

नई दिल्ली, 7 जनवरी (जनसत्ता)।

मैन ऑफ द मैच लक्ष्य मदान के मात्र 31 गेंदों पर छह छक्कों व सात चौकों की मदद से बनाए गए विस्फोटक 73 रनों व बाएं हाथ के बल्लेबाज राजीव बोस की आतिशी पारी 46 रन (4 छक्के, 4 चौकों, 18 गेंद) की बदौलत टीम यंग हर्ट ने अशोक विहार स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स मैदान पर खेले गए गुडविल कॉरपोरेट टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में टीम बड़ राइजर्स को सात विकेट से हराकर पूरे अंक हासिल किए।

भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हराया

इंदौर, 7 जनवरी (भाषा)।

भारत ने कसी हुई गेंदबाजी और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां सात विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई।

भारत के सामने 143 रन का आसान लक्ष्य था और उसने 17.3 ओवर में तीन विकेट पर 144 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। लोकेश राहुल (32 गेंदों पर 45) और शिखर धवन (29 गेंदों पर 32) ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़कर भारत का अच्छी शुरुआत दिलाई।

इसके बाद श्रेयस अय्यर (26 गेंदों पर 34) और कप्तान विराट कोहली (17 गेंदों पर नाबाद 30) ने आसानी से टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। कोहली ने छक्के से टीम को जीत दिलाई।

श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 142 रन ही बना पाई थी। उसकी तरफ से कुसाल परेरा ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर (23 रन देकर तीन) और नवदीप सैनी (18 रन देकर दो) ने प्रभावशाली गेंदबाजी की।

राहुल के श्रीलंकाई कप्तान लसिथ मलिंगा की लगातार गेंदों पर लगाए गए चौके दर्शनीय थे। इसके बाद लाहिरू कुमारा पर भी उन्होंने लगातार दो चौके जड़कर श्रीलंका की परेशानियां बढ़ा दीं। राहुल 32 रन पर आउट हुए। उन्होंने छह चौके लगाए। धवन अपेक्षाकृत धीमी पारी खेलकर आउट हुए।

जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कप्तान विराट कोहली

कोहली और अय्यर ने मोर्चा संभाला। अय्यर ने हसरंगा के ओवर में दो चौके और लांग आन पर गगनदायी छक्का लगाया। मलिंगा को कोहली ने छक्का लगाया।

भारत जब लक्ष्य से छह रन दूर था तब अय्यर ने लाहिरु कुमारा की शार्ट पिच गेंद पर लंबा शाट खेलने के प्रयास में कैच दे दिया लेकिन कोहली ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लांग लेग पर विजयी छक्का जड़ा। अय्यर ने तीन चौके और एक छक्का जबकि कोहली ने एक चौका और दो छक्के लगाए।

भारत की यह श्रीलंका के खिलाफ टी20 में 12वीं जीत है।

इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चार महीने बाद अपना पहला मैच खेला लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। बुमराह ने 32 रन देकर एक विकेट लिया। हसरंगा (नाबाद 16) ने बुमराह की अंतिम तीन गेंदों पर चौके लगाए। स्पिनर कुलदीप यादव सबसे महंगे साबित हुए लेकिन उन्होंने 38 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

श्रीलंका ने टास गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नियमित अंतराल में विकेट गंवाए।

उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों दानुश गुणतिलका (20), अविष्का फर्नांडो (22) और कुसाल परेरा ने अच्छी शुरुआत की लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें इसे बड़े स्कोर में नहीं बदलने दिया। धनंजय डिसिल्वा (17) और ओशादो फर्नांडो (10) दोहरे अंक में पहुंचने वाले अन्य बल्लेबाज थे।

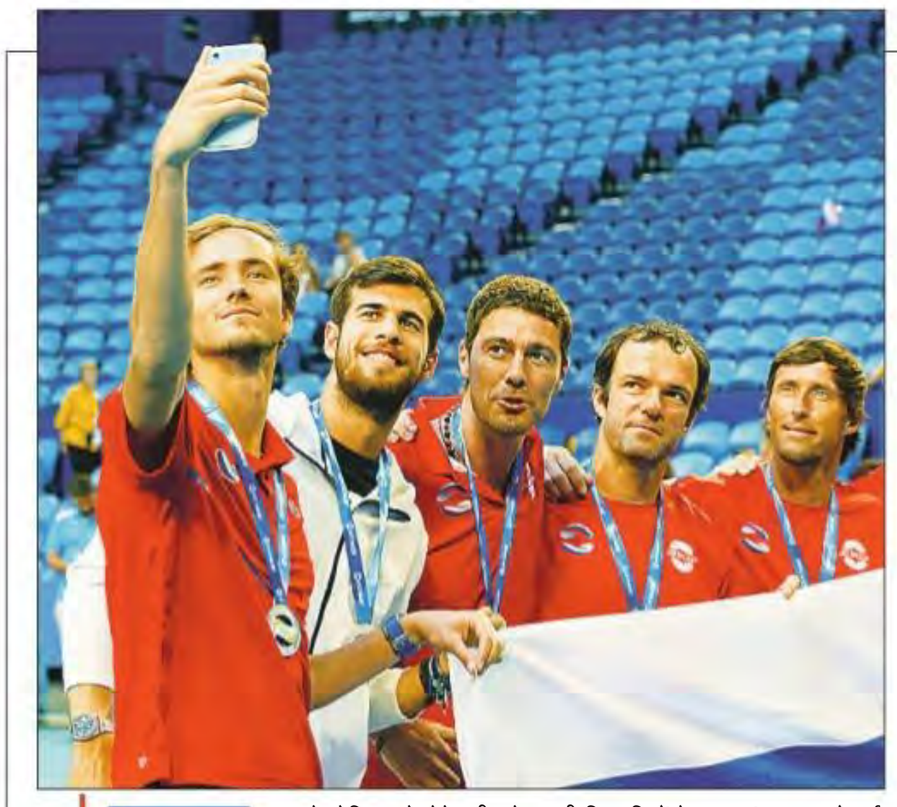

क्लिक रूस के डेनियल नेदवेदेव टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ मंगलवार को पर्थ में एटीपी ग्रुप डी में जीत के बाद सेल्फी लेते हुए।

भारतीय पिच पर भारत के खिलाफ खेलने से मुश्किल कुछ नहीं : लाबुशेन

सिडनी, 7 जनवरी (भाषा)।

तेजी से उभरते हुए आस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन भारत के खिलाफ अपने कौशल को आजमाने के लिए उत्सुक हैं। उनका मानना है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत का दौरा करना सबसे मुश्किल है। लाबुशेन के लिए आस्ट्रेलियाई घरेलू सत्र शानदार रहा जिसमें उन्होंने पांच मैचों में चार शतक जमाए। इसमें हाल में संपन्न तीसरे टैस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया दोहरा शतक भी शामिल है।

लाबुशेन को भारत के खिलाफ मुंबई में 14 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलियाई टीम में जगह दी गई है।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर लाबुशेन के हवाले से कहा गया, 'जब आप भारत से खेलते हो तो यह कड़ी श्रृंखला होती है क्योंकि वे काफी मजबूत विरोधी हैं। उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज हैं इसलिए यह चुनौती होगी।'

न्यूजीलैंड दौरा आसान नहीं पर चुनौती को तैयार : रोहित

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का मानना है कि मेजबान टीम का बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण न्यूजीलैंड को क्रिकेट खेलने के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक बनाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वह अगले महीने होने वाले दौरे की चुनौती के लिए तैयार हैं।

सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहली टैस्ट श्रृंखला में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दोहरे शतक सहित तीन शतक जड़े और फरवरी में वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में होने वाले दो टैस्ट में उन्हें नील वैगनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी जैसे तेज गेंदबाजों का सामना करना होगा।

रोहित ने एक समाचार एजंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, 'न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने के लिए आसान देशों में से एक नहीं है। पिछली बार हमें टैस्ट श्रृंखला में हार (0-1) का सामना करना पड़ा था लेकिन हमने कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन हमारा मौजूदा गेंदबाजी आक्रमण तब की तुलना में बिलकुल अलग है।' उन्होंने कहा, 'निजी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि यह चुनौती होगी, नई गेंद के गेंदबाजों का सामना करना और उन गेंदबाजों के खिलाफ खेलना जो बीच के ओवरों में आएंगे।'

रोहित ने कहा, 'किसी भी हालात में नई गेंद का सामना करना आसान नहीं होता। बेशक भारत के बाहर यह और अधिक मुश्किल है।

पेन को भारत के खिलाफ शानदार श्रृंखला की उम्मीद

सिडनी, 7 जनवरी (भाषा)।

लगातार पांच टैस्ट जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरे आस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने कहा कि वह इस साल 'शानदार' श्रृंखला में भारत की मेजबानी करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि निश्चित तौर पर बदला लेने की बात उनके दिमाग में नहीं है। आस्ट्रेलिया ने 2018-19 सत्र में घरेलू सरजमीं पर पहली बार भारत के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला गंवाई थी लेकिन तब गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के कारण टीम के दिग्गज बल्लेबाजों स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर प्रतिबंध लगा था। तब से आस्ट्रेलिया ने लंबा सफर तय किया है। टीम के युवा बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जबकि तेज गेंदबाज भी बेहतर कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया ने हाल में संपन्न घरेलू सत्र में पाकिस्तान को दोनों टैस्ट में चार दिन के भीतर हराया जबकि न्यूजीलैंड का भी 3-0 से क्लीनस्वीप किया। पेन ने कहा, 'बांग्लादेश दौरे पर अगर हम अच्छा खेल पाए और कुछ जीत दर्ज कर पाए तो इसके बाद हमें आस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ खेलना है और यह खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए शानदार श्रृंखला होगी।'

आस्ट्रेलियाई ओपन में विलंब की संभावना नहीं

सिडनी, 7 जनवरी (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया ओपन के आयोजकों ने मंगलवार को बताया कि जंगलों में लगी आग के धुएं के कारण इस ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट में विलंब होने की संभावना नहीं है। आयोजकों ने कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए हैं।

मेलबर्न में 20 जनवरी से शुरू हो रहे 2020 के पहले ग्रैंडस्लैम से पूर्व शहर में पिछले कुछ दिनों से जंगलों में लगी आग के कारण धुएं की चादर बिछी नजर आती है। आस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी कारण के कारण 25 लोगों की मौत हो चुकी है।

एटीपी खिलाड़ी परिषद के अध्यक्ष नोवाक जोकोविच ने कहा कि अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो आयोजकों को अंतिम कदम के तहत टूर्नामेंट में विलंब करने पर विचार करना चाहिए। टेनिस आस्ट्रेलिया के प्रमुख क्रेग टिली ने हालांकि कहा कि उनको इसकी संभावना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा, 'इस तरह की काफी अटकलबाजी चल रही हैं कि क्या जंगलों में लगी आग से निकल रहे धुएं का आस्ट्रेलिया ओपन पर असर होगा।' टिली ने कहा, 'हमारे पास फिलहाल यह सूचना है कि मौसम की भविष्यवाणी अच्छी है।

इंग्लैंड की दक्षिण अफ्रीका पर जीत

केपटाउन, 7 जनवरी (एएफपी)।

बेन स्टोक्स के कातिलाना स्पैल से इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टैस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को यहां अंतिम घंटे में 189 रन से हराया।

इससे चार मैचों की विश्व टैस्ट चैंपियनशिप सीरीज भी 1-1 से बराबर हो गई है।

दक्षिण अफ्रीका के सामने 438 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी टीम 248 रन पर आउट हो गई। जब उसका आखिरी विकेट गिरा तो मैच में केवल 8.2 ओवर बचे हुए थे। स्टोक्स ने 14 गेंद के अंदर तीन विकेट लेकर जीत सुनिश्चित की। उन्होंने कुल 35 रन देकर तीन विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने दिन में अधिकतर समय इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। सलामी बल्लेबाज पीटर मलान ने 369 मिनट क्रीज पर बिताए और 288 गेंदों का सामना कर-के 84 रन बनाए। सैम कुरेन ने दूसरी नई गेंद से उनकी एकाग्रता भंग की। वह लंच और चाय के विश्राम के बीच आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे।

इंग्लैंड को अंतिम सत्र में जीत के लिए 31 ओवरों में पांच विकेट चाहिए थे। क्विंटन डिकाक (50) और रासी वान डर डुसेन ने इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेरने की पूरी कोशिश की। डिकाक ढीला शाट खेलकर आउट हुए। वान डर डुसेन ने 194 मिनट बल्लेबाजी की, 140 गेंदें खेली और केवल 17 रन बनाए।

पायस, वंशिका फाइनल में

जनसत्ता संवाददाता
वड़ोदरा, 7 जनवरी।

दिल्ली के टेबल टेनिस खिलाड़ी पायस जैन और वंशिका भार्गव ने मंगलवार को शानदार जीत के साथ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआइ) द्वारा यहां सामा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी यूटेटे 65वीं नेशनल स्कूल गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है।

राष्ट्रीय विजेता पायस ने जहां लड़कों की यू-17 श्रेणी के सेमीफाइनल में सीआइएससीई के राजवीर शाह को 11-7, 11-3, 12-10 से हराया, वहीं शीर्ष वरीयता वंशिका भार्गव ने गुजरात की आफरीन मुराद को लड़कियों के यू-17 वर्ग के सेमीफाइनल में हराया। भारत की नंबर-4 खिलाड़ी वंशिका ने दो सेट गंवाने के बाद वापसी की और फिर पांच सेट तक चले मुकाबले में 6-11, 9-11, 11-7, 11-3, 13-11 से जीत हासिल की।

यूटेटे और बड़ौदा टेबल टेनिस संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में पायस का सामना पश्चिम बंगाल के अनिकेत सेन चौधरी से होगा। वंशिका को फाइनल में पश्चिम बंगाल की ही मुनमुन कुंडू से भिड़ना होगा।

संभावित खिलाड़ियों का चयन रविवार को

इंदौर, 7 जनवरी (भाषा)।

आस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम और इसके बाद वहीं होने वाले टी20 विश्व कप के लिए संभावित खिलाड़ियों का चयन मुंबई में रविवार को किया जाएगा। भारत, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया की मौजूदगी वाली त्रिकोणीय श्रृंखला की शुरुआत कैनबरा में 31 जनवरी से होगी। टीमें एक दूसरे के खिलाफ दो-दो मैच खेलेंगी जिसके बाद फाइनल होगा।इस टूर्नामेंट से स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि 21 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी कैसी है।

भारत टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पहले दिन मेजबान और चार बार के चैंपियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में करेगा। महिला क्रिकेट में आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो सबसे सफल टीमों में से हैं। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'त्रिकोणीय श्रृंखला महत्वपूर्ण होगी। इससे हमें पता चलेगा कि क्या लड़कियां सर्वश्रेष्ठ टीमों (आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) को चुनौती दे सकती हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 52, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।